खण्ड-298, अंक-10
मंगलवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1894
(25 जुलाई, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 298 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 25 जुलाई, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन मे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३७९

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमद लुत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला ऐटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद , श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार,
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, "कृष्ण" श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह, विशारद श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह, चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीरसिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री

राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम वचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाडेय, श्री
राम मूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शन्ति चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायन शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री

श्याम सुन्दर लाल गुप्त,श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांण्डपाल, श्री
हरी सिंह बिष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री, श्री पुरुषोत्तम टन्डन भी उपस्थित थे ।

दर्शक दीर्घायें खाली होनें के संबंध में आपत्ति

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)

मान्यवर, ये अध्यक्ष दीर्घायें खाली हैं । क्या दर्शकों को मना कर दिया गया है ? क्या आपके इस संबंध में कोई आदेश हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कल वह थोड़ा सा विवाद हो गया था । वे कल ही आर्डर द दिय गय थ ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

यह तो जनतंत्र की हत्या है, मान्यवर । जब तक हमारे क्षेत्र वाले नहीं देखेंगे । तो उनको पता कैस चलेगा कि हमें उनके अधिकारों की किस तरह रक्षा करते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, कल के लिये तो आपने वापस ले लिया होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे आदेश कल हो गये थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह आज के लिये थे कल के लिये तो नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, हम देखेंगे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 25 जुलाई, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

डिवीजनल एकाउन्टेन्ट, स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग मेरठ का बकाया वेतन

** 1—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अस्थायी निर्माण खंड, स्वायत्त शासन इंजीनियररिंग विभाग, मेरठ के डिवीजनल एकाउन्टेंट का तबादला यकायक माह लगभग अक्तूबर, 1971 में ओबरा को कर दिया गया गया था और फिर कुछ ही दिनों पश्चात् यह तबादला रद्द कर दिया गया ? क्या यह सही है कि इसके पश्चात् जब एकाउन्टेंट अपने कार्यालय गये तो अधिशासी अभियंता ने उन्हें अपने कार्य पर नहीं आने दिया और पिछली तारीख से रिलीव कर दिया तथा उन्हें मेरठ में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य ग्रहण करने के आदेश मिले जहां उन्होंने 1 जनवरी, 1972 को अपना कार्य भार संभाला परन्तु पिछले दो माह, नवम्बर तथा दिसम्बर, का वेतन अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है, उन्हें वेतन शीघ्र दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के अस्थायी निर्माण शाखा मेरठ के डिवीजनल एकाउन्टेन्ट का स्थानान्तरण महालेखाकार ने अपने आदेश दिनांक 23–10–71 द्वारा ओबरा निर्माण शाखा, ओबरा (मिर्जापुर) में किया था । यह आदेश मेरठ शाखा, कार्यालय में 28–10–71 को प्राप्त हुआ था और इसके अनुसार संबंधित डिवीजनल एकाउन्टेंट को मेरठ शाखा कार्यालय से 6–11–71 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था।

इसके पश्चात् महालेखाकार ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 6–11–71 द्वारा डिवीजल एकाउन्टेंट का स्थानान्तरण मई, 1972 के दूसरे सप्ताह तक स्थगित कर दिया था । यह आदेश मेरठ शाखा कार्यालय में 14–11–71 को प्राप्त हुआ था ।

चूंकि डिवीजनल एकाउन्टेंट को मेरठ शाखा कार्यालय के कार्यभार से 6–11–71 को ही कार्यमुक्त कर दिया गया था, अतएव इन्हें दुबारा कार्यभार नहीं दिया गया और इस की सूचना तुरन्त ही महालेखाकार को दे दी गई । महालेखाकार ने अपने आदेश दिनांक 24–11–71 द्वारा डिवीजनल एकाउन्टेंट का स्थानान्तरण मई के दूसरे सप्ताह तक के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के विद्युत एवं यांत्रिक खंड, मेरठ में कर दिया था, जहां उन्होंने 1–1–72 को अपना कार्यभार संभाला । जहां तक डिवीजनल एकाउन्टेंट को नवम्बर तथा दिसम्बर माह के वेतन का भुगतान करने का प्रश्न है, महालेखाकार ने उन्हें अन्तिम रूप से 3–11–71 से 31–12–71 तक 59 दिन की छुट्टी स्वीकृत कर दी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के विद्युत एवं यांत्रिक खंड, मेरठ के कार्यालय से विदित हुआ है उक्त अवधि के लिये इनके वेतन का भुगतान इसी कार्यालय से किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, सरकार की ओर से जो जवाब पढ़ा जा रहा है वह हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है । या तो माइक से अलग बोल रहे हैं या उनकी आवाज वैसी है।

श्री काजी जलील अब्बासी—

माइक छोड़कर बोल रहा हूं । आप सुनिये तो सही ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले ही उन्हें रोक दिया था, इसीलिये वे माइक से अलग होकर बोल रहे हैं ।

श्री विश्रामदास—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिवीजनल एकाउन्टेंट ने छुट्टी के लिये आवेदन-पत्र दिया था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

श्रीमन्, जैसा कि अक्सर हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब ट्रांसफर के आदेश दिये जाते हैं तो जिसका ट्रांसफर होता है वह कोशिश करते हैं कि चार्ज न देना पड़े । उनको चार्ज देने को कहा गया लेकिन वे दफ्तर छोड़ कर चले गये । बाद मे स्थानान्तरण रोकने के आदेश दिये । इसी बीच दूसरे को चार्ज दे दिया गया । लेकिन महालेखाकार ने उनकी छुट्टी मंजूर कर ली है । वह हमारे यहां तो थे ही नहीं, उसी जगह थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डिवीजनल एकाउन्टेन्ट को एक जगह से चार्ज छोड़कर जब वह दूसरी जगह चले गए, तो दो महीनें का वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह—

उन दिनों की छट्टी उनकी मंजूर हुई । छुट्टी के बाद जैसे तनख्वाह मिलती है वह वैसे ही मिली । सूचनार्थ निवेदन है कि उनको तनख्वाह मिल गयी है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह तो समझ में आया नहीं, लेकिन इसके पढ़ने से जो समझ में आया उसके आधार पर पूछ रहा हूं । जो याकायक इनका तदाबला ओबरा में किया गया तो वहां कोई स्थान रिक्त था या किसी विशेष कारण से तबादला किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

इनके खिलाफ काफी गम्भीर शिकायतें थीं । ऊपर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच की और शिकायतें सही पायी गयीं और तब यह सिफारिश की गयी कि इनको यहां से हटा दिया जाय । उस सिफारिश पर इनको हटाया गया ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

इस साल के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । जिन मंत्री महोदय ने जवाब पढ़ा है, मेरी समझ में तो आया नहीं, शायद और सदस्यों के समझ में भी नहीं आया होगा । उनकी आवाज समझ में नहीं आती है । इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि उनसे न पढ़वाकर किसी और से उत्तर पढ़वाया जाय या लिखित रूप से बांट दिया जाया करे ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो वह पढ़ चुके । आइंदा के लिये यह बात हो सकती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित एकाउन्टेन्ट को मेरठ में कितने वर्ष हो गए और जो स्थानान्तरण मई, 72 तक के लिये रोका गया था, क्या अब स्थानान्तरण हो गया है ?

श्री बेनी सिंह—

जिस जगह इनको जाना था उस जगह उन्होंने चार्ज ले लिया है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में आए दिन यह समस्या है कि हर कर्मचारी तबादला रुकवाने के लिये यहां भागता है और छुट्टी लेता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है करेंगे कि कोई भी कर्मचारी तबादले पर छुट्टी न ले सके और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे ?

श्री बेनी सिंह—

मैं बड़ा आभारी हूंगा माननीय सदस्य का अगर ऐसी व्यवस्था कर दें। यह सही है कि वहां से लोग यहां आ जाते हैं। काम नहीं करने देते और बड़ी अव्यवस्था होती है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनके खिलाफ गम्भीर शिकायतें थीं इसलिये स्थानान्तरण किया गया, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसकी सिफारिश से यह स्थानान्तरण रोका गया और जब की वह स्वयं चार्ज दे चके थे और उनकी कोई गलती नहीं थी इस बीच वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, यह तो मैं नहीं कह सकता कि किसकी सिफारिश पर रुका क्योंकि यह तो लिखकर आता नहीं। या तो हमारे में से किसी ने कहा होगा या किसी बाहर वाले ने कहा होगा। लेकिन इनका जो चार्ज होना था वह इन एबसेन्सिया हुआ था। बिना छुट्टी लिये हुये यह दफ्तर नहीं गए थे। उस बीच में इनको रिलीव कर दिया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गम्भीर आरोप थे उनकी जांच करायी गयी, या हो रही है या नहीं ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, असरार अहमद साहब बाद में आये हैं। मैंने इसका उत्तर दे दिया है। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने उसकी जांच की और जांच करने के बाद यह सिफारिश की।

इटैलियन कोलैबोरेशन से स्कूटर फैक्टरी की स्थापना

**2—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इटैलियन कोलैबोरेशन से स्कूटर फैक्टरी चलाने की योजना कोई बनाई गई ? यदि हां, तो यह फैक्टरी कहां पर लगेगी और उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कितना रुपया व्यय होगा तथा उसकी विस्तृत क्या रूप रेखा है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

प्रदेश में इटैलियन कोलेवरेशन से स्कूटर फैक्टरी स्थापित करने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इटैलियन कम्पनी से किस वक्त बातचीत हुई थी कि स्कूटर कम्पनी यहां पर चालू की जायेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इटैलियन क्रोलेंवोरेशन से बातचीत हुई है। आपने पूंछा था कि इटैलियन कोलेवोरेशन से कोई स्कूटर का कारखाना लगना है तो मैंने जवाब दिया था कि नहीं। एक कारखाने की बातचीत हुई थी जिसमें इटैलियन मशीनों का लगाये जाने की बात हुई थी। यह इटली का कारखाना जिसका नाम इनोसेन्टी है इटली में है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इटैलियन मशीनों के द्वारा यह कारखाना कब और कहां पर लगाया जाने वाला है? अभी मंत्री जी ने कहा था कि इटैलियन मशीनें लगाई जायेंगी और स्कूटर बनाने का कारखाना चालू किया जायगा यह जानना चाहता हूं कि यह कारखाना कब और कहां पर लगाया जायगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

स्कूटर कम्पनी के बारे में बहुत दिनों से गवर्नमेंट आफ इन्डिया से बातचीत चल रही है और यह कोशिश हो रही है कि वहां कारखाना पब्लिक सेक्टर में लगे। उसके लिये जगह देखी जा रही है। सम्भवतः वह लखनऊ और उन्नाव के बीच में शायद अमौसी के आसपास भी कहीं पर हो सकती है।

श्री बलबीर सिंह—

मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि जगह देखी जा रही है। ऐसे कारखाने के लिये जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों को देखा जाता है ? इसको लखनऊ के पास ही क्यों करने जा रहे है ? प्रदेश में और भी ऐसे स्थान हैं जहां पर यह हो सकता है मेरठ जिले में गढ़ मुक्तेश्वर में कोई इन्डस्ट्री नहीं है। क्या सरकार उस स्थान पर विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब कोई कम्पनी लगाई जाती है तो बहुत सी चीजें देखी जाती हैं जैसे कि धरती, पानी, मार्केट, रेलवे हेड, रा-मैटीरियल की एवलेबिलीटी आदि को भी देखा जाता है। जिस स्थान पर इन्डस्ट्री लग जाती है वहां पर और भी बहुत सी चीजें मक्खियों की तरह आ जाती हैं। गाजियाबाद ऐसी ही जगह है। हमारा इरादा यह है कि इसको बांट कर रखा जाय। इसमें भी वह स्थान जहां इन्डस्ट्री नहीं है और वह बैकवर्ड एरिया है वहां पर इन्डस्ट्रीज लगायी जांय।

श्री बलबीर सिंह—

गढ़ मुक्तेश्वर ऐसे ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वह पिछड़ा हुआ होने के साथ साथ ही वहां पर कोई इन्डस्ट्री भी नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हमारे यहां ऐसे 36 जिले हैं जो पिछड़े हुये हैं और वे सभी हमारी नजरों में हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि स्कूटर के कारखाने के लिये भारत सरकार से बातचीत चल रही है। क्या भारत सरकार ने इस कारखाने को उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकार कर लिया है? यदि नहीं, तो वह किस स्थिति में है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कुछ आवेदकों ने आवेदन-पत्र भी दिये हैं प्राइवेट सेक्टर में इसको लगाने के लिये। पब्लिक सेक्टर म लगाने का विचार चल रहा है और वह विचार समाप्त होने के बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि पब्लिक सेक्टर में लगाया जाना निश्चित ही है। फिर आप कह रहे हैं कि आवेदकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे खेद है कि मैं समझा नहीं पाया। शायद मेरी बुद्धि कम है। मैंने तो यह कहा था कि स्कूटर फैक्ट्री के पब्लिक सेक्टर में लगाये जाने की बातचीत हो रही है क्योंकि हम लोगों पर यह प्रेशर था कि इसको पब्लिक सेक्टर में लगाया जाय। प्राइवेट सेक्टर वालों के आवेदन पत्र चल रहे हैं। अभी तो यह पूर्णरूप से निश्चय नहीं किया गया कि यह किस सेक्टर में लगेगा। अब वहां से जैसा फैसला होगा वैसी कार्यवाही की जायेगी। जगह के बारे में उनकी कमेटी देख गयी है। मैंने जिक्र तो किया कि एक जगह ऐसी भी सोची जा रही है, उस पर अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कहां लगायी जायगी, जैसे अमौसी के आसपास कहीं लगायी जाय। यह चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं एक फैक्ट्री लग। उसमें मुझे सफलता मिल जाय तो प्रसन्नता होगी चाहे पब्लिक सेक्टर में लगे चाहे ज्वाइट सेक्टर म लग। स्कूटर की बड़ी मांग है। लिहाजा वह फैक्टरी लग जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

यह स्कूटर का कारखाना पब्लिक सेक्टर में लगाये जाने का पहले प्रस्ताव था। तो अब या वह उसको लखनऊ म लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन ही है, कहीं लग जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 36 जिलों का सर्वे कर रहे हैं और कोई न कोई इंडस्ट्री देंगे ऐसा प्रयत्न हो रहा है, तो देहरादून के अन्दर भी कोई फैक्टरी नहीं है। क्या वहां भी फैक्टरी लगाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर नित्यानन्द जी अप्रसन्न न हों तो मैं कहूं कि पब्लिक सेक्टर में आल इन्डिया सीमेंट कारपोरेशन की ओर से एक बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना देहरादून में लगने जा रहा है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पानी और बिजली की सुविधा है। जमीन भी सस्ती मिलेगी। रेलवे का सेन्टर है और बुन्देलखण्ड में अभी तक कोई उद्योग नहीं लगा है। तो क्या झांसी में उस को लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे प्रश्न किये गये कि जिनका उत्तर देने में मुझे बड़ा आनन्द आ रहा है। बुन्देलखंड में दो योजनायें बहुत शीघ्र आने वाली हैं। एक तो माताटीला में 440 मेगावाट का स्टीम पावर स्टेशन और दूसरे झांसी में कोई बड़ी फैक्टरी लगायी जाय इसके लिये भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। अभी इस सम्बन्ध म कोई निर्णय नहीं हुआ है। म समझता हुं कि बहुत जल्दी इसका फैसला हो जायगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

क्या हरदोई जिले को वह सामने रखेंगे जब इसका फैसला किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वैसे हरदोई का जिला तो क्रिमिनल जिला प्रसिद्ध रहा है। अब यह कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि पिछड़ा इलाका वह है कि शायद कोई फक्टरी वगैरह वहां लगे तो क्रिमिनल का आरोप कम हो जाय ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

सारा प्रदेश जानता है कि मिर्जापुर का दक्षिणांचल जो आदिवासियों का इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ है। संयोग से वहां प्रदेश भर की आधे से ज्यादा बिजली पैदा होती है, जमीन इफरात है और रा मैटीरियल भी प्राप्त हो जायगा, तो क्या मुख्य मंत्री जी मिर्जापुर में ही उस कारखाने को लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्कूटर की फैक्टरी वहां लगेगी या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि वहां कुछ बड़ी-बड़ी फैक्टरियां है जैसे अल्मूनियम आदि की। यह भी सही है कि जहां पर बिजली उपलब्ध होगी वहां कारखाने अवश्य दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

बस्ती बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस बात को देखते हुये तथा वहां की जन संख्या और वहां क क्षेत्र फल को देखते हुये क्या इस स्कूटर के कारखाने को वहां पर लगाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बस्ती में स्कूटर की फैक्टरी लगने नहीं जा रही है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमारा जिला 54 वें नम्बर पर आता है। क्या कमी सरकार ने हमारे बदायूं जिले का सर्वे कराया है कि यह कारखाना वहां पर लग सकता है या नहीं या और कोई कारखाना लग सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बड़ी मुश्किल बात है कि एक एक कारखाने के लिये आप पूछने लगें (.... व्यवधान) वैसे बदायूं में एक शुगर फैक्टरी के लिये लाइसेंस हमने मांगा है और उस पर भारत सरकार का बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जहां 6–6 कारखाने हैं वहां आप विचार नहीं करते (व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह जो बीच का अर्थात् बरेली डिवीजन का इलाका जो इतना पिछड़ा हुआ है, क्या सरकार ने उस डिवीजन का भी कोई सर्वे आदि कराया है कि वहां कौन सा कारखाना लग सकता है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बरेली में तो आप जानते हैं कई कारखाने हैं . . . .

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

शाहजहांपुर के बारे में बता दीजिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हां, शाहजहांपुर जिला पिछड़ा हुआ है, यह हम मानते हैं। (व्यवधान)

सुल्तानपुर जिले में चेचक का प्रकोप

** 3—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी) तथा श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि जनपद सुल्तानपुर में पिछले दो महीनों से चेचक का भीषण प्रकोप है जिसके फलस्वरुप 200 नागरिक मर चुके हैं और हजारों चेचक से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो तत्काल रोक थाम हेतु कितने डाक्टर बाहर से इस जनपद में जून और जुलाई 1972 में शासनादेश द्वारा भेजे गये ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

माह मई 1 जून, 1972 में सुल्तानपुर में कोई चेचक का प्रकोप नहीं हुआ। अतः बाहर से डाक्टर भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई तक जनपद सुल्तानपुर में चेचक से कितनी मौतें हुई ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

चेचक तो वहां पर फैली ही नहीं है। दो मृत्युएं खसरा और चिकन-पाक्स से पूरे जिले में हुई है।

श्री बलवीर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि चेचक और खसरा इत्यादि से जिला मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि में काफी मौत हो चुकी है और इसमें गरीब आदमियों के बच्चों की बड़ी तादाद में मौते हुई हैं ? यदि हां, तो क्या वह उत्तर प्रदेश में सब जिलों के अधिकारियों को इस बात से सतर्क करेंगे कि वे इन बीमारियों की रोकथाम की पूरी कोशिश करें ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जहां पर से इस प्रकार का कोई सूचना मिली है, अपने विभाग के जरिये पूरी कार्यवाई की जाती है। जहां तक रोकथाम का प्रश्न है, बराबर टीके लगते रहे हैं। मिसाल के तौर पर जहां का यह प्रश्न है, वहां भी 1 लाख 25 हजार 938 टीके चेचक निरोध के लगाये गये हैं।

श्री राम बिलास पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सूचना मान कर कि वहां पर काफी गरीबों के बच्चों इन बीमारियों से मरे हैं, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधिकारियों ने आपको नहीं दी है, उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि सही रिपोर्ट आ पा सकें ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट को सही मानता हूं और ब्योरेवार मेरे पास सूचना है। चाहें, तो माननीय सदस्य को बताई जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है कि सरकार और सरकारी अधिकारी विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है? मेरी समझ में नहीं आता है क्या कारण है कि मंत्री गण जनप्रतिनिधियों की सूचना सही नहीं मानते है पर अफसरों की सूचना को सही मानते हैं? आप इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी का जो जरिया है जानने का, उसी से मालूम करके बतायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

लेकिन हम उसको चैलेंज करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप करें, लेकिन यह नहीं कह सकते कि उनकी सूचना गलत है।

श्री बंशीधर पांडेय —

कुछ दिनों से यह प्रैक्टिस होती जा रही है कि मंत्रीगण अधिकारियों पर सब जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। लेकिन मिनिस्टर्स जिम्मेदार हैं हाउस के प्रति, अधिकारी हाउस के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। मंत्री जी जो इस सदन में कहते हैं, वह सूचना चाहे जहां से, जिससे मिली हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही पड़ेगी। सोर्स आफ इन्फार्मेशन भले ही उनका कुछ हो, लेकिन जिम्मेदार उनकी ठहराई जायेगी। आपको इस परिपाटी में थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। यह कह कर निकल नहीं सकते है कि यह अफसरों की सूचना है। यदि ऐसा ही है तो उनकी आवश्यकता ही क्या है, यहां अफसर ही आकर सूचना दे दिया करें।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

यह सारी सही सूचना है, इसे आप मंत्री जी की सूचना मानें।

श्री बंशीधर पांडेय—

यदि मंत्री जी ने गलत रिपोर्ट दी है तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न आ सकता है, लेकिन अधिकारियों की ओट लेकर वह इससे बचना चाहते हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से सूचना दे रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मेरी सूचना को आधार मान कर कि सुल्तानपुर के ब्लाक, दोस्तपुर की गांव सभा, राघवपुर शुकुल में ही अकेले 8 लोगों की चेचक से मौत हुई हैं, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? और क्या इसकी भी जांच वह करायेंगे कि 200 आदमियों की जो मौतें दिखाई गई हैं, वे चेचक से नहीं कालरा से हुई हैं?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चेचक के सम्बन्ध में है, कालरा से संबंधित नहीं है। चेचक के सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य प्रश्न करें तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। जहां तक चेचक का सम्बन्ध है मेरे पास गांववार सूची मौजूद नहीं है कि कहां पर, किसके चेचक निकली थी।

श्री शिव कुमार पांडय—

राघवपुर शुकुल ग्राम में 8 आदमी चेचक से मरे हैं मेरी इस सूचना की सही मान कर क्या माननीय मंत्री जी इसका पता लगायेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

आप लिखित सूचना दे देगें तो पता लगा लूंगा।

श्री शिव कुमार पांडेय—

इस पर आप व्यवस्था दे चुके हैं कि लिखित सूचना देने की जरूरत नहीं है और मेरी सदन में सूचना देना ही काफी है। लिहाजा क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना की सही मान कर पता लगायेंगे राघवपुर शुकुल ग्राम में 8 आदमी चेचक से मरे हैं?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

सूचना को ही मान कर मैं पता लगवा लूंगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह अपनी जिम्मेदारी के साथ जबाव दे रहे हैं तो उनकी बात सही है अथवा माननीय सदस्य, सुल्तानपुर ने जो कहा कि इतने कि मृत्यु हो गयीं, वह सही है ? कौन सी बात स्टेंड करती है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवा लूंगा। हर गांव की लिस्ट उनके पास नहीं है।

भूमि व भवन–कर

** 4—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि उसने 1 अप्रैल, 1962 से भूमि व भवन-कर फिर से लागू करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस कर के लगने से सरकार को वित्तीय वर्ष में कितनी आमदनी होगी ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

यह सही है कि शासन ने 1 अप्रैल, 1972 से भूमि और भवन–कर वसूल करने का निश्चय किया है क्योंकि सरकार को प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये अतिरिक्त संसाधनों की बड़ी आवश्यकता है।

उक्त कर से लगभग 2.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आमदनी होने की सम्भावना है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मंत्री जी ने बतलाया कि प्रदेश के विकास के लिये इस कर का लगाना बड़ा जरूरी था तो क्या उनको पता है कि यह कर २ रुपये की कोठरी में रहने वाले अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लगेगा और यह दोहरा कर होगा क्योंकि नगरपालिका पहले ही गृह कर लेती है। इन बातों पर विचार करते हुए क्या सरकार इस कर को वापस लेने हेतु पुनः विचार करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

लोकल बाडीज मे अलग-अलग कर लगाये जाते हैं। यह सरकार की ओर से भूमि भवन–कर लगाया गया है और इससे २ करोड़ ५० लाख रुपये की आमदनी होगी। पंचवर्षीय योजना में रुपये की जरूरत होगी और उसको खयाल में रखकर इसे लगाया गया है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इलाहाबाद के कांग्रेसियों का एक शिष्ट मंडल, सर्वश्री खरे तथा व्यास के नेतृत्व में यहां आया था और मुख्य मंत्री ने उसको आश्वासन दिया था कि इस कर को वापस ले लिया जायगा और प्रदेश के सभी दलों की तरफ इस बात की मांग की गयी है कि यह कर वापस लिया जाय तो क्या सरकार इस कर को वापस लेने के लिये पुनर्विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी

मुझे स्मरण नहीं है कि कोई शिष्ट मंडल मुझसे मिला या किसी शिष्ट मंडल को मैंने आश्वासन दिया। यह आपका सुझाव है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और उसे मैंने सुन लिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

भूमि भवन-कर शहर के अन्दर लगता है बहुत बड़ी मशीनरी उस पर लगती है उसे वसूल करने के लिये और इस प्रकार नेट आमदनी बहुत कम रह जाती है। दूसरे यह डबल टैक्सेशन है। क्या इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार इस पर पुनर्विचार करने, के लिये तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जो सुझाव है इसे मैंने सुन लिया है।

श्री बलबीर सिंह—

इस बात की खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया और वापस लेने के प्रश्न पर वे पुनर्विचार करेंगे लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कर छोटे-छोटे किरायेदारों पर ही नहीं लगता है, सभी किरायेदारों पर ही लगता है। और उन मालिक मकानों से वसूल किया जाता है जो कि वेवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी बहुत कम आमदनी है और जो बहुत ही गरीब आदमी हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि जो छोटे-छोटे और गरीब लोग हैं उन पर इस टैक्स का भार पड़ा है इसलिये क्या सरकार इस स्थिति में है कि इस प्रकार के लोगों को उससे इग्जेम्प्ट करने पर विचार करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपका यह सुझाव ऐसा है जिस पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

स्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास अनेक जिलों से अनेक दलों के शिष्ट मंडल मिलने आये जिन्हें कि यह आश्वासन दिया गया कि सरकार इस बात पर विचार करेगी और टैक्स को वापस लेगी ? इस प्रकार का एक शिष्ट मंडल क्या उनके पास इलाहाबाद से भी आया ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मेरे पास तो कोई शिष्ट मंडल नहीं आया।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इससे 2 करोड़ 50 लाख रुपये वसूल होंगे जब कि इससे कई अधिक रकम बकाया की पड़ी हुई है जिसे कि वसूल होना है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बकाये की रकम को वसूल करके इस भूमि भवन-कर को समाप्त करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, बकाये की वसूली केवल एक ही जगह की है और वह जरूर वसूल होना चाहिये। किन्तु कर जो लगता है वह दूसरी चीज है और बकाये की वसूली दूसरी चीज है। बकाये की वसूली से कर की पूर्ति नहीं की जा सकती और कर को वसूल करके बकाये को नहीं छोड़ा जा सकता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बदायूं नगरपालिका द्वारा गोश्त, सब्जी आदि बाजारों की नीलामी

*1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि बदायूं नगरपालिका द्वारा 2 मार्च, 1972 को सन् 1972–73 के लिये विभिन्न बाजारों में गोस्त, सब्जी आदि बेचने के सम्बन्ध में जो ठेके नीलाम किय गय थ उन ठकों को कमिश्नर, बरेली, डिवीजन ने 3–4–1972 को रद्द कर दिये ? यदि थे हां, तो क्यों और क्या ठेकेदारों को सम्बन्धित ठेकों के लिये दाखिल धनराशि वापिस कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

यह सत्य है कि बदायूं नगरपालिका द्वारा मार्च, 1972 में वर्ष 1972–73 के लिये बिभिन्न बाजारों में गोश्त, सब्जी आदि बेचने के संबंध में जो ठेके नीलाम किये गये थे, उन में से मछली बाजार के ठेके को छोड़ कर कमिश्नर, बरेली डिवीजन ने अप्रैल, 1972 को रद्द कर दिये थ किन्तु बाद में उन्होंन इस मामल पर पुनर्विचार कर के अपना उपरोक्त आदेश निरस्त कर दिया। अतएव, अब ठेकों की जमा की गई धनराशि को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री 3 अप्रैल, 1972 को कमिश्नर रूहेलखंड डिवीजन बरेली का आदेश, जिसके अन्तर्गत उन्होंने ठेके को रद्द कर दिया था, को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जिस आदेश के द्वारा उन्होंने ठेके को निरस्त किया था उस पर पुनर्विचार करके, अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया।

श्री कृष्ण स्कृरूप वैश्य—

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 3 अप्रैल, 1972 को जिसमें कमिश्नर ने ठेके को रद्द किया था और दूसरे जिसके द्वारा उन्होंने उस पर पुनर्विचार किया और अपने पुराने आदेश को निरस्त किया, उनको सदन की पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

पहले आदेश में कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि कुछ मछली बाजार के ठेकों को छोड़ कर बाकी सब चीजें अनियमित हुई हैं और हाई बिडिंग पर नहीं मिली है। इस पर उन्होने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एस0 डी0 एम0 से जांच करायी और सही पाया। उसके बाद निरस्त किया। लेकिन जो बीच का वक्त पड़ा, जब तक निरस्त हुआ, चेयरमैन ने उनसे रुपया जमा करवा लिया और उनका आदेश एक प्रकार से इनफ़क्टुअस सा हो गया। काम पूरा हो गया। उसके बाद आदेश लागू नहीं हो सकता।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इस लाइन में जो लोग बैठे हुये हैं उनको आप समय नहीं देते हैं। शास्त्री जी खड़े हुए, हम खड़े हुये, आपने समय नहीं दिया ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

टेंडरो में यह स्पष्ट कहा गया था कि हायस्ट विडर को सारा रुपया तुरन्त देना होगा और जिसकी अधिकतम बोली हुई उसने रुपया कैश डाउन नहीं किया इसलिये वह ठेके अनियमित थे। 3अप्रैल, 1972की आदेश करने के बाद यदि नगरपालिका के अध्यक्ष ने बाद में जमा करा लिया, क्या यह अनियमित नहीं है? 3 अप्रैल को सारा रुपया जमा नहीं हुआ और आज तक बकाया है, किस्तें नहीं दी गयीं, तो क्या कारण है कि कमिश्नर ने पिछला आदेश निरस्त कर दिया?

श्री बेनी सिंह—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि उस बीच में जब इन्क्वायरी हो रही थी, नीलाम होने के, और कमिश्नर का आदेश जाने के बाद, जो समय मिला तीन चार दिन का उसमें पैसा जमा हो गया और एग्जिक्यूट हो गया। इसलिये यह निरस्त हो गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मंत्री जी बतायेंगे कि जब ठेका कमिश्नर के सामने विचाराधीन था, विचार करने के बाद उन्होंने ठेके को कैंसिल कर दिया और इसी बीच में चेयरमैन ने उन ठेकों के साथ अपना एक कंट्रैक्ट किया जो निरस्त हो गया तो खुद अवैधानिक हो गया फिर मानने का सवाल कहां उठता है?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गालिबन। वहां पर जो विड हुई थी उसे कमिश्नर ने स्टे नहीं किया था, कोई आदेश नहीं दिये थे। एक शिकायती-पत्र आय । उसकी जांच करायी। जांच होती रही। और उस बीच में नगरपालिका के अध्यक्ष ने उस कंट्रैक्ट को एग्जिक्यूट कर दिया। जब तक उनका आदेश आये आये, तब तक यह एग्जिक्यूट हो गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस के नाम ठेका छूटा है वह डिफाल्टर है और दूसरी बात यह है कि ठेके के समय जो शर्त "भारत" अखबार और "आवाज" अखबार में छापी गयी थी उसके अनुसार ठेका नहीं दिया गया, तीसरी बात यह है कि कमिश्नर ने एक बार निरस्त कर दिया था, और चौथी बात यह है कि डी0एम0 ने आज भी रिपोर्ट खिलाफ दी है, इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या दोबारा उच्चाधिकारी से जांच कराने के लिए तैयार हैं?

श्री बेनीसिंह—

जांच एक बार और करवा लेंगे लेकिन नियम के अनुसार निरस्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे यह कानून देख कर बताया जा सकता है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

2 मार्च, 1972 को ठेके हुए और 4 अप्रैल, 1972 को निरस्त किये गये, नगरपालिका के सदस्यों नें 2 मार्च 1972 को शिकायत कर दी जिला अधिकारी नें कमिशनर को रिपोर्ट भेजी, इस बीच में एग्जिक्यूशन नहीं हुआ, और मेरी सूचना को सूचना मान कर कि आज तक बदायूं नगरपालिका के उस ठेकेदार ने ठेके की पूरी रकम नहीं दी है, इसलिये किसी वरिष्ठ अधिकारी से कि बीच में क्यों घपला हुआ? आदेश क्यों निरस्त किया गया? इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों को दण्ड देंगे?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, सदस्य महोदय की सूचना को मैं मान लेता हूं लेकिन अगर वे कृपा कर के इसका विवरण उसकी पुष्टि करने के लिये और हम को दे देंगे तो हम उसकी जांच करायेंगे और अगर पूकोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसको सजा देंगे।

*2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[13वें बुधवार में प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एच० एन० विद्यालय, रामपुर हल्द्वानी (नैनीताल) का भवन

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जन विद्यापीठ का नाई छात्रावास जो कि एच0 एन0 विद्यालय रामपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में है, को विद्यालय खोलने के लिए भवन किसने दिया था? यदि किसी सस्था का यह भवन था तो वह संस्थान कौन है और किसके द्वारा यह संस्था संचालित होती थी?

सामुदायिक विकास, उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

नाई छात्रावास को विद्यालय खोलने के लिये भवन लोक शिक्षण समिति ने दिया था। नाई छात्रावास इसी लोक शिक्षण संस्था के अन्तर्गत चल रहे पीपुल्स कालेज में नाइयों के छात्रावास हेतु निर्मित हुआ था।

लोक शिक्षण समिति एक रजिस्टर्ड संस्था थी जिसके कार्यकारिणी समिति में निम्नांकित सदस्य थे :—

1—श्री एस0 के0 दीक्षित,
2—श्री रामदास,
3—श्री शिवदत्त उपाध्याय,
4—श्री नरायन दत्त तिवारी,
5—डा0 मुन्नी चौबे,
6—श्री करन भाई
7—श्री हरि कृपाल शर्मा,
8—श्री हीरा सिंह,
9—श्री नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
10—श्री लीलाधर पाण्डे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह पिपुल्स कालेज सी0 आई0 ए0 से पोषित संस्था है जिसकी पुष्टि अमेरिका के सीनेट में की गयी है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी है नहीं। पहले तो पी0 आई0 आर0 इसको चलाता था, इसके बाद एक कमेटी थी और अब इसको प्रोविंशियलाइज कर दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नाई का मतलब वही बारबर—हजामत करने वाला है? अगर वही है तो इसकी प्रबन्ध समिति में कोई नाई तो नजर पड़ता नहीं है, इस पर भी जरा प्रकाश डालेंगे?

श्री कृणचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, मैं श्री वीरेन्द्र वर्मा जी की सहायता ले लूंगा यह पता लगाने में कि इस कमेटी में कोई नाई है या नहीं ?

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसको प्रोविंशियलाइज करने के पहले इस संस्था के लियें कोई फारेन एड ली जाती थी ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इस को विदेशी सहायता एशियन फाउंडेशन वगैरह से और जर्मनी से भी कुछ सहायता मिली।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी न बतलाया कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि यह संस्था सी0 आई0 ए0 से सम्बन्धित है अथवा नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा देंगे, साथ ही प्रबन्ध समिति में एक नाम श्री नारायण दत्त तिवारी का आया है, तो क्या ये ही नारायण दत्त तिवारी हैं जो हमारे यहां मंत्री हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, जहां तक अन्दाजा है, यही हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इसकी जांच करावेंगे कि यह सी0 आई0 ए0 से पोषित है, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जर्मनी की किसी संस्था से इसको फारेन ग्रांट मिली है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसकी लिखा पढ़ी या उसकी शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

जर्मनी ने कुछ सहायता दी, उसके बाद तो वह प्राविंशियलाइज हो गया।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस संस्था को सहायता दी जाय, इसको इनीशिएट करने वाला कौन व्यक्ति था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

विस्तृत सूचना तो नहीं है लेकिन यही प्रबन्ध समिति थी, उसने किया होगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

आखिर प्रबन्ध समिति की ओर से मैनेजर या प्रेसिडेन्ट ने लिखा होगा ? आप बात को जानबूझ कर छिपा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि संस्था को अनुदान के लिये किसने लिखा और आप उसे बतला नहीं रहे हैं। प्रबन्ध समिति क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष--

उनको मालूम नहीं है तो क्या बतायें !

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि एशिया फांउडेशन ने इसको वित्तीय सहायता दी थी जो कि सी0 आई0 ए0 की पोषित संस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

एशिया फाउंडेशन या सी0 आई0 से पैसा मिला हो या अमरीका से, मैं तो कहता हू कि अमरीका से हिन्दुस्तान को बहुत पैसा मिला है अगर स्कूल कायम हुआ और उसको किसी से पैसा मिला और अब सरकार ने उसको ले लिया तो पैसा भी लेलिया इसमें आपत्ति की कौन सी बात है।

स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*4--श्री हरिहरनाथ तिवारी , श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री हिम्मत सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में नान-मिनिस्टीरियल तथा मिनिस्टीरियल वर्ग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दस-दस वर्ष की सेवा के बाद भी अभी तक स्थाई नहीं किये गये ? इनकी सेवाओं को स्थाई करने में विलम्ब का क्या कारण है और सरकार कब तक इनकी सेवाओं को स्थाई करने का विचार कर रही है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की सेवा के बाद भी स्थायी नहीं किये जा सके हैं मिनिस्टीरियल वर्ग में 55 हैं तथा नान मिनिस्टीरियल वर्ग में 1,627 हैं। स्थायीकरण में विलम्ब के प्रमुख कारणों में अदालती कार्यवाही का होना, कर्मचारियों द्वारा निर्धारित परीक्षाओं का उत्तीर्ण न किया जाना, उनके द्वारा स्थायीकरण सम्बन्धी आवश्यक कागजात एव सूचना का उपलब्ध न कराया जा सकना तथा पदों के आयोजनागत होने के कारण अस्थायी होना आदि है ।

उपर्युक्त कारणों के समाधान होने पर ही इन कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकेगा। जिला स्तर के कार्यालयों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी--

श्रीमन्, इसके पूर्व कि हम प्रश्न करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रश्न को साढ़े तीन महीने हो चुके हैं फिर भी उन्होंने कहा है कि सूचना उपलब्ध की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

जितनी सूचना उनको मिली है उतनी उन्होंने दी है।

श्री हरिनाथ तिवारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये कर्मचारी दस वर्ष से अस्थाई रहे हैं तो वे कब तक स्थाई होंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसके कई कारण हैं। कुछ ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके स्टे ले लिया है। इसलिये जब तक उसका फैसला न हो जाये कैसे कर सकते हैं। कुछ ने परीक्षा पास नहीं की है इसलिये वे स्थाई नहीं किये जा सकेंगे। कुछ ने कागजात नहीं भेजे हैं। जो लोग क्षमता रखते हैं और उनका स्थाई किया जाना ड्यू है वे फौरन् किये जायेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी--

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि कितन लोगों न रिट दाखिल किया, है कितनों न परीक्षा जांच पास नहीं कीकितनों न कागजजात नहीं भेजे ? उनको गलत रिपोर्ट मिली है, क्या वे इसकी करायेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जांच करा लेंगे जैसा उनका सुझाव है। लेकिन एक हजार योजना के अन्तर्गत कर्मचारी हैं, जो स्थाई नहीं किये जा सकते। यह नीति है।

श्री बलबीर सिंह—

सभी विभागों में 10/15 साल से लोग टम्पोरेरी सर्विस में हैं क्या मुख्य मन्त्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि में उनका स्थाई करन की व्यवस्था कर दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विभागों म कुछ पद स्थायी होत हैं और कुछ घोषित स्थाई पद होत हैं और कुछ अस्थायी पद भी होते हैं। जो पद स्थायी होते हैं उन में जो कर्मचारी 3 साल की अवधि के होते हैं और साथ ही हर तरह से उपयुक्त होते हैं उन को क्रमशः स्थायी करने की चेष्टा की जाती है और वे बहुत सी जगह होते रहते हैं और हुये हैं लेकिन सारे अस्थायी स्थायी नहीं हो सकते। मान लीजिये कि 25 पद हैं जिनको स्थायी घोषित कर रखा है और बाकी कुछ और अस्थायी लोग रख लिये तो 25 स्थानों पर जो कि स्थायी हैं क्रमशःलोगों को भर्ती किया जाता रहता है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहां विभागों में चलती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जिन लोगों ने रिट किया है और हर तरह से ठीक हैं तो रिट में कनसीड क्यों नहीं किया जाता ? क्यों उन्हें स्थायी नहीं किया जाता ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिस एक कर्मचारी ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है उसमें उन्होंने सबका स्टे कर दिया है इसलिये कुछ नहीं किया जा सकता।

ढेबरा (मिर्जापुर), में महिला अस्पताल खोलने की मांग

*5—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में ग्राम ढेबरा (विकास खंड जमालपुर) में महिला अस्पताल खोलने के लिये वहां की जनता तथा प्रधान ने 1970–71 में लिखित मांग की है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां। प्रस्ताव पर जांच की जा रही है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप ज्ञात हुआ कि ढेबरा में अस्पताल की स्थापना का पूरा औचित्य है, तो स्थानों का चुनाव करत समय इस स्थान पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री रामनिहोर राय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि सन् 1970–71 के दिये हुए प्रार्थनापत्र की जांच अभी पूरी नहीं हुई है तो वह कब तक पूरी करा देंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसकी जांच पूरी न होने का कारण यह है कि इस चिकित्सालय के संबंध में जिला स्वास्थ्य कमेटी ने यह कह दिया था कि हम नहीं करेंगे इसे प्लानिंग कमेटी में भेजा जाय, उसके बाद उसको प्लानिंग कमेटी में भेजा गया और प्लानिंग कमेटी ने कह दिया कि इसे स्वास्थ्य कमेटी में ही भेजा जाय लेकिन फिर भी स्वास्थ्य कमेटी नें कोई निर्णय नहीं किया था लेकिन अब 27 मई, 1972 को स्वास्थ्य कमेटी ने निर्णय कर दिया है कि ग्राम ढेबरा में महिला अस्पताल खोले जाने की वह संस्तुति करती है। जब शासन अस्पताल खोलने के विषय पर विचार करेगा तो यहां के लिये भी विचार किया जायगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से मिर्जापुर जनपद में अस्पताल खोलने की योजना है और बहुत सी जगह से प्रदेश में शासन ने सुझाव मांगे हैं तो शासन का अस्पताल खोलने का आधार क्या है? क्या मिर्जापुर में जो आधार स्वास्थ्य कमेटी की शिफारिश का बनाया है वही आधार है और अन्य जिलों में ऐसो कोई व्यवस्था वह कर रहे हैं या नहीं?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिलों की जो स्वास्थ्य कमेटियां हैं उनकी संस्तुति इसलिये मंगाई जाती है कि वहां पर खोले जाने के आधारों से वह सूचित करें जैसे वहां से 5 मील के रेडियस में कोई अस्पताल न हो, नदी से घिरा या जंगल से घिरा क्षेत्र हो, स्थान या मकान अस्पताल के लिये उपलब्ध हो यह सब संस्तुतियां इसलिये मंगाई जाती हैं कि शासन को सब स्थिति का ज्ञान हो जाय और शासन को अन्तिम रूप से निर्णय लेने में आसानी होती है।

श्री रामनिहोर राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अस्पताल के लिये जो सर्वेक्षण होता है उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है और वे सब बातें ग्राम ढेबरा में अस्पताल खोलने के लिये पूरी होती हैं या नहीं? यदि होती हैं तो क्या वह वहां अस्पताल खोलने का निर्णय लेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बहुत शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जानें वाला है और ढेबरा का मामला विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने अभी उत्तर दिया कि जिला स्वास्थ्य समिति सब बातों को देखकर संस्तुति करती है तो जब उन्होंने मई में संस्तुति कर दी तो क्या कारण है कि सरकार अभी तक वहां के लिये स्वीकृति नहीं दे रही है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि शीघ्र करने वाले हैं। सरकार विचार कर रही है, करने वाली है।

*6—श्री निर्भय नारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बलिया में त्वरित योजनान्तर्गत कार्यक्रम में परिवर्तन

*7—श्री निर्भय नारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनाओं में स्वीकृत एवं कार्य प्रारम्भ के बाद भी परिवर्तन किये गये? यदि हां, तो क्या परिवर्तन कार्यक्रम की स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां। बलिया जिले की त्वरित योजनाओं पर शासन ने 23 अक्टूबर 1971 को 36,43,200 रु0 की स्वीकृति दी थी जिसम 61 कि0मी0 सड़कें तथा 8 बांध शामिले थे। इन परियोजनाओं में कतिपय परिवर्तन की सूचना जिला अधिकारी से प्राप्त हुई है जिनके पूर्ण विवरण अब प्राप्त हुये हैं। जांच के पश्चात् स्वीकृति दी जायगी।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्वास्थ्य चिकित्सक, फतेहपुर मंडाव (आजमगढ़) के विरुद्ध शिकायतें

*8—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-2-1972 और 18-3-1972 को भेजा हुआ रजिस्टर्ड शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य निदेशक महोदय को प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य चिकित्सक, फतेहपुर मंडाव जिला आजमगढ़ ने नसबन्दी अभियान के दौरान व्यक्तियों की नसबन्दी किये बिना ही सरकारी रुपया वसूल कर लिया है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

जी नहीं ।

श्री केदार नाथ सिंह, ब्लाक प्रमुख, गोपा गंज, जिला आजमगढ़ के तहसीलदार, घोसी को 10-2-1972 को एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें यह आरोप लगाये गये थे कि डा० एस० के० सिंह, चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, मंडाव ने दो आदमियों की फर्जी नसबन्दी दिखाई। एस० डी० एम० घोसी ने जांच के पश्चात् आरोपों को सही पाया। इस संबन्ध में नसबन्दी कराने के लिये दिये जाने वाले रुपये का भुगतान नहीं हो पाया क्योंकि भुगतान के समय ही मामला पकड़ लिया गया। डाक्टर के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की हो रही है ।

[२५ जुलाई, १९७२ के लिये निर्धारित ताराकित प्रश्न]

रिषीकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का अनुदान

*1—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, सहारनपुर ने रिषीकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार के अनुदान बढ़ाने के विषय में कोई पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 को निदेशक आयुर्वेदिक, लखनऊ की सेवा में भेजा है ? यदि हां, तो अब तक उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य —

नहीं, जिला अधिकारी, सहारनपुर ने रिषीकुल आयुवदिक कालेज, हरिद्वार। अनुदान बढ़ाने के विषय, में कोई पत्र आयुर्वेदिक निदेशक को दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 को नहीं भेजा है ।

ललुही बीज भन्डार (बहराइच) में गबन

*2—श्री सुख पाल पाण्डेय, तथा श्री राम करन सिंह —

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नानपारा, जिला बहराइच के अन्तर्गत ग्राम ललुही बीज भंडार में खाद में लाखों रुपये का गबन है ? यदि हां, तो इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)—

जिला बहराइच में ललुही बीज भंडार पर खादों में रु० 1,03,265.42 पैसे का गबन प्रकाश में आया है । मामला पुलिस को जांच हेतु दे दिया गया । पुलिस द्वारा जांच चल रही है ।

श्री उमा शंकर सिंह को दिनांक 19 फरवरी, 1972 को निलम्बित कर देने के पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

बलिया की मलोपयोगी योजनान्तर्गत निर्मित नाली

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी —

क्या सरकार को जानकारी है कि सन् 1969 में स्वायत्त शासन विभाग, वाराणसी शाखा द्वारा बलिया नगरपालिका क्षेत्र में मलोपयोगी योजना के अन्तर्गत नाली निर्माण तथा अन्य कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्ष 1971 तक इस पर 5 लाख रुपये व्यय दिखा ये जा चुके हैं किन्तु निर्मित नाली त्रुटिपूर्ण बन गयी है जिससे गन्दे पानी का निकास होना असम्भव है? यदि हां, तो त्रुटिपूर्ण नाली निर्मित होने पर ठेकेदार को उसका भुगतान किसकी आज्ञा से किया गया ?

श्री बेनीसिंह —

वर्ष 1969 से बलिया मलोपयोगी योजना के अन्तर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशन, पेस-डिपो व कुछ नालियों का निर्माण किया गया है और वर्ष 1971 तक 5 लाख रुपये व्यय हो चुका था। निर्मित नालियों का निर्माण त्रुटिपूर्ण नहीं है और गन्दे पानी का निकास बराबर हो रहा है ।

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी —

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त त्रुटिपूर्ण नाली निर्मित किये जाने की सूचना विभागीय अधिकारियों और नगरपालिका न पारित प्रस्ताव द्वारा भी सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तथ्य की जांच करायगी ?

श्री बेनीसिंह —

जी हां । नगरपालिका, बलिया ने निर्माण कार्यों के त्रुटि के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव की सूचना जब शासन को मिली तो मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियत्रण विभाग से इस विषय में जांच करने और रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया है कि निर्माण कार्यों को पूरा करके नालियों का हस्तान्तरण नगर पालिका, बलिया को कर दिया है और वही उसका रख रखाव कर रही है ।

जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला नियोजन कार्यालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश

*5—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

*क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सच है कि जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ ने अपने कार्यालय के पत्रांक 4007/नि0-1/स्था0, दिनांक 30 जुलाई, 1971 के द्वारा प्रशासनिक आधार पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये थे ? क्या यह भी सच है कि उसी दिन उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश संशोधित भी कर दिये गये? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । यह सच है कि प्रश्न में संदर्भित पत्र द्वारा जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ ने कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से किये थे और प्रशासकीय कारणों से ही उसी दिन उक्त स्थानान्तरण आदेश को संशोधित भी किया था।

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ का स्थानान्तरण अलीगढ़ से अल्मोड़ा के लिये माह दिसम्बर, 1971 में कर दिया गया था? यदि हां, तो स्थानान्तरण आदेश माह दिसम्बर, 1971 को किस तिथि को निर्गत किये गय

और जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ को उक्त आदेश किस तिथि में प्राप्त हुए हैं? क्या उन्हें अलीगढ़ से कार्यभार से मुक्त (रिलीव) कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सच नहीं है कि जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ का स्थानान्तरण अलीगढ़ से हो गया है। हां, वहां के अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी का स्थानान्तरण अलीगढ़ से अतिरिक्त परियोजना अधिकारी के पद पर अल्मोड़ा हो गया था। शासकीय आदेश दिनांक 21–12 1971 को प्रसारित हुआ था जो जिलाधीश, अलीगढ़ को 27–12–1971 को प्राप्त हुआ। अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ को प्रशासकीय दृष्टि से एवं जनहित में कार्यभार से अभी मुक्त नहीं किया गया है।

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[24वें मंगलवार के प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मड़ियाहूं–मछलीशहर सड़क (जौनपुर) को पक्की करने हेतु स्वीकृत धनराशि

*8—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर), श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी), श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जनपद मड़ियाहूं से मछलीशहर सड़क को पक्की कराने के लिये 3, 35, 250 रु0 (तीन लाख पैंतीस हजार दो सौ पचास) की स्वीकृत धनराशि जिला परिषद्, जौनपुर के खाते में जमा है? यदि हां, तो कब से और उस धनराशि में से कितना धन व्यय हुआ और कितना शेष है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सेन्ट्रल रोड फन्ड योजना के अन्तर्गत दिनांक 4–10–60 को जौनपुर जनपद में मड़ियाहूं से मछलीशहर जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु रु0 3,35,250 स्वीकृत किया गया था जिसमें से रु0 77,036 सड़क के किनारे मील व फरलांग के पत्थर लगाने तथा 11 पुलियों के निर्माण पर व्यय किया गया। अवशेष रु0 2,58,214 जिला परिषद्, जौनपुर के खाते में जमा है।

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री जगन्नाथ राग, श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री उमानाथ सिंह तथा श्री राम वचन—

क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि उपरोक्त धनराशि व्यय न की जाय? क्या सरकार उक्त सड़क को पक्की बनाने के किये आदेश देकर उसको पक्की बनाने का कष्ट करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपरोक्त अवशेष धनराशि से इस सड़क के निर्माण की सम्भावना नहीं है इसलिये उसे व्यय न करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत अब भारत सरकार से और धनराशि मिलने की आशा नहीं है अतएव इस सड़क को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा पक्की कराना सम्भव नहीं है।

परिवार नियोजन की विशेष योजना

*10—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं मुजफ्फरनगर जिले में परिवार नियोजन की क्या कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

जी हां । विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में एक विश्व बैंक इण्डिया पापुलेशन प्रोजेक्ट चलाने का निर्णय लिया गया है ।

विभिन्न प्रकार के नये चिकित्सालयों की स्थापना

*11--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1971-72 में प्रदेश में कहां-कहां और कितने- कितने नये एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक औषधालय तथा महिला चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं, क्या सचल चिकित्सालयों की भी स्थापना की गई है? यदि हां, तो कितने और कहा-कहां?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वांछित सूचना सलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1437 पर)

प्रतापगढ़ जिले की हेल्थ विजिटर्स एवं मिडवाइफ्स का बकाया वेतन

*12--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत श्रीमती भट्टाचार्य हेल्थ विजीटर, श्रीमती सरला देवी हेल्थ बिजटर, श्रीमती पी0 पी0 सारा मेडवाइफ तथा श्रीमती आई0 डब्ल्यू0 थ्यापिस मिडवाइफ का कब से कब तक का वेतन बाकी है? क्या इस सम्बन्ध में 80 सी0 पी0 सी0 की नोटिस भी दी गई है? नोटिस कितने की है और आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? वेतन शेष रहने का कारण क्या है? क्या सरकार अविलम्ब शेष वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमती भट्टाचार्य नाम की कोई भी हेल्थ विजीटर प्रतापगढ़ जनपद में कार्यरत नहीं है । श्रीमती सरला देवी, हेल्थ विजीटर का दिनांक 1-5-68 से 31-8-63 तक का तथा दिनांक 16-3-70 से 17-7-70 तक का वेतन देय है । श्रीमती पी0 पी0 सारा, मिडवाइफ का कोई वेतन देय नहीं है ।

श्रीमती आई0 डब्ल्यू0 थियोफिल्स का दिनांक 1-7-69 से 13-7-69 का ड्यूटी वेतन तथा दिनांक 14-7-69 से 15-10-69 तक का अवकाश कालीन वेतन देय है ।

श्रीमती सरला देवी तथा श्रीमती आई0 डब्ल्यू0 थियोफिल्स ने अपने देय धन के सम्बन्ध में 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस दिया था । श्रीमती सरला देवी के दिनांक 1-5-63 से 31-8-68 तक के देय धनों का बिल जिला स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रिआडिट हेतु भेज दिया गया है । उनके दिनांक 16-3-70 से 17-7-70 तक का पैसा बैंक ड्राफ्ट द्वारा चिकित्सा अधिकारी, तारुल जिला फैजाबाद को दिनांक 24-6-72 को श्रीमती सरला देवी को भुगतान हेतु भेज दिया गया है ।

श्रीमती आई0 डब्ल्यू0 फियोफिल्स ने अपना देय वेतन लेने से इन्कार कर दिया ।

जिला परिषद, सहारनपुर की पजीकृत चमड़ा रंगाई समितियां

*13--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, सहारनपुर के अन्तर्गत कितनी चमड़ा रंगाई सोसाइटियां पंजीकृत हैं और उन सभी सोसाइटियों से वर्ष 1970-71 तथा वर्ष 1971-72 में प्रत्येक से कितनी, कितनी लाइसेन्स फीस वसूल की गई है? क्या यह भी सहीहै, कि सोसाइटी क प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग भी लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है ? यदिंह तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला परिषदों में कार्यरत कार्य अधिकारियों का चुनाव तथा स्थानान्तरण

*14---श्री सन्तराम (जिला गोंडा)---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिला परिषद् में कितने कार्य अधिकारी ऐसे कायरत हैं जिनका चुनाव सेवा आयोग द्वारा नहीं किया गया है, और कितनों का आयोग द्वारा किया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इस समय 3 ऐसे कार्य अधिकारी हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं और 33 ऐसे कार्य अधिकारी हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं । 6 रिक्त पदों पर अल्पकालीन प्रबन्ध चल रहे हैं ।

*15---श्री सन्त राम---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने कार्य अधिकारी ऐसे हैं जो एक ही जिले में लगातार 5 वर्षों की अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं । ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

ऐसे कार्य अधिकारियों की संख्या आठ है । इनमें से तीन केन्द्रीय संवर्ग संक्राम्य में सम्मिलित नहीं किये गए हैं अतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है और शेष 5 के स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से नहीं किये जा सके हैं ।

गाजियाबाद सुधार मंडल के लेखाकार

*16---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद सुधार मन्डल में लेखाकारों के पद पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा उनमें उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जो कि शैक्षिक योग्यता न होते हुए भी कई-कई वर्षों से उन पदों पर नियुक्त हैं ?

श्री बेनी सिंह---

गाजियाबाद सुधार मण्डल में लेखाकार का केवल एक पद है जिस पर श्री शिवकुमार मित्तल 6 मई, 1968 से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं । इस पद के लिये शैक्षिक योग्यता अभी निर्धारित नहीं है ।

अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) के विरुद्ध शिकायतें

*17---श्री मंजूर अहमद---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विषय में शिकायतें कृषि निदेशक ने पिछले 7 व 8 महीने में भेजी है और जिसकी पुष्टि राज्य कृषि मन्त्री ने भी करते हुए अतिरिक्त, कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) को उनके पद से हटाने की सिफारिश की है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या-क्या शिकायतें हैं और क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम लखन---

श्री अमर सिंह अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) के विरुद्ध वर्ष 1970 में प्राप्त शिकायती पत्र कृषि निदेशक को जांच के हेतु भेजा गया था। कृषि निदेशक को संस्तुति के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई जा रही है। कृषि निदेशक ने अतिरिक्त कृषि निदशक (भूमि संरक्षण) को उनके पद से हटाने की सिफारिश नहीं की है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिन शिकायतों की जांच की जा रही है उनका विवरण देना जनहित में न होगा।

आयुर्वेदिक एवं तिब्बिया आकादमी के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*18---श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक एवं तिब्बिया अकादमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों को शासन ने जी0ओ0 संख्या 3424सी/बी-2-आर0सी0 0149, दिनांक 17 जनवरी, 1961 के अनुसार स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के समान मानने का आदेश दिया है? यदि हां तो क्या सरकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 1558-टी09-क-89, सा0 श्र0-1967, दिनांक 28 मई, 1971 द्वारा प्रदत्त आठ रुपया अन्तरिम सहायता अप्रैल, 1971 से आयुर्वेदिक एवं तिब्बिया आकादमी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी दगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां।

बांदा जिले के सेनीटरी इन्सपेक्टर्स का हेडक्वार्टर

*19---श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

प्रथम सत्र 1972 के तीसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि महुआ ब्लाक के सैनीटरी इन्स्पेक्टर का हेडक्वार्टर अतर्रा है और नरेनी के सेनीटरी इन्स्पेक्टर का हेडक्वार्टर नरेनी है? यदि हां, तो नरेनी के स्वास्थ्य निरीक्षक को दूसरे निरीक्षक (महुआ) के क्षेत्र में कार्य करने लिये भेजने का क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

महुआ ब्लाक के सेनेटरी इन्स्पेक्टर का हेड क्वाटर महुआ है और नरेनी के सेनेटरी इन्सपेक्टर का नरेनी किन्तु महुआ ब्लाक के सेनेटरी इन्सपेक्टर को जो अतर्रा में रहते थे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बांदा ने आदेश दिया है कि वे अपना आवास अतर्रा से हटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ में बनायें।

पहले नरेनी के सेनेटरी इन्स्पेक्टर से महुआ ब्लाक का कार्य भी लिया जाता था, क्योंकि नरेनी से अतर्रा 10 मील है और अतर्रासे महुआ 14 मील दूर है। किन्तु 1-4-72 से यह व्यवस्था समाप्त कर महुआ ब्लाक के सेनेटरी इन्स्पेक्टर को ही अतर्रा का कार्य देखने को कहा गया है।

बदायूं में नेत्र चिकित्सालय भवन का निर्माण

*20---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बदायूं में कोई आंखों का अस्पताल जिलाधिकारी, बदायूं की देख-रेख में बन रहा है और जनता व अन्य व्यक्तियों से 31 मार्च सन् 1972 तक कितना-कितना रुपया वसूल हुआ और इसमें से कितना व्यय हुआ है? क्या इस सम्बन्ध में इमारत बनाने और फर्नीचर, इक्यूपमेन्ट मशीनें वगरह फिट करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी गयी है?

श्री धर्मदत्त बंध—

जिला आई० रिलीफ सोसायटी, बदायूं के संरक्षण में नेत्र चिकित्सालय का भवन निर्माण हो रहा है।

तारीख 31 मार्च, 1972 तक 42,000 रुपये की धनराशि चन्दे के रूप में इकट्ठा हुई और उसमें से रु० 29,043.14 पैसे व्यय हुआ।

भवन निर्माण के अतिरिक्त अभी और कोई योजना नहीं है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र विकास निगम की स्थापना

*21—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र विकास निगम कब स्थापित हुई और उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी पूंजी उसमें व्यय हुई और इस निगम को कब पंजीकृत किया गया है इसके चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं संचालन मण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं और निगम ने अब तक किस तरह का व्यापार या कारोबार किया और उसमें क्या लाभ या प्रगति हुई है? क्या इस निगम व परिषद् की देख रेख के लिये एक अलग मन्त्रालय सरकार ने स्थापित किया है? उसकी रूप-रेखा क्या है तथा पश्चिमी क्षेत्र का निगम कब स्थापित करने जा रहे है?

श्री राम लखन—

उ० प्र० बुन्देलखंड विकास निगम को स्थापना 27-3-71 एवं उ० प्र० पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना 30-3-71 को हुई। 1971-72 तक उ० प्र० सरकार को 50 लाख रु० की धनराशि अंशपूंजी के रूप में प्रत्येक निगम को स्वीकृति की गई है। दोनों निगमों का पंजीकरण 30 मार्च, 1971 को हुआ।

निगमों के चेयरमैन, मैनजिंग डाइरेक्टर, एवं संचालक मण्डल के सदस्य निम्नलिखित है:—

	उ० प्र० बुन्देलखंड विकास निगम	उ० प्र० पूर्वांचल विकास निगम
चयरमैन	कृषि उत्पादन आयुक्त	कृषि उत्पादन आयुक्त
मैनेजिंग डाइरेक्टर	जिलाधिकारी, झांसी	जिलाधिकारी, फैजाबाद
संचालक मण्डल के सदस्य	(1) वित्त सचिव	(1) वित्त सचिव
	(2) नियोजन सचिव	(2) नियोजन सचिव
	(3) कृषि निदेशक	(3) कृषि निदेशक

निगमों द्वारा किये गये व्यापार एवं कारोबार तथा उनकी प्रगति का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। जहां तक निगमों को होने वाले लाभ का प्रश्न है, वास्तविक स्थिति उक्त निगमों को बैलेन्स शीट से तैयार होने के बाद तथा आडिट हो जाने पर ही ज्ञात हो सकती है।

उपरोक्त निगमों के देख रेख के लिये कोई अलग मन्त्रालय स्थापित नहीं किया गया है।

पश्चिमी क्षेत्र के निगम की स्थापना के विषय में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1439 पर)

यू० पी० इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल, सांइसेज, कानपुर की कक्षाओं में पिछड़े तथा हरिजन छात्रों के सुरक्षित स्थान

*22—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि यू0 पी0 इन्सटीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल, साइन्सेज, कानपुर में बी0 एस0 सी0 कृषि प्रथम तथा एम0 एस0 सी0 प्रथम कृषि कक्षाओं में भर्ती होने लिये कोई नियम हैं और क्या उसके अन्तर्गत पिछड़े और हरिजनों के लिये कोई प्रतिशत स्थान निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये स्थान सुरक्षित करने की कृपा करेगी?

श्री राम लखन—

जी हां। नियमों के अन्तर्गत 18 प्रतिशत स्थान अनुसूचित तथा जनजाति के लिये आरक्षित है पर पिछड़े वर्ग के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी लिपिक

*23— श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के कितने ऐसे लिपिक हैं जिनकी सेवा अवधि तीन बर्ष से अधिक होने पर भी स्थायी नहीं किया गया है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत 1753 ऐसे लिपिक हैं जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक होने पर भी उनको स्थायी नहीं किया जा सका है।

प्रतापगढ़ जिले में अतिरिक्त अस्पताल खोलने का प्रस्ताव

*24— श्री जयराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शल्यक, प्रतापगढ़ ने जिले में अतिरिक्त अस्पताल खोलने हेतु शासन को दिनांक 20 सितम्बर, 1971 को पत्र भेजा है? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिद्धपुर विकास क्षेत्र (एटा) की ग्राम सभाओं का आडिट तथा निरीक्षण

*25— श्री सियाराम—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के विकास क्षेत्र सिद्धपुर की ग्राम सभाओं का आडिट तथा सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण सन् 1972 से नहीं हुआ है? यदि हां, तो वे ग्राम सभायें कौन-कौन हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1971–72 में विकास क्षेत्र सिद्धपुर जिला एटा की कुल 117 गांवसभाओं में से 14 गांवसभाओं का आडिट तथा सहायक अधिकारी (पंचायत) द्वारा 38 गांव सभाओं का निरीक्षण नहीं हुआ है। सम्बन्धित गांव सभावों की सूचियां प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1440 पर)

*26—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[11वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित]

कृषि विभाग, बुलन्दशहर के अनुसूचित जातियों के कुर्क अमीनों की छटनी

*27— श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कृषि विभाग में अनुसूचित जातियों के कुर्क अमीनों की संख्या क्या है? क्या उन्हें 18 प्रतिशत से कम कोटा होते हुए भी छटनी की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामलखन—

वर्ष 1971–72 में बुलन्दशहर जिले में कृषि विभाग में कार्यरत अमीनों की संख्या 195 थी। उसमें से अनुसूचित जाति के तकाबी अमीनों की संख्या 37 थी जो लगभग 19 प्रतिशत होती है। इस जनपद में अमीनों की छटनी नहीं की गई है।

अन्तरिम जिला परिषद, मैनपुरी की बैठकें

*28— श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1971–72 में अन्तरिम जिला परिषद, मैनपुरी के पुनर्गठित होने के पश्चात् दिनांक 18 अप्रैल, 1972 ई0 तक जिलाधिकारी महोदय ने अध्यक्ष, जिला परिषद् की हैसियत से कितनी बैठकें आहूत की? और इन बैठक की कार्यवाही कार्यक्रम (एजेन्डा) के विषय क्या थे? उन पर परिषद ने क्या-क्या निर्णय लिए?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी, मैनपुरी में 1971–72 में जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति की पांच बार बैठकें बुलाई थी परन्तु गैर सरकारी सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बैठकों को स्थगित कर देना पड़ा। ये बैठकें केवल जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सदस्यों के सुझाव आमन्त्रित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। उनका कोई अन्य कार्यक्रम (एजेन्डा) नहीं था। अतः एजेन्डा के विषयों पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, सहारनपुर की जुबली पार्क में टेलर मार्केट बनाने की स्वीकृति

*29— श्री राम सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि माह मार्च, 1972 में नगर पालिका सहारनपुर में स्थित जुबली पार्क में बोर्ड ने एक टेलर मार्किट बनाने की स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें हस्तक्षेप करके सार्वजनिक महत्व के इस पार्क को बरबाद होने से रोकेगी?

श्री बेनी सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद का निरीक्षण तथा कम्पनीबाग में चाय की दुकान

*30—श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र तथा श्री महेश्वर दत्त सिंह (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि कृषि राज्य मंत्री ने दिनांक 16 फरवरी, 1972 को अधीक्षक राजकीय उद्यान, फैजाबाद का निरीक्षण किया था जिसमें बहुत सी अनियमितायें मिली थीं? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम लखन—

जी हां। जो अनियमिततायें मिली उसके लिये अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

*31—श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र तथा श्री महेश्वर दत्त सिंह—

क्या सरकार को यह मालूम है कि अधीक्षक राजकीय उद्यान, फैजाबाद ने कम्पनी बाग, फैजाबाद में अवैधानिक रूप से चाय की दूकान खोलने की अनुमति दे रखी है ? क्या सरकार इसकी अबिलम्ब जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन—

कम्पनी बाग, फैजाबाद में किसी को चाय की दुकान खोलने की अनुमति नही दी गयी है। जांच का प्रश्न नही उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित दवायें उपकरणों तथा कान्टिजेन्सी का प्रयोग

*32—श्री रमापति त्रिपाठी तथा श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित दवायें, उपकरणों और कान्टिजेन्सी का प्रयोग चिकित्साधिकारी को करना चाहिये परन्तु इलाहाबाद जनपद से समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पूर्ण धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं करते हैं जोकि शासकीय नियम के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

शासन के निर्देश यह है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों से उपकरणों एवं औषधियों के "इन्डेन्ट" प्राप्त करके संगठित रूप से सामान के क्रय के आदेश देंगे । सामान चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जायगा तथा मूल्य का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जायगा । इसके अतिरिक्त सभी मदों हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग चिकित्सा अधिकारी करेंगे। इलाहाबाद में भी इन आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

इलाहाबाद जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में दवाओं की सहायतार्थ दी गई धनराशि

*33—श्री रमापति त्रिपाठी तथा श्री राजितराम पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में माह सितम्बर, 1971 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हेतु राज्य की ओर से दवाओं की सहायता के लिये धनराशि दी गई थी उस धनराशि को कब खर्च किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सितम्बर, 1971 से जनवरी, 1972 तक व्यय किया गया ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग में कार्यरत सम्प्रेक्षा दल एवं जांच

*34—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवा विभाग में कितने सम्प्रेक्षा दल (आडिट पार्टी) कार्यरत हैं ? क्या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 850 से भी अधिक जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (अस्पताल) हैं ? उनकी जांच समय के अन्तर्गत नहीं की जा रही है जबकि इन अस्पतालों के डाक्टरों को आहरण एवं वितरण के अधिकार दे दिये गये हैं ? क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि इन, ग्रामींण क्षेत्र के अस्पतालों की वर्ष में कम से कम एक बार सम्प्रेक्षा कराने हेतु कितने आन्तरिक सम्प्रेक्षा दलों की और आवश्यकता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इस समय 5 सम्प्रेक्षा दल (आडिट पार्टी) कार्यरत हुए । ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के हिसाब किताब की जांच भी उन्हीं के द्वारा की जाती है । वर्ष में कम से कम एक बार जांच करने का निर्णय शासन ने नहीं लिया है । अतः अतिरिक्त सम्प्रेक्षा दलों की आवश्यकता का प्रश्न नही उठता ।

पंचायत समौड़ा (फर्रुखाबाद) के कागजात का निरीक्षण एवं प्राइमरी पाठशाला का भवन

*35—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि पंचायत समौड़ा, ब्लाक मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद के कागजातों का निरीक्षण कब और किस सन् में हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि समौड़ा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला निर्माण हेतु कितना धन दिया ? क्या उक्त पाठशाला का निर्माण हुआ अथवा नहीं ? यदि हुआ है, तो उस कार्य की पूर्ति किस तिथि को हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गांव पंचायत समौडा, विकास खन्ड मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद, के कागजातों का निरीक्षण प्रधान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण नहीं हुआ है । ग्राम सभा समौड़ा के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला निर्माण हेतु शासन द्वारा धन नहीं दिया गया। पाठशाला भवन का निर्माण नहीं हुआ ।

आजमगढ़ जिले के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ध्वस्त प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की मांग

*36—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न कर्ता नें जो दिनांक 25 जनवरी, 1972 को सामुदायिक विकास संघ पंचायत राज मंत्री जी को बाढ़ एवं, अतिवृष्टि से ध्वस्त भवन, प्राइमरी पाठशालायें सिसवा, प्राइमरी पाठशाला परसिया तथा प्राइमरी पाठशाला मारुफपुर, तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु लिखित मांग किया था, उस पर मंत्री जी ने क्या आदेश दिया है और तदनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, उक्त स्कूल भवनों के निर्माण कराने के आदेश दिये गये । उक्त स्कूल भवनों के निर्माण के लिये आगणन बन गये हैं । लेकिन जमीन परिषद् के नाम अभी गांव सभा आदि नें नहीं दिया है । जिससे निर्माण कार्य कराने में दिक्कत है । प्रधानों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया है ।

*37—श्री लालसा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्राइमरी पाठशाला सिसवा का भवन गत कितने वर्षों से ध्वस्त पड़ा है और अभी तक इसका निर्माण न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्राइमरी पाठशाला सिसवा के भवन का आगणन बहुत पहिले का बना है तथा स्वीकृत भी है परन्तु अभी तक ग्रामवासियों ने जमीन का कोई प्रबंध नहीं किया है जिसके कारण भवन नहीं बन सका है ।

गोंडा जिले में त्वरित योजनान्तर्गत मार्गों का निर्माण

*38—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोन्डा में त्वरित योजना के अन्तर्गत कुल कितने मील मार्गों का निर्माण किया जा रहा है ? उन मार्गों के नाम क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि मार्गों के निर्माण के कार्य में कुल कितना रुपया 31 मार्च, 1972 तक व्यय किया जा चुका है तथा वे कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् गोंडा के जूनियर हाई स्कूल एवं बेसिक प्राइमरी स्कूलों के लिये मंगाये गये लेखन, सामग्री, फर्नीचर इत्यादि

*39—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के जिला परिषद् कार्यालय में 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1972 तक कुल कितने रुपये की लागत से जूनियर हाई स्कुलों एवं बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये पाठ्य-पुस्तक, लेखन सामाग्री, फर्नीचर आदि मंगाये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1972 के बीच जिला परिषद् गोन्डा द्वारा रु0 5,77,056.73 की लेखन सामग्री पाठय पुस्तकें, फर्नीचर आदि पाठशालाओं के लिये क्रय किया गया है

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के अधिदर्शक एवं प्रभारी अधिदर्शक की नियुक्तियां

*40— श्री नरोत्तम सिंह, श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं) तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तरप्रदेश में सितम्बर, 1969 के पश्चात् अधिदर्शक (वि0या0) के नियमित (रेगुलर) पद पर अब तक कितनी बार और कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं और क्या यह सच है विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारी अधिदर्शक (वि0या0) के कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें 1,2 या 3 वर्ष का समय हो जाने पर भी अभी तक नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है?

श्री बेनी सिंह—

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सितम्बर, 1969 के पश्चात् अधिदर्शक (वि०एवं या०) के नियमित (रेगुलर) पदों पर अब तक सात बार कुल 34 नियुक्तियां हुई है । विभाग में . स समय 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ढ़ाई-तीन वर्षों से वर्क-चार्ज में कार्य कर रहे हैं लेकिन उनकी अभी तक (रेगुलर) पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है ।

रसायनिक खाद की कीमत निर्धारण एवं तराजू और बांट

*41—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को जो रसायनिक खाद दी जाती है उसकी कीमत नेट-वेट (मूल भार) पर दी जाती है अथवा कुल भार (ग्रासवेट) पर ?

श्री राम लखन---

ब्युरेट आफ पोटास के अलावा सभी रसायनिक खाद ग्रास वेट पर खरीदी जाती हैं और ग्रास वेट पर ही बेची जाती हैं । ब्युरेट आफ पोटाश नेट वेट पर खरीदा जाता है और नेट वेट पर ही बेचा जाता है ।

*42---श्री हुकुम सिंह परिहार---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में कितने ऐसे बेसिक सीड स्टोर अथवा सब सीड स्टोर हैं, जहां पर तराजू और बांट उनके प्रारम्भ होने के कई वर्ष बाद विभाग द्वारा सप्लाई किये गये ?

श्री राम लखन---

प्रदेश के सभी बेसिक सीड स्टोरों तथा ब्लाक और पैकेज बीज भंडारों पर तराजू और बांट की व्यवस्था उनकी स्थापना के समय ही कर दी गई थी ।

कृषि फार्म, बीमरापुर (शाहजहांपुर) का निर्मित भवन

*43---श्री राम मूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि सरकारी कृषि फार्म बीमरापुर, जिला शाहजहांपुर का भवन 1960 में जिस ठेकेदार द्वारा बनाया गया उक्त ठेकेदार को इस कार्य के लिये पेमेन्ट अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पूरा पेमेंट हो जायगा ?

श्री राम लखन---

ठेकेदार को पूरा पेमेन्ट किया जा चुका है । केवल कार्टेज चार्जेज के क्लेम के एक अंश (3,943 रु0-) के भुगतान का मामला शासन के विचाराधीन है ।

ढकौली भवन बहादुरनगर (बुलन्दशहर) की श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़क

*44---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सड़क ढकौली से भवन बहादुर नगर ढाई मील लम्बा मार्ग पर श्रमदान 1971-72 में इस आश्वासन पर किया था कि जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला परिषद् तथा सहकारी गन्ना समिति इसे पक्का कर देंगे ? यदि हां, तो श्रमदान के पश्चात् अब पक्का क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

प्रश्न गत मार्ग जिला परिषद् के अन्तर्गत नहीं है। इसलियें परिषद् द्वारा इस सड़क को पक्कीं कराने का प्रश्न हीन हीं उठता ।

ग्राम ब्रह्मपुर एवं बरबहसा (गोरखपुर) के सरकारी अस्पताल

*45---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदार नगर के अन्तर्गत ग्राम ब्रम्हपुर एवं बरबसहा जो बहुत ही सन्निकट दूरी में स्थित हैं प्रत्येक में एक-एक सरकारी अस्पताल हैं इनमें से किसी एक को यहां से हटाकर मीठाबेल ग्राम या अन्य किसी ग्राम में ले जानें से सम्बन्धित कितने प्रार्थना-पत्र सन् 1969 से मार्च, 1972 तक जनता एवं प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को प्राप्त हुये ? इस पर क्या कार्यवाही अब तक कीं गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां । चार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं । इस मामले में जांच करा ली गई है । शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

सीतापुर जिले क बेहटा क्षेत्र में अस्पताल खोलने का विचार

*46—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के बेहटा निर्वाचन क्षेत्र में 10 मील से 12 मील की दूरी पर अस्पताल नहीं है यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अनुसार सिरकिडा, सोसरी, मल्लापुर, भगदापुर स्थानों पर इसी वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । कथित स्थानों पर अस्पतालों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

हसनपुर (मुरादाबाद) में त्वरित योजनान्तर्गत सड़कों एवं पुलों का निर्माण

*47—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के लिये कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितनी सड़कें बाढ़ पीढ़ित क्षेत्र को स्वीकृत हुई और कितनी बन रही है और कितनी पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ और उसका कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बाढ़ पीडित क्षेत्रों के लिये कोई अलग से प्राविधान नहीं है । जिला समिति के निर्णय के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित होता है उसी के अनुसार शासन की स्वीकृति दी जाती है । हसनपुर बाढ़ क्षेत्र में दो सड़कें ली गई हैं ।

1—दौरारा-गगेश्वरी 4 कि0 मी0, 3.1 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य हो चुका है । शेष कार्य चालू है ।

2—गजरौला से चकलवाला 6 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य शुरु हो गया है । विलम्ब का कारण यह है कि जिला समिति ने पूर्व पारित प्रस्तावों को निरस्त कराके प्रस्तुत सड़क को लिये जाने का प्रस्ताव 13 जुलाई, 1972 को विचारा ।

*48—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत उपरोक्त स्थान पर शीघ्र ही पुल निर्माण का आदेश देंग और सभी नदियों के पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण करा येंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नदियों पर पुल बनाने का कार्यक्रम शामिल नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वेक्षण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराने के लिये उनको लिखा गया है ।

प्रतापगढ़ जिले में त्वरित योजनान्तर्गत सड़कों एवं पुलों का निर्माण

*49—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20 अप्रैल, 1972 ई0 तक जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित योजना के अन्तर्गत कौन-कौन और कितनी लम्बी सड़कों पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है ? प्रत्येक मार्ग पर कितनी घनफीट मिट्टी और कितनी लागत की डाली गई है ? कितने व्यक्तियों को प्रत्येक मार्ग पर और कितने दिनों तक काम मिला ? उपरोक्त सड़कों पर पुल बनान, कंकड़ की भराई एवं ईटें बिछाने का काम कब से प्रारम्भ होगा और कब तक समाप्त किया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में 20 अप्रैल, 1972 तक बनी सड़कों के सम्बन्ध में परिशिष्ट (क) संलग्न है ।

वित्तीय वर्ष 1971–72 के अन्त से जनपद में पुलिया बनाने, ईंट बिछाने तथा कंकड़ कट्ठा करने का कार्य हो रहा है । 20 अप्रैल, 1972 तक इस दिशा में जो कार्य हुआ है उसका विवरण परिशिष्ट (ख) में अंकित है ।

ईंट बिछाने, पुलिया निर्माण एवं कंकड़ इकट्ठा करने का कार्य अन्तिम रूप से 31 मार्च, 1973 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1441 पर)

*50—श्री राम किंकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित योजना की सफलता एवं जनता की मांग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 1972–73 ई0 में कुछ और सड़कें स्वीकृत करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रतापगढ़ जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत 70 कि0 मी0 सड़कें निर्माण हेतु ली गई थीं । इन परियोजनाओं की उपयोगिता एवं जनता की मांग को देखते हुये 30 कि0 मी0 अतिरिक्त सड़कें वर्ष 1971–72 में ली गई थीं जिनमें मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क के अन्तर्गत स्वीकृत धन से कराया गया। इस वर्ष इन सड़कों पर कार्य जिला परिषद द्वारा सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत अनुदान से किया जा रहा है ।

धनाभाव के कारण इस समय और सड़क स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के संबंध में श्री रामसूरत सिंह, बांसगांव (गोरखपुर) की शिकायत

*51—श्री शान्तिचरण पिंड़ारा (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सूरत सिंह जन सेवक, बांसगांव का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 30 मार्च, 1972 का सेठ जगरनाथ, पोस्ट कौड़ीराम, जिला गोरखपुर के खाद्य पदार्थ सम्बन्धित सभी चीजों के मिलावट के सम्बन्ध में उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अंकित पूर्ण शिकायतें क्या थीं तथा उस पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह शिकायत की गई थी कि जिला गोरखपुर में स्थित कौड़ी राम में सेठ जंगूर नाथ प्रसाद जी की किराने की दूकान पर खाद्य पदार्थ सम्बन्धी वस्तुओं में मिलावट की जाती है । इन खाद्य पदार्थों में, तेल, घी व राशन आदि वस्तुओं में मिलावट का जिक्र शिकायती पत्र में किया गया था और यह भी कहा गया था कि श्री जंगूर नाथ प्रसाद चार भट्ठों पर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने की ठेकेदारी करते हैं और सभी सामानों में मिलावट करते हैं तथा सैम्पुल इत्यादि के लिये बढ़िया नमूना भर कर दे देते हैं ।

इस शिकायत पर सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गोरखपुर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी, गोरखपुर के साथ जांच करने का प्रयास किया परन्तु न तो शिकायकर्ता का ही पता चला और न कथित व्यक्ति की दूकान ही वहां पाई गई ।

निर्मला महिला चिकित्सालय, कौड़ीराम (गोरखपुर) के विरुद्ध शिकायत

*52—श्री शान्ति चरण पिंड़ारा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कष्ट करेंगे कि श्री रामपलट हरिजन बांसगांव, द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1972 का "निर्मला महिला चिकित्सालय" कौड़ीराम, गोरखपुर के सम्बन्ध मे कोई शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि डाक्टर निर्मला बिना किसी डिग्री के ही दवा बेचती हैं और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चालाया जाता है और अन्य प्रकार के नाजायज दुष्कर्म कार्य किया जाता है ? यदि हां, घतो उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बहराइच में त्वरित योजनान्तर्गत होने वाले कार्य एवं ईंट खरीदने का एडवांस

*53—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में कौन-कौन से कार्य त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये और उनकी अलग-अलग प्रगति क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*54—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बातयेगी कि उपरोक्त प्रश्न में अंकित योजनाओं को पूरा करने के लिये किन-किन लोगों को ईंट खरीदने के लिये रुपया एडवांस किया है? क्या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके भट्टों का काम आज तक शुरू भी नहीं हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उक्त सड़कों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ईंट क्रय करने के लिये किसी को रुपया एडवांस नहीं किया गया है । ईंटें प्राप्त करने पर ही भुगतान किया गया है ।

जिला अस्पताल, गोरखपुर के वार्ड मास्टर का स्थानान्तरण न किया जाना

*55—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला के अन्तर्गत जिला अस्पताल में कितने वार्ड मास्टर ऐसे हैं जो पिछले आठ वर्षों से वहां नियुक्त हैं ? उनके स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

केवल एक वार्ड मास्टर ।

सामान्यता अराजपत्रित कर्मचारियों का नियतकालिक (पीरियाडिकल) स्थानान्तरण अनिवार्यतः नहीं किया जाता है ।

महिला डफरिन अस्पताल, गोरखपुर में दवाओं की सप्लाई एवं महिला डाक्टरों की संख्या

*56—श्रीमती मसालीदेवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर महिला डफरिन अस्पताल में 1 जनवरी, 1971 से 15 अप्रैल, 1972 तक कितनी धनराशि की दवाये सप्लाई की गई ? इस अस्पताल में महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है उनके नाम क्या हैं और वह कितने वर्षों से सरकारी सेवा में हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

महिला अस्पताल, गोरखपुर में 1 जनवरी, 1971 से 15 अप्रैल, 1972 तक 29,243.30 रु० की दवायें सप्लाई की गईं । महिला अस्पताल में कुल तीन डाक्टरों की जगहें हैं, जिनके नाम व सरकारी सेवा काल निम्न प्रकार हैं:—

अधिकारी का नाम	सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति
1—डा० (श्रीमती) आर० के० त्रिपाठी, अधीक्षक	.. 23-11-53 से
2—डा० (श्रीमती) कमलेश, श्रीवास्तव सबइंचार्ज	.. 11-12-68 से
3—डा० (श्रीमती) प्रेमलता, सब-इंचार्ज ।	.. 23-7-71 से

इसके अतिरिक्त दो महिला डाक्टर रिजर्व ड्यूटी पर तैनात हैं । इनके नाम व सरकारी सेवाकाल इस प्रकार है :—

डा० (श्रीमती) स्वर्ण लता सिंह 2-3-72 से ।

डा० (श्रीमती) शारदा लक्ष्मी चांद 1-3-72 से ।

हाई स्कूल पास महिला कल्याण कार्य कर्त्रियों की ज्येष्ठता सूची

*57—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई स्कूल पास महिला कल्याण कार्य कर्त्रियों को ज्येष्ठता के आधार पर हेल्थ विजिटर की ट्रेनिंग पर भेजने के सम्बन्ध में कोई आदेश गत वर्ष प्रसारित किये गये और यह सूची अभी तक नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । केवल एक जिला (टेहरी-गढ़वाल) को छोड़कर प्रदेश की सभी हाई स्कूल पास महिला कल्याण कार्य कर्त्रियों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर ली गई है ।

*58—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त सूची के अभाव में क्या हाई स्कूल पास महिला कल्याण कार्य कर्त्रियों को अक्जिलिरी नर्स मिडवाइफ की ट्रेनिंग से छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं । चूंकि ज्येष्ठता सूची तैयार करली गई है और उसी के अनुसार हाई स्कूल पास महिला कल्याण कार्य कर्त्रियों को हेल्थ विजीटर्स ट्रेनिंग में भेजा जायेगा अतः मिडवाइफरी की ट्रेनिंग से छूट देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*59—श्री शिव कैलाश, श्री भगेलू सिंह तथा श्री राज नाथ सिंह—

[8 वें शुक्रवार में प्र० सं० 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*60—श्री शिव कैलाश, श्री भगेलू सिंह तथा श्री राज नाथ सिंह—

[अस्वीकृत]

उप निदेशक भूमि संरक्षण, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायतें

*61—श्री राम निहोर राय, श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

दिनांक 18 अप्रैल, 1972 को पूछे गये प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निष्पक्ष जांच कराये जान के लिये उप निदेशक भूमि संरक्षण मिर्जापुर को निलम्बित करके उनके विरुद्ध जांच कराई जायगी ?

श्री राम लखन—

जी नहीं । शिकायत कर्ताओं को लिखा गया था कि वे उप निदेशक (भूमि संरक्षण) मिर्जापुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के पुष्टीकरण हेतु आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें परन्तु अभी तक कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं । ऐसी दशा में उपरोक्त अधिकारी को निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जल एवं सीवर बोर्ड की स्थापना

*62—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल एवं सीवर बोर्ड को स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस बोर्ड की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में एक विधेयक का आलेख्य तैयार हो गया है जो विचाराधीन है । अंतिम निर्णय के पश्चात् ही बोर्ड की स्थापना हो सकेगी ।

*63—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

हरिजन एवं गरीब बस्तियों में पेयजल योजना

*64—श्री निर्भय नारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं गरीब बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करने के लिये पेय जल योजना के लिये विशेष धन जिलों को आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है उक्त योजना में स्वीकृत धनराशि का प्रयोग मुख्यालय पर राजकीय कर्मचारियों के लिये नलकूप टंकी आदि बनाने के लिये किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन एवं गरीब बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1971-72 में दो करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के समस्त जिलों को बराबर आवंटित की गई है । विकास क्षेत्र मुख्यालयों के गावों में नलकूप/टंकी आदि बनाने के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं

बीरोंखाल (पौड़ी गढ़वाल) की धान की फसल में कुरमुला कीट का लगना

*65—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी-गढ़वाल के बीरोंखाल विकास खंड में धान की फसल कुरमुला कीट के कारण नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो विभाग ने फसल बचाने के लिये कौन से उपाय किये ?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

श्री फतेहबहादुर सिंह, निलम्बित सहायक कृषि निरीक्षक, बस्ती का भत्ता

*66—श्री बैजनाथ (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेबहादुर सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक बस्ती जिनको सन् 1965 में निलम्बित किया गया था, उन्हें निलम्बन भत्ता नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों ?

श्री राम लखन—

जी नहीं । श्री फतेहबहादुर सिंह सन् 1965 में निलम्बित नहीं किये गये थे। इनका निलम्बन जिला कृषि अधिकारी बस्ती के आदेश दिनांक 3 सितम्बर, 1964 द्वारा किया गया जिसे श्री सिंह ने 29 सितम्बर, 1964 को प्राप्त किया । श्री सिंह 1 अक्तूबर, 1964 से निरन्तर अनुपस्थित हैं । अतः उन्हें नियमानुसार निलम्बन भत्ता देने का प्रश्न नही उठता ।

*67—श्री बैजनाथ (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके मामले को तय करने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री राम लखन—

श्री फतेहबहादुर सिंह के 1 अक्तूबर, 1964 से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण मूल नियम 18 के अनुसार इनकी सेवायें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी का एकीकरण

*68—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासन द्वारा क्षेत्र विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी का सर्विस केडर एक करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

*69—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी की सीनियारिटी कन्फर्मेशन के दिनांक के मान्य होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन द्वारा राज्य विकास सेवा (राजपत्रित) नियमावली बनाई जा रही है, जिसके अन्तिम रूप देते समय इन अधिकारियों की इन्टर-से-सीनियरिटी के बारे में संक्षिप्त सिद्धांत का उल्लेख कर दिया जायगा ।

जिला परिषद्, जालौन का अस्पताल

*70—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—

क्या सरकार जनपद जालौन के कस्बा जालौन का अस्पताल जो कि जिला परिषद् जालौन के अन्तर्गत है अपने अधीन लेने का विचार रखती है अगर हां तो कब से ? क्या जिला परिषद् जालौन ने सरकार से इसके लिये कोई लिखा-पढ़ी की है ? अगर हां तो कब ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

कथित अस्पताल के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है । जिला परिषद् का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

परिवार नियोजन के एक्सटेन्शन एजूकटर की वरीयता सूची एवं स्थायीकरण

*71—श्री पूरन चन्द (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश एक्सटेन्शन एजूकेटर परिवार नियोजन के सवा तैंतीस प्रतिशत पद भारत सरकार की नीति के अनुसार स्थायी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों की वरीयता सूची कुछ कारणों से अभी तक स्थायी रूप से नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो इस के विषय में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

भारत सरकार ने यह सुझाव दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख पदों पर (Key post) को स्थायी करने पर राज्य सरकार विचार करे । यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है । अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि किन श्रेणी के और कितने प्रतिशत पदों को स्थायी किया जाय ।

एक्सटेंशन एजूकेटरों की वरीयता सूची तैयार हो गई है ।

*72—श्री पूरन चन्द—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

कृषि मंत्री को श्री सजीवन लाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रेषित पत्र

*73—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सजीवन लाल सदस्य विधान सभा उपाध्यक्ष कृषि एवं पशुपालन श्रमिक संघ 7 विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15 मार्च, 1972 को कृषि मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र में उल्लिखित मांगों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

जी हां । पत्र में लिखित मांगें शासन के विचाराधीन हैं ।

*74—श्री गोपालदत्त ओझा—

[10 वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रसूलाबाद उन्नाव में बनने वाली पुलियां

*75—श्री सन्तूराम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम रसूलाबाद के अन्दर जो पुलिया जिला परिषद् द्वारा बनवाई जाने वाली है उनको बनवाने में काफी बिलम्ब हो रहा है ये कब तक बनकर तैयार हो जायेगी? यदि हां, तो इन पर कितना धन खर्च होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत प्रतियां जिस सड़क पर है उसका प्रान्तीयकरण हो जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग उन्नाव के अन्तर्गत आती है । अतः परिषद् द्वारा इन पुलियों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है । इसके लिये निर्माण पर व्यय के बारे में बताया जाना भी सम्भव नहीं है

फर्रुखाबाद जिले में खन्ता नाले की पुलिया

*76—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जिला परिषद् फर्रुखाबाद को विशेष अनुदान देकर श्रगीरामपुर तथा दियासर के बीच फर्रुखाबाद जिले में खन्ता नाला पर पुलिया बनवाने की कृपा करेंगे ताकि लगभग 125 ग्रामों की जनता को यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् यदि खन्ता नाला पर पुल बनाने के लिये शासन से अनुदान का प्रस्ताव करेगी तो इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

*77—श्री उमाशंकर शुक्ल—

[छठें शुक्रवार में प्र० सं० 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर से बाहर के कृषि शोध संस्थाओं को कृषि निदेशालय को हस्तान्तरित करने का विचार

*78—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर से बाहर स्थिति कृषि शोध संस्थाओं को यू० पी० इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइंस कानपुर से निकाल कर सरकार कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश को हस्तान्तरित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इससे गन्ना उत्पादकों को क्या सुविधा होगी ?

श्री राम लखन—

राष्ट्रीय कृषि आयोग को एडामिटव रिसर्च के सम्बन्ध में की गई संस्तुति के आधार पर यू० पी० इन्सटीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइन्सेज कानपुर के अन्तर्गत कार्य कर रही कृषि शोध संस्थाओं में से केवल संभागीय कृषि शोध केन्द्रों को कृषि निदेशक को हस्तान्तरित कर दिया गया। कानपुर में स्थित बेसिक रिसर्च को सब इकाइयां जो कि पहले कृषि निदेशक के अन्तर्गत कार्य कर रही थी और जिन्हें 5 जनवरी, 1971 को कानपुर संस्थान को हस्तान्तरित किया गया था, अब भी कानपुर संस्थान के अन्तर्गत ही कार्य करती रहेगी । इन सबको मिलाकर अब भी कानपुर संस्थान के अर्न्तगत 22 शोध इकाइयां और शोध केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर को मेरठ, गढ़वाल, कुमायूं एवं रुहेलखंड मंडलों के शोध केन्द्रों को हस्तान्तरित करने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

गन्ना विकास एवं गन्ना शोध का कार्य एक ही विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत होने के फलस्वरूप दोनों में अधिक सुचारु समन्वय हो सकेगा । अतः कानपुर संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत गन्ना शोध इकाइयां गन्ना आयुक्त को हस्तान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन में वांछित उन्नति एवं वृद्धि करने में सुविधा होगी ।

अकबरपुर ब्लाक (कानपुर) के जूनियर हाई स्कूलों की बाटिकाओं में नलकूप लगाने हेतु अनुदान

*79—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला कानपुर ब्लाक अकबरपुर में सन् 1969–70 में किन-किन जूनियर हाई स्कूलों को स्कूल बाटिकाओं में नलकूप लगाने के लिए कितना-कितना अनुदान दिया गया और क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि उक्त धन का दुरुपयोग हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला कानपुर के ब्लाक अकबरपुर में 1969–70 में चाचा नेहरू जूनियर हाई स्कूल कुम्भी के स्कूल बाटिका के लिये 2,500–00 रु० दिया गया था । नलकूप अभी नही बनाया गया है । किन परिस्थितियों में नलकूप तैयार नहीं हुआ है, उसकी जांच जिला नियोजन अधिकारी, कानपुर द्वारा की जा रही है ।

*80—श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला कानपुर के ब्लाक अकबरपुर में सन् 1971 में यूनिसेफ से कितने पंपिंग सेट प्राप्त हुए और उनका क्या और कहां-कहां उपयोग हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिला कानपुर के ब्लाक अकबरपुर में यूनिसेफ से वर्ष 1971 में कोई पंपिंग सेट प्राप्त नहीं हुए।

*81—डाक्टर श्याम किशोर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सुल्तानपुर जिले के विकास खण्ड अधिकारियों का स्थानान्तरण

*82—श्री सियाराम तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर विकास खण्ड मुसाफिर-खाना एवं जगदीशपुर में कोई ऐसे भी अधिकारी हैं जो एक ही ब्लाक में 5 या इससे अधिक वर्षों से हैं क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सुल्तानपुर जिले के विकास खंड मुसाफिरखाना तथा जगदीशपुर में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है, जो एक ही ब्लाक में पांच या इससे अधिक वर्षों से है।

ग्राम सभा खैरी, नौगढ़ (बस्ती) के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*83–श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बस्ती जिले के ग्राम सभा खैरी शीतल प्रसाद तप्पा दवरुआ, तहसील नौगढ़ के विरुद्ध 1971 में कोई शिकायती पत्र प्रशासन को प्राप्त हुए थे जिन पर उचित कार्यवाही के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामलखन—

जी हां । शिकायती पत्र पर परगनाधिकारी नौगढ़ ने जांच की थी और उन्होंने प्रधान को पद से पृथक कर दिया था ।

*84— श्री रामसागर—

क्या सामुदायिक मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध नायब तहसीलदार नौगढ़ ने मई 1971 में जांच किया था और एस० डी० ओ० नौगढ़ ने उन्हें निलम्बित कर दिया था ? यदि हां तो क्या यह भी सच है कि अब स्थानीय अधिकारी उक्त प्रधान को बहाल करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री रामलखन—

जांच परगनाधिकारी, नौगढ़ ने की थी और प्रधान को उन्होंने निलम्बित भी कर दिया था। बाद में प्रधान को पद से पृथक कर दिया ।प्रधान को बहाल करने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

अनुसंधान सहायकों तथा पशु चिकित्सकों के पुनरीक्षित वेतनमान एवं वार्षिक बढ़ोत्तरी

*85—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री रामधारी शास्त्री —

18 जनवरी, 1972 के उपवेशन के लिये निर्धारित प्रश्नोत्तर सं० 15, नत्थी-घ के तारतम्य में क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेगें कि वर्ष 1965 में भर्ती किये गये नाम सहित कितने पशु चिकित्सक ऐसे हैं जिनका वेतन निर्धारण जून 1966 के पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार 15 अप्रैल, सन् 1972 तक नहीं किया जा सका और सेवारत होने की तारीख से वार्षिक बढ़ोत्तरी भी नहीं दी जा सकी तथा क्यों ?

श्री रामलखन—

1965 में भर्ती किये गये केवल एक पशु चिकित्सक श्री रामकृष्ण बघान का वेतन जून सन् 66 के पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया और न अभी तक उन्हें वेतन बढ़ोत्तरी ही दी जा सकी है ।

यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

*86—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामधारी शास्त्री—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सितम्बर, 1968 के शासनादेश द्वारा अनुसंधान सहायकों का वेतनमान और पद दोनों पशु चिकित्सकों के बराबर कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या 15 अप्रैल, 1972 तक सभी अनुसंधान सहायकों के वेतन पशु चिकित्सकों के पुनरीक्षित वेतन मान में निर्धारित कर दिये गये और यदि नहीं तो किन-किन के और किन कारणों से वेतन निर्धारण होना बाकी है?

श्री रामलखन—

जी हां । सितम्बर, 1968 के शासनादेश द्वारा केवल उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान-एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के अनुसंधान सहायकों आदि का वेतनमान और पद पशु-चिकित्सकों के बराबर किया गया था । संलग्न सूची में दिये गये कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का माला अभी शासन के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1443 पर)

सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों का चुनाव

*87—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कष्ट करेगी कि सन् 1969 में कमीशन द्वारा सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों का चुनाव हुआ था और उसकी जो लिस्ट कमीशन द्वारा भेजी गयी थी उस लिस्ट में से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है और कितने अभी नियुक्ति के लिये बाकी है। क्या इन बाकी लोगों को भी सरकार नियुक्त करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन—

सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों का चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जाता है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

नियुक्त जिला कृषि अधिकारियों का नामांकन

*88—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को विदित है कि प्रदेश के 19 जिला कृषि अधिकारियों को 1972 में तीन मास की ट्रेनिंग पर भेजा गया तथा उनके स्थान पर अन्य जिला कृषि अधिकारियों को नियुक्त किया गया जिनका नामांकन लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा भेजी गई सूची में नहीं थी? यदि हां, तो एसा करने के क्या विशेष कारण थे तथा उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री रामलखन—

जी हां। जिला कृषि अधिकारी के पद की महत्ता और इसके पदाधारी की कार्यकुशलता पर विभाग के अधिकांश कार्यक्रमों की सफलता की निर्भरता को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये नये अधिकारियों को जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने का पूर्व अनुभव नहीं था, प्रशिक्षण दिला दिया जाय और उनके प्रशिक्षण काल में उनके रिक्त स्थानों पर अन्तरिम प्रबन्ध कार्य हित में किया जाय। तदनुसार 10 पदों पर उन अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति हो गयी जिन्हें जिला कृषि अधिकारी के कार्य का पूर्व अनुभव था। इनमें से दो अधिकारी लोक सेवा आयोग द्वारा श्रेणी 2 के लिये अनुमोदित थे और शेष प्रोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से पहले से ही कार्य कर रहे थे।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभागाध्यक्षों का साक्षात्कार

*89—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभागाध्यक्ष के पद के लिये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा, सन् 1968 में कोई साक्षात्कार हुआ था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग की क्या संस्तुतियां थीं और उन पर शासन द्वारा कार्यवाही की गई?

श्री बेनी सिंह—

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभागाध्यक्ष के पद के चयन के लिये लोक सेवा आयोग तर प्रदेश द्वारा जुलाई, 1968 में साक्षात्कार किया गया था। आयोग ने इस पद के लिए किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाया। अतः उन्होंने कोई संस्तुति नहीं की।

पेयजल योजनान्तर्गत मड़ियाहूं (जौनपुर) में लगे नलकूपों की अक्षमता

*90—श्री जगन्नाथ राव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 30 मार्च, सन् 1972 ई0 को कोई पत्र मिला जिसमें टाउन एरिया मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में पेयजल की सुविधा के लिये लगे नलकूप की अक्षमता का ध्यान आकृष्ट किया गया है? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। वर्तमान नलकूप वर्ष 1969 के सूखे के समय में तात्कालिक पेयजल व्यवस्था हेतु निर्मित किया गया था इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि उससे पर्याप्त मात्रा में जल दिय जा सके। नगर क्षेत्र समिति मड़ियाहूं को परामर्श दिया गया है कि वह नगर की पेयजल व्यवस्था ठीक करने के लिये स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से योजना तैयार कराये।

*91—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

[छठें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजियाबाद (मेरठ), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में मास्टर प्लान एवं प्रेसक्राइब्ड यूनिट

*92—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद, जिला मेरठ तथा सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में 10 से 15 मील तक मास्टर प्लान अथवा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी गाजियाबाद की सीमा बढ़ा दी गई है और सिकन्दराबाद में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की नई यूनिट कायम की गई है?

श्री बेनीसिंह—

मास्टर प्लान की सीमा नहीं बढ़ाई गई है बल्कि विनियमित क्षेत्र गाजियाबाद की सीमा का कुछ विस्तार किया गया है तथा एक नया विनियमित क्षेत्र यमुना हिन्डन दिल्ली सीमा क्षेत्र के नाम से घोषित किया गया है जिसमें सिकन्दराबाद तहसील का कुछ क्षेत्र आता है ।

*93—श्री प्यारे लाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गाजियाबाद व सिकन्दराबाद तहसील में जो मास्टर प्लान अथवा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी की सीमा बढ़ाई गई है उक्त भूमि का 'लैन्ड यूज' सरकार न तयार कर दिया है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

गाजियाब्राद विनियमित क्षेत्र के बढ़े हुए क्षेत्र का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट रखने का विचार है । यमुना हिन्डन दिल्ली सीमा विनियमित क्षेत्र का भूमि-उपयोग निर्धारित करने के लिये आवश्यक सूचनायें एकत्र की जा रही है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*94—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एव चिकित्सालय, लखनऊ में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 10, 15 वर्षों से कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों की सेवायें स्थायी की गई हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय में 321 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

10–15 वर्षों से कार्य करने वाले 83 कर्मचारियों की सेवायें स्थाई की गयी हैं ।

डिप्टी डायरेक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*95—श्री बंशीधर पाडेय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिप्टी डाइरेक्टर के कुछ रिक्त पदों को निकट भविष्य में भरने के लिये कोई आदेश जारी हुआ है ? यदि हां तो क्या इसमें कृषि इंजीनियरिंग से भी लोगों को लेने के लिये कोई प्रतिशत निर्धारित हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामलखन—

जी नहीं ।

*96—श्री त्रिवेणी सहाय—

[निरस्त]

नौतनवां (गोरखपुर) गत टाउन एरिया के भूतपूर्व सदस्य एवं चेयरमैन को कार्यभार सौंपने का विचार

*97—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत टाउन एरिया कमेटी छिवरामऊ, जिला फर्रुखाबाद को सरकार ने नगरपालिका घोषित कर दिया था और इसका कार्यभार जिलाधिकारी को सौंप दिया था, परन्तु मा० हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने अभी हाल ही में निर्णय दिया कि भूतपूर्व टाउन एरिया को तब तक कार्य करने का आदेश दिया जाय, जब तक नई नगरपालिका का चुनाव न हो जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार बिल्कुल ऐसी ही स्थिति वाली घोषित नगरपालिका नौतनवां, जिला गोरखपुर के नए चुनाव होने तक उसका कार्यभार विधिवत् गठित भूतपूर्व टाउन एरिया के सदस्य और चेयरमैन को सौंपने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी सिंह—

शासन ने दिनांक 22 नवम्बर, 1971 से टाउन एरिया छिबरामऊ को एक नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया और जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद ने उक्त पालिका का कार्यभार सम्भाल लिया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्णय दिया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया जाना गलत है तथा यह कि भूतपूर्व टाउन एरिया के चुने हुए सदस्य व चेयरमैन नव-निर्मित म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य व चेयरमैन के रूप में तब तक कार्य करते रहने के लिये सक्षम हैं जब तक कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही के फलस्वरूप वे ऐसा करने के लिये सक्षम न हो जायं ।

नौतनवां नगर पालिका के सृजन के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या दिनांक 10 मई, 1972 के अनुपालन में दिनांक 19 मई, 1972 को नगरपालिका नौतनवां का कार्यभार भूतपूर्व टाउन एरिया कमेटी, नौतनवां के पदाधिकारियों को सौंपा जा चुका है ।

नगरपालिका अल्मोड़ा को ऋण देने का विचार

*98—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा शहर में पीने के पानी की अत्याधिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार नगरपालिका अल्मोड़ा को शीघ्र आवश्यकतानुसार अनुदान अथवा ऋण देने जा रही है ? यदि हां, तो कितना तथा कब तक ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका अल्मोड़ा की जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना शासन के विचाराधीन है और नगरपालिका की आर्थिक स्थिति के भुगतान करने के सम्बन्ध में यदि संतोषजनक पाई गई तो ऋण व अनुदान देने के प्रश्न पर यथा शीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

कृषि मंत्री समिति, ललितपुर (झांसी) की मन्डी का स्थानान्तरण

*99—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मंत्री समिति ललितपुर, जिला झांसी में मंडी अधिकारी को बाजार से हटा कर ऐसे स्थान पर बनाने जा रहे हैं जो बाजार रेलवे स्टेशन से तथा आबादी से दूर हैं ?

श्री राम लखन--

मंडी समिति ललितपुर, जिला झांसी ने ललितपुर मंडी को वर्तमान स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के सम्बन्ध में अभीतक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

नियोजन विभाग के तकावी स्टाफ की सेवाओं की समाप्ति

*100--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि नियोजन विभाग के अधीन तकावी स्टाफ की सेवा समाप्त हो जाने पर कितने कर्मचारी सेवा मुक्त किये गए ? इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में रोजगार दिये जाने की कोई व्यवस्था हो रही है अथ वा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इन कर्मचारियों में कितने लोगों का अन्य विभागों में 15 मार्च, 1972 तक खपा दिया गया है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

कार्यभार के आधार पर 1 जनवरी, 1972 से तकाबी लिपिकों के 437 अस्थाई पद समाप्त हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित लिपिक सेवा मुक्त हुये थे । 20 अगस्त, 1971 तथा 22 अप्रैल, 1972 को उन्हें अन्य विभागों मे खपाये जाने के सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये गये हैं । 15 मार्च, 1972 तक 144 सेवा मुक्त लिपिकों को अन्य विभागों में खपाया जा चुका है ।

नियोजन अधिकारी, गोंडा का स्थानान्तरण

*101--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियोजन अधिकारी, गोंडा के स्थानान्तरण का आदेश जो इसी माह में जारी किया गया है उन पर कब सर्व किया गया और उन्होंने अपना चार्ज अभी तक दिया या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिला नियोजन अधिकारी, गोंडा के स्थानान्तरण का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है अत: आदेश के सर्व करने तथा चार्ज देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*102--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि 1 दिसम्बर, 1971 से 10 अप्रैल सन् 1972 तक जिला नियोजन अधिकारी गोंडा का कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और स्थानान्तरण के आदेश क्यों रोके गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस अवधि में भी जिला नियोजन अधिकारी गोंडा के स्थानान्तरण का कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया । अत: उसे रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*103--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

[13वें मंगलवार में प्र०सं० 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*104--श्री सर्वसुख सिंह--

[निरस्त]

*105--श्री राम करन सिंह--

[9वें गुरुवार में प्र० सं० 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*106--श्री हुकुम सिंह परिहार--

[10वें बुधवार में प्र० सं० 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भझावन (कानपुर) का सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालय

*107–श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के भझावन ग्राम में राजकीय सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालय है ? यदि हां, तो इस चिकित्सालय का चिकित्सक कौन है तथा चिकित्सालय को शासन से क्या आर्थिक सहायता मिलती है, यह सहायता कितने दिन से तथा किस कारण से बन्द है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य––

जी हां । चिकित्सक श्री छेदीलाल उर्फ रामदास बाबा हैं । इस चिकित्सालय को प्रति वर्ष 1,401 रु० का अनुदान दिया जाता है जिसका 2/3 भाग शासन तथा शेष 1/3 भाग जिला परिषद् कानपुर देती है । इस चिकित्सालय को वर्ष 1969–70 से अनुदान नहीं दिया जा सका है क्योंकि गत 1963–66 से 1968–69 वर्षों की अवधि में स्वीकृत अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखें जिला परिषद्, कानपुर से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना

*108––श्री रामगोपाल सण्ड––

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से लगाने पर बिचार कर रही है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और यह कारखाना प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टर बनायेगा ?

श्री रामलखन––

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

इलाहाबाद जिले में त्वरित योजनान्तर्गत होने वाले कार्य

*109––श्री रामगोपाल सण्ड––

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में कौन-कौन सी योजनायें क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1971–72 में पूरी करने के लिये रखी गयी हैं उनमें से किन-किन पर एवं कितना कार्य हुआ तथा इनमें कितना रुपया व्यय हुआ क्या इस प्रोग्राम में कोई परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हां तो वह क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में वर्ष 1971–72 में जो कार्य स्वीकृत हुये, जितना कार्य तथा व्यय हुआ, उसकी सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ" में दी हुयी है ।

जी हां, क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो योजनाओं का परिवर्तन किया गया है, उसकी स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर दी गयी है ।

[देखिये नत्थी "च"आगे पृष्ठ 1444 पर]

*110––श्री मोहम्मद असरार अहमद––

[निरस्त]

*111––श्री मोहम्मद असरार अहमद––

[18वें मंगलवार में प्रश्न सं० 5 पर स्थानान्तरित]

*112––श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ––

[12वें मंगलवार में प्र० सं० 59 पर स्थानान्तरित]

बरेली के बफर गोदाम का स्पेशल आडिट

*113—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में कृषि विभाग के बफर गोदाम का स्पेशल आडिट मई, 1972 में किन-किन शिकायतों के आधार पर करवाया गया था तथा उसमें क्या-क्या अनियमितताय मिलीं और सरकार को आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ?

श्री रामलखन—

जी हां। उक्त गोदाम में जिला कृषि अधिकारी बरेली द्वारा गंभीर अनियमितताएं होने की आशंका प्रकट किये जाने पर अप्रैल—मई, 1972 में बरेली बफर गोदाम का स्पेशल आडिट कराया गया, आडिट में निम्नलिखित गंभीर अनियमिततायें पाई गयीं।

1—खाद के बोरों के प्राप्त होने पर उन्हें लेजर में न चढ़ाया जाना तथा खादों की मात्रा में व्यपहरण और किस्मों में परिवर्तन के फलस्वरूप हानि।

2—अभिलेख के अंकों में परिवर्तन किया जाना।

3—क्रैडिट नोट से अन्डर चार्जेज एवं हवारेज के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हानि।

4—खाद की मात्रा में मार्ग गत हानियां।

5—रेलवे क्लेम्स आदि पर समय से कार्यवाही न किये जाने के कारण हानि।

चूंकि अनियमितताओं की छान बीन अभी भी जारी है, इसलिये छान बीन पूरी होने के पश्चात् ही शासन को हुये आर्थिक हानि का पता चलेगा।

पन्तनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के आधार पर बनने वाली योजना

*114—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्तनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मालुमातों (रिसर्च) के आधार पर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिये क्या कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है यदि नहीं तो क्या ?

श्री रामलखन—

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को मालुमातों (रिसर्च) के आधार शासन ने कोई विशेष योजना नहीं बनायी है।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में आधार भूत (फंडामेन्टल) कृषि शोध कार्य किया जाता है और इनके मालुमातों का प्रयोग कृषि विभाग तथा अन्य संबन्धित विभाग किसानों के हित के लिये करते हैं।

इद मालुमातों के आधार पर प्रदेशों में बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय जिलों में अपनी वर्तमान एजेन्सियों द्वारा शेष के परिणामों का प्रचार करते हैं। कृषि विभाग द्वारा भी मालुमातों के आधार पर कई उन्नत किस्म के बीजो जैसे गेहूं, सोयाबीन, धान, मक्का आदि का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है, आकाशवाणी के माध्यम से भी इन मालुमातों को कृषकों तक पहुंचाया जाता हे। हाल में मेरठ, रुहेलखन्ड, कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों के शोध एवं प्रसार कार्य विश्वविद्यालय को विशेष रूप से सम्बद्ध करने के आदेश प्रसारित हुए हैं।

गोरखपुर जिले में कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु आवंटित धन

115—श्री1 रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

*115—क्या कृषि मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971—72 में गोरखपुर जनपद को कृषि यन्त्रों की खरीद के लिये कितनी तकाबी आंवटित को गई ?

श्री राम लखन---

गोरखपुर जनपद के कृषि यंत्रों की खरीद के लिये वर्ष 1971-72 में 2,80,000 रुपय की तकाबी आंवटित की गई ।

*116---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

[12वें मंगलवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद (मेरठ) टी० बी० क्लीनिक के डाक्टरों का स्थानान्त रण

1---श्री मंजूर अहमद---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद के टी0 बी0 क्लीनिक में डाक्टरों की संख्या क्या है तथा उनमें उन डाक्टरों की संख्या व नाम क्या-क्या हैं जिन्हें गाजियाबाद में 6 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी अन्य स्थानों पर तबादले पर नहीं भेजा गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

टी0 बी0 क्लीनिक गाजियाबाद में डाक्टरों के 3 पद स्वीकृत हैं पर इस समय केवल 2 डाक्टर तैनात हैं जिनमें से एक डा0 सुरजीत सिंह चावला गाजियाबाद में 6 वर्ष से अधिक समय से हैं ।

आजमगढ़ जिले का सर्वे

2---श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ जनपद के ब्लाक विलरियागंज व हरैया ब्लाक का सन् 1969-70 में पिछड़ेपन के दूर करने के सम्बन्ध में सर्वे कराया गया है ? यदि हां तो सर्वे के आधार पर कौन-कौन कार्य हुआ है क्या उस सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सीतापुर जिला परिषद् के क्वालीफाइड इंजीनियर

3---श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि जिला परिषद्, सीतापुर में कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं और उनमें कितने क्वालीफाइड हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

एक अभियन्ता कार्य कर रहे हैं और उन्हें अनक्वालीफाइड अभियन्ता का वेतन-क्रम मिल रहा है ।

4---श्री अवधेश कुमार---

क्या सरकार बतायेगी कि त्वरित योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् सीतापुर में कितने क्वालीफाइड इंजीनियर कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जिला परिषद् सीतापुर में त्वरित योजना के अन्तर्गत कोई इजीनियर अलग से नियुक्त नहीं किया गया । जिला परिषद् का इंजीनियर ही इस कार्य को भी देख रहा है ।

फल उपयोग निदेशालय में प्रसार सेवा अधिकारी की नियुक्ति

5—श्री धर्मवीर सिंह, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फल उपयोग निदेशालय में राजपत्रित पद-2 (प्रसार सेवा अधिकारी) की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन हो जाने तथा स्वास्थ्य परीक्षा एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी मार्च, 1971 से अब तक उक्त पदों पर किसी की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम लखन—

। जी नहीं ।

(1) प्रसार सेवा अधिकारी का केवल एक पद रिक्त है ।

(2) इसे नियमित नियुक्ति के लिये अभी लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है ।

(3) तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

6—7—श्री धर्मवीर सिंह, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

टाउन एरिया, निधौली कलां (एटा) की सी० पी० टैक्स रीएसेसमेंट लिस्ट

8—श्री गंगासिंह यादव (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया निधौली कलां, जिला एटा का चार्ज निर्वाचित अध्यक्ष को जून, 1971 में परगनाधीश, एटा द्वारा देते समय, सी0 पी0 टैक्स की वर्ष 1971-72 की री-एसेसमेन्ट लिस्ट दी गई थी ? क्या उक्त एसेसमेन्ट लिस्ट को टाउन एरिया अध्यक्ष ने बिना उचित कारणों के अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो और किस कानून के अनुसार?

श्री बेनीसिंह—

नव-निर्वाचित चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी निधौली कलां को परगनाधीश, एटा द्वारा दिनांक 11 जून, 1971 को चार्ज दिया गया था । चार्ज देते समय परगनाधीश द्वारा वर्ष 1971-72 की एसेसमेन्ट लिस्ट नहीं दी गई थी । अतः चेयरमैन द्वारा उक्त लिस्ट को निरस्त का प्रश्न नहीं उठता ।

9—श्री गंगासिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतान की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, निधौली कलां, जिला एटा ने कितने आदमियों पर सालाना सी० पी० टैक्स मु० 250 रु० हिसाब से लगाये हैं और बाद में किन-किन व्यक्तियों पर टैक्स कम कर दिया गया है ।

श्री बेनी सिंह—

टाउन एरिया कमेटी निधौली कलां ने 250 रुपये के हिसाब से 21 आदमियों पर सी० पी० टैक्स लगाया था और आपत्तियां सुनने के पश्चात् निम्नलिखित 9 व्यक्तियों पर टैक्स कम कर दिया:—

1—श्री अमोलक चन्द पुत्र नन्द राम ।

2—श्री रतन लाल पुत्र माखन लाल ।

3—श्री काली चरन पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ।

4—श्री रामसेवक पुत्र भाई दयाल ।

5—श्री जगदीश प्रसाद पुत्र भाई दयाल ।

6—श्री ओम प्रकाश पुत्र नवाब सिंह ।

7—डा० किशन चन्द्र ।

8—श्री इकरार खां पुत्र प्यारे खां ।

9—श्री उमराव सिंह पुत्र नौबत सिंह ।

विकास क्षेत्र चौपन (मिर्जापुर) में पशु चिकित्सालय, लाइव स्टाक केन्द्र तथा विकास अधिकारी

10—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र चौपन, जिला मिर्जापुर में कोई पशु चिकित्सालय है तथा किस-किस स्थान पर ग्रामीण पशुओं की चिकित्सा के लिये लाइव स्टाक केन्द्र हैं और इन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष खर्च के लिये कितनी लागत की दवायें दी जाती हैं ?

श्री राम लखन—

जी हां । विकास क्षेत्र चोपन, जिला मिर्जापुर में 1, पशु चिकित्सालय और 2 लाइव स्टाक (पशु सेवा) केन्द्र कार्यरत हैं । चिकित्सालय स्वयं चोपन में और पशु सेवा केन्द्र कोन और पारसोई में स्थापित हैं ।

चिकित्सालय को प्रति वर्ष 1,000 रुपये और पशु सेवा केन्द्र को प्रतिवर्ष 400 रुपये की लागत की दवाइयां दी जाती हैं ।

11—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र चोपन में फरवरी, 1969 से मार्च, 1972 तक कितने विकास अधिकारियों की नियुक्ति हुई और कितने-कितने दिनों के बाद उनका, स्थानान्तरण किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

विकास खंड चोपन, जिला मिर्जा पुर में कथित अवधि में तीन क्षेत्र विकास अधिकारियों की नियुक्ति हुई । इनमें से एक का एक वर्ष दो माह बाद प्रत्यावर्तन हो गया, दूसरे का 8 माह 27 दिन बाद स्थानान्तरण हो गया तथा तीसरे अभी तक कार्यरत हैं ।

इलाहाबाद जिले के जच्चा-बच्चा-केन्द्र

12—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में कितने सरकारी जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं ? 1972–73 में सरकार कितने नये केन्द्र खोलने जा रही है एवं इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जनपद, इलाहाबाद में 108 जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं । सन् 1972–73 म नये केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नही है ।

13—श्री रामगोपाल सण्ड—

[9वें सोमवार में प्र० सं० 6 पर स्थानान्तरित]

14—श्री रामगोपाल सण्ड—

[10वें गुरुवार के लिये प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन एवं पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान

15—श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद) तथा श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के प्रत्येक जिले ग्राम पंचायती चुनाव में कितने पिछड़ी जाति के प्रधान व कितने हरिजन जाति के प्रधान चुने गये हैं प्रत्येक जिले-वार उनकी संख्या क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मानसिक चिकित्सालय, आगरा में निर्मित भवन

16—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेन्टल हास्पिटल आगरा (मानसिक चिकित्सालय) में बाल रोगियों की देखभाल हेतु आठ वर्ष पूर्व एक भवन निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसमें अब तक कोई कार्य चालू हुआ अथवा नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । भवन बन कर तैयार हो चुका है तथा इस बाह्य विभाग में मानसिक रोगियों का इलाज शुरू हो गया है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा के संबंध में आपत्ति

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन् कल के प्रसंग में मुझे एक निवेदन करना है, वह है लैंड लेवी टैक्स के विधेयक की अनुज्ञा के सम्बन्ध में । जो स्थिति यहां पर थी, उसको आपने देखा । स्थिति ऐसी थी कि सदन में अव्यवस्था थी । नियम यह है कि ऐसी स्थिति में आपको सदन स्थगित कर देना चाहिये । यह नियम भी है और आप की अर्थात् अध्यक्ष लोगों की एक कांफ्रेन्स हुयी, उसमें भी यह निर्णय हुआ था कि अगर कभी ऐसी स्थिति हो तो आपको सदन स्थगित कर देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि जब अनुज्ञा मांगने का समय आया तो सदन की ऐसी स्थिति थी जिसमें उनको अनुज्ञा नहीं मिल सकी । न हमने सुना, न उन्होंने सुना और न आपने सुना ।

दूसरा इसका प्रमाण यह है कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन माननीय वर्मा जी ने सदन की कार्यवाही को देखा, उसमें अनुज्ञा नहीं दी गयी । मैं समझता था कि यह अनुज्ञा नहीं दी गयी । तो कल जिसके बारे में विवाद हो चुका है, जब आपकी जगह पर माननीय उपाध्यक्ष जी विराजमान हुए तो उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी अपनी राय देंगे और इस पर आप कहेंगे । आज वह विषय फिर नहीं आया । फिर कभी आ सकता है । आपका निर्णय अंतिम है आपका जो डिसीजन है उद्घोष द्वारा इसमें दिया हुआ है । सरकार को किसी भी प्रकार अनुज्ञा नहीं मिली है । जो मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं, हमारे अन्य नेतागण का भी यही विचार है ।

श्री अध्यक्ष—

स्थिति यह है कि मैंने देखा कि आप यहां पर शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं देते हैं, मैंने उधर मुंह करके यह पूछा कि अनुज्ञा देने के जो पक्ष में हैं, वे कृपया अपने हाथ उठावें । उन्होंने हाथ उठा दिया अनुज्ञा के पक्ष में ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस जुमले को हमने नहीं सुना ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सुना तभी तो हाथ उठाये, नहीं तो कैसे उठाते । हो सकता है कि आपने न सुना हो । आप सुनना भी नहीं चाहते थे । यदि आपकी राय हो तो मैं दुबारा ले लूंगा, विचार के लिये । यह आपकी इच्छा की पूर्ति के लिये ही होगा लेकिन यह एक्सेप्शन है, बार-बार नहीं होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं यह समझूंगा कि अनुज्ञा नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष---

हमारे हिसाब से दी गयी लेकिन उसमें गलती क्या हो गयी । अनुज्ञा होती है पुरः स्थापित की लेकिन चूंकि हल्ला हो रहा था राइटर ने इसको पुरःस्थापन के बाद लिख दिया कि प्रश्न उपस्थित किया गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन् मेरे विचार में पुरः स्थापन की अनुज्ञा सरकार को नहीं मिली । वे नहीं सुन पाये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो ईल्ड कर रहा हूं कि आपने नहीं सुना । उन लोगों ने सुना और हाथ उठायें । मैंने यह कहा कि यह प्रश्न उपस्थित किया गया और पुरः स्थापन भी किया गया । बाद की वजह से आपको यह भ्रम हो सकता है कि यह चीज नहीं हुयी । अगर ऐसी चीज है तो मैं फिर उस चीज पर राय ले लूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

तो क्या फिर आप इसको रखेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा यह बिल फिर से अनुज्ञा के लिये आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं फिर अनुज्ञा के लिये ले लूंगा ।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन की कार्य सूची में क्रम संख्या 14 पर जो 'कार्य स्थगन' था वह भी हम लोगों को बगैर बताये ही खत्म कर दिया गया था । 14 के लिये भी तो आपको फिर से अनुज्ञा देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

कल इसके बाद चर्चा हुई । माननीय माधव प्रसाद जी आये । उन्होंने इस बात को कहा । शायद डिप्टी स्पीकर के साथ बातचीत भी हुई । यह तय हुआ कि फिर रख लेंगे और अनुज्ञा ले लेंगे तो . . .

श्री रामविलास पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, अगर आप 13 पर अनुज्ञा दे रहे हैं तो दोबारा 14 को भी देनी होगी ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये आपको दूसरा नोटिस देना पड़ेगा ।

प्राक्कलन समिति (1971–72) का सिंचाई विभाग का कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफार्मेंस) बजट से सम्बन्धित बारहवां प्रतिवेदन†

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1971-72) के 12वां प्रतिवेदन को जो उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग के कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट 1971–72 से सम्बन्धित है, सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

श्रीमन् मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस समिति के सदस्यों को गत वर्ष सम्बोधित करते हुए इस बात की प्रेरणा दी थी कि प्राक्कलन समिति को कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट पर भी विचार करना चाहिये । श्रीमान जी, इसी आधार पर समिति ने यह निश्चय किया कि वह इस वर्ष सिंचाई, उद्योग तथा सामुदायिक विकास विभागों से सम्बन्धित कार्यपूर्ति दिग्दशक बजट पर विचार करेंगी । मुझे खेद है कि विभागों से सूचना मिलने में देरी के कारण इस वर्ष समिति केवल सिंचाई विभाग तथा उद्योग विभाग के कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट पर ही विचार कर सकी ।

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट के अध्ययन के समय समिति ने यह देखा कि कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी धनराशियां स्वीकृत की गई, बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित किये गय परन्तु प्रत्येक वर्ष के अन्त मे न तो सम्पूर्ण धनराशि का व्यय हो सका और न ही लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी । श्रीमान्, आज जब आवश्यकता इस बात की है कि हम शीघ्रातिशीघ्र अपने देश और प्रदेश को स्वावलम्बी बनायें तब यह किसी प्रकार उचित नहीं होगा कि पहले तो लम्बी-लम्बी धनराशियों का प्राविधान किया जाय, लम्बे-लम्बे लक्ष्य निर्धारित किये जायं और अन्त में लक्ष्यों की पूर्ति न हो और लम्बी-लम्बी धनराशियां बात के रूप में शासन को प्रत्यावर्तित की जायं । इससे हमारी अन्य योजनाओं पर भी कुप्रभाव पड़ता है ।

दृष्टांत के रूप में रामगंगा प्रायोजना का उल्लेख करना चाहती हूं । यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में आरम्भ की गई थी और यह आशा की जाती थी कि इसकी पूर्ति 1968–69 में हो जायेगी परन्तु मुझे खेद है कि अब इसकी पूर्ति की लक्ष्य अवधि बढ़ाकर 1974-75 कर दिया गया है । योजना की पूर्ति में 6 वर्ष के बिलम्ब होने के फलस्वरूप प्रदेश को दो प्रकार से क्षति पंहुचती है । एक तो 6 वर्षों में वस्तुओं के मूल्य तथा, मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाने से प्रायोजना की लागत में बढ़ोत्तरी हो गई तथा दूसरी ओर प्रायोजना की पूर्ति 6 वर्ष पूर्व होने पर प्रदेश को उससे जो लाभ होता वह उससे वंचित रहा । शासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी योजनाओं का कार्य किसी भी कारण से अवरुद्ध न हो पाये ।

श्रीमन्, इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट के आंकड़ों के सम्बन्ध में विचार करते हुए समिति ने यह भी देखा कि बड़ी-बड़ी धनराशियां बचत या व्ययधिक्य के कारण इधर-उधर स्थानान्तरित की जाती हैं । परन्तु उसके कारण क्या हैं, इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक में उपलब्ध नहीं हुई। मैं आपके द्वारा शासन से (वित्त मन्त्री जी से) अनुरोध करना चाहती हूं कि भविष्य म कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट में उन सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिये जिसके कारण बचत या व्ययाधिक्य होता है । इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहती हूं कि इन बजटों में योजना के प्रत्यक वर्ष के लिये अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित थे और प्रत्येक वर्ष उन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में क्या-क्या प्रगति हुई इसका भी उल्लेख होना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

प्रतिनिहित विधायन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । मान्यवर पंचायत राज ऐक्ट की धारा 12 (सी) (3) के अनुसार पंचायत चुनाव सम्बन्धी निर्वाचन याचिका किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है । परन्तु श्रीमन् मूल अधिनियम के इस उपबन्ध के विपरीत सन् 1955 में प्रशासकीय विभाग ने नियम 24(2) का निर्माण किया जिसके अनुसार पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में इलेक्शन पिटीशन किसी एक अभ्यर्थी के माध्यम से जिसका पर्चा खारिज हो गया हो या किसी ऐसे अभ्यर्थी के माध्यम से जिसको चुनाव में कुछ मत प्राप्त हुये हों या 10 या 10 से अधिक निर्वाचकों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है इस प्रकार का प्राविधान पंचायत राज नियम 24(2) में किया गया है। कथित नियम 24(2) पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा सन् 1959 में, दूसरी बार सन् 1963 में और तीसरी बार सन् 1967 में अवैध घोषित किया गया । पूरे 12 वर्ष में 3 मर्तवा उच्च न्यायालय द्वारा इस नियम के अवैध घोषित हो जाने के पश्चात् भी प्रशासकीय विभाग ने इस नियम को निरस्त नहीं किया ।

मान्यवर, वर्तमान वर्ष में जो पंचायतों के चुनाव हुये हैं, उन चुनाव सम्बन्धी इलेक्शन पिटीशन का निस्तारण इसी अवैध नियम 28(2) के अनुसार किया जा रहा है और इस प्रकार के निर्देश विभिन्न जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्वाचन निदेशक पंचायत ने भेज दिये हैं। समिति को प्रतिवेदन तैयार करते समय यह बात मालूम हुई । समिति ने शासकीय विभाग से जानकारी की । प्रशासकीय विभाग ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रथम बार उनकी जानकारी में यह तथ्य आया है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह नियम कई बार अवैध घोषित किया गया है। मान्यवर, इस प्रतिवेदन के अन्दर यह मत व्यक्त किया गया है कि यह नियम मूल अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत है और अवैध है और शासन द्वारा इससे तुरन्त निरस्त कर दिया जाना चाहिये । साथ ही समिति ने यह भी खेद व्यक्त किया है कि शासन इसकी समुचित व्यवस्था करे जो व्यवस्था अब तक सन्तोषजनक नही है कि जब कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा कोई विषय अवैध घोषित कर दिया जाय तो उस सम्बन्ध में शासन अविलम्ब वांछित कार्यवाही करे । बाद में श्रीमन् समिति ने यह भी सिफारिश की है कि समस्त जनपदों के विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार इस प्रकार की हिदायत भेज दे कि प्रस्तुत निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा इस अवैध नियम 24(2) के द्वारा न किया जाय तथा इसको निरस्त किया जाय अवैध निर्वाचन याचिकाओं को प्राप्त करने की अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी जाय शासन ने समिति की इन संस्तुतियों को मान लिया है और कार्यान्वयन करने का आश्वासन दिया है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के संबंध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल जब आप यहां पीठासीन थे उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था कि इस प्रदेश के किसानों के ऊपर जो कर इस सरकार द्वारा लगाया जा रहा है वह भारत के संविधान के अन्तर्गत नहीं लगा सकते और मैंने उसका हवाला भी दिया था । परन्तु इस पर आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी गई । श्रीमन्, इतना ही नहीं हुआ बल्कि बात यहां तक बढ़ गई कि आप चले गये और धीरे-धीरे सदन का कार्य भी न हो सका और वह उठ गया । यही नहीं श्रीमन् आज का यह जो एजेन्डा है उसमें कल जो विधेयक पुरःस्थापित करने की बात थी, वह भी एजेन्डा से गायब है ।

---

†छापा नहीं गया ।

तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विधेयक को, जिसको इस सदन ने काले कानून की संज्ञा दी है, जो किसानों पर बज्रपात करता है और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता है, तो क्या इस टैक्स लगाने वाले विधेयक को आपने निरस्त कर दिया है और उसको पुर: स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी है ? मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि इसके ऊपर अनुज्ञा देने का प्रश्न आया तो मैंने कहा कि फिर अनुज्ञा ले लेंगे । इसलिये पुर: स्थापित के लिये और विचार के लिये भी आयेगा । यह विचार के समय, वह जो चीज है, उसके ऊपर विचार हो सकता है ।

मेरठ जिले में अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में वक्तव्य

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

माननीय त्रिलोक चन्द्र एवं माननीय बलवीर सिंह ने नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि मेरठ जिले में जुलाई, 1972 के दूसरे सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण गंगा नदी के निकट वर्ती क्षेत्र में व अन्य दूसरे क्षेत्रों में खड़ी फसल व मकानों को काफी क्षति हुयी है ।

2---माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि जुलाई के पहले व दूसरे सप्ताह में मेरठ जिले में काफी वर्षा हुयी । जुलाई, 1972 से लेकर 13 जुलाई, 1972 तक 160 मि0 मी0 वर्षा हुयी जब कि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 89.15 मि0 मी0 पानी बरसा था। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हुई वर्षा से 5 ग्रामों में चार मकानों को क्षति पंहुची जिससे लगभग 900 रु0 का नुकसान हुआ । लगभग 360 एकड़ भूमि में चारे को 25 प्रतिशत व मक्के की फसल को 40 प्रतिशत की क्षति होने का अनुमान है। गढ़मुक्तेश्वर में इमारती लकड़ी के बह जाने के कारण लगभग 10,000 रुपये की क्षति अनुमानित है तथा चीनी, गुड़, शीरा बह जाने से 5,000 रु0 की क्षति अनुमानित है । इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है ।

3---जिले को दैवी आपदा के समय पीड़ितों को सहायता देने के लिये पहले से ही 5,000 रु0 नि:शुल्क सहायता एवं 30,000 रु0 आपदा तकाबी बांटने के लिये आवंटित किये गये थे । अतिवृष्टि के कारण हुयी क्षति के कारण पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता पंहुचाने के लिथे जिला-धिकारी की मांग पर निम्नलिखित धनराशि 21 जुलाई, 1972 को आवंटित की गई है :

1---अहेतुक सहायता	..	30,000 रु0
2---गृह निर्माण अनुदान	..	30,000 रु0
3---प्रकीर्ण व्यय	..	10,000 रु0

यदि जरूरत हुयी तो अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने में शासन की ओर से कोताही नहीं की जायेगी ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ) ---

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसकी जांच उन्होंने किस अधिकारी से कराई है और वे कौन से पांच गांव हैं ? क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

श्रीमन्, इसकी जांच के आदेश अभी कोई यहां नहीं दिये गये हैं । माननीय बलवीर सिंह ने जो दफा 51 में नोटिस दी है, उसी के आधार पर वहां से सूचना एकत्रित की गयी है और उसी के आधार पर यह जवाब दिया गया है । आप पांच गांवों के नाम जानना चाहते हैं। उनके नाम हैं:- कोताई, साहापुर, चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर, लखीरीं और गढ़ावली ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, मैं थोड़ा सवाल ही पूछूंगा । रिपोर्ट में जो पांच गांव के नाम बतायें हैं ये सड़क के ऊपर हैं । असली नुकशान हुआ है गंगा के निकटवर्ती क्षेत्र में । क्या वहां से कोई सूचना नहीं मंगाई है ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां । क्या सरकार फिर दुबारा सूचना एकत्रित करने की कोशिश करेगी और वहां पर जिनको काफी नुकशान हुआ है, उनको भी सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, सूचना तो हम और एकत्रित करेंगे । अभी तो तार के जरिये यह सूचना मांगी है। लेकिन माननीय विधायक यदि उन गांवों के नाम दे दें तो हमें सहूलियत होगी ।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन् जो सहायता दी जायेगी इसका माध्यम क्या होगा, किसके जरिये से दी जाएगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं पिछली बार तो यह नियम था कि गजटेड आफिसर्स के मार्फत ही इस प्रकार की सहायता बांटी जाय।

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि पिछली बार जो सहाबता दी गई थी, वह अधिकांश कर्मचारियों के जेब में चली गई थी। क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सहायता किसानों के पास पहुंच जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह मानकर चलें !

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन् राजस्व मंत्री जी ने इसी हाउस में यह तस्लीम भी किया है कि पिछली बार बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई थी । तो इस बात को देखते हुए क्या कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि इनकी दी हुई सहायता कर्मचारियों की जेब में न जाकर किसानों के पास पंहुचे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने इस सदन मे जो स्वीकार किया था वह यह था कि हमारे पास बहुत ज्यादा शिकायतें आयी हैं और उसके आधार पर हमने बहुत से जिलों में जांच करवाई थी जो हो रही है । सतर्कता विभाग से भी जांच करा रहे हैं । जब तक उसका नतीजा न आ जाय तब तक निश्चित नहीं कहा जा सकता कि किन्हीं अधिकारियों ने गबन किया या नहीं । लेकिन इस बार हम ज्यादा एहतियात बरतेंगे ताकि इस प्रकार की शिकायत का मौका न मिले ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 1447 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करन हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिय नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 1458 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास चार कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं । श्री रामपाल सिंह यादव का कानपुर और इटावा जिले के सरहदी बाजार कंचौसी से फकोरी सड़क बनाए जाने पर सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में है । यह ऐसे तात्कालिक महत्व का विषय नहीं है जिस पर सदन का कार्य रोका जाय । इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह बहुत महत्व का है । पिछले तीन वर्षों . . .

श्री अध्यक्ष—

जब आप तीन वर्ष से कह रहे हैं तो तात्कालिक कहां हुआ ?

[××××]

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मैं इसके विरोध में 1 घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव ने सदन का त्याग किया ।)

[××××] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, 10 जुलाई को हमारे यहां दो बडे कत्ल हो गये । एक आदमी बच गया उसके हाथ-पैर काट दिये गये और दूसरा कत्ल हो गया । हमारे यहां से 36 अखबार निकलते हैं और सभी में इसको हेड लाइन्स में दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कुछ कहा ही नहीं । आपका है कि देहरादून नगर से हत्याओं के साथ डकैती लूट व मारपीट का दौरदौरा तथा 10 जुलाई को श्री मनोहर लाल की दिनदहाड़े हत्या। आपने इसको इतने समय के बाद दिया है । आपको 12 या 17 तारीख को लाना चाहिये था जिस तारीख को यह हुआ उस समय से काफी समय बीत गया । आज तो 25 तारीख है । यदि आप पहले देते तो इस पर चर्चा करवा लेते । अब मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह स्थिति वहां पर चल ही रही है । गुन्डे दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कत्ल देहरादून में ही नहीं हो रहे हैं और जगह भी हो रहे हैं । रोज होते हैं । आप इसको 51 में ले लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वहां की नगरपालिका ने प्रस्ताव किया है, जर्नलिस्टस ने किया है । इसको दो घंटे का समय देकर करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको 51 में कर दूंगा । आप इसको लिखकर दें, इसमें नहीं । इस समय तो अस्वीकार हो गया है ।

तीसरा है श्री बब्बन सिंह, श्री राम बिलास पांडेय, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री बंशीधर पान्डेय, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम का कि घाघरा नदी के भयंकर बाढ़ से बलिया जिले को डूब जाने की आशंका है यह भी ऐसा है कि जिसकी सूचना मांगनी चाहिये । मैं इसको नियम 51 में ले लूंगा, आप लिखकर दे दें ।

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरी बात को सुनकर लें वहां की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको कामरोको प्रस्ताव में नहीं लूंगा । मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरे पास बलिया से तार आया है, हजारों गांव डूब रहे हैं । इसको आप स्वीकार कर लें । आप इसको 51 में ही स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव देकर आप कहते हैं कि नियम 51 में स्वीकार कर लें। इसको मैं 51 में कैसे स्वीकार कर सकता हूं । आप इसके लिये लिखकर दें ।

चौथा है श्री त्रिलोक चन्द्र, मो0 असरार अहमद, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री शफीक अहमद का कि वर्तमान सरकार द्वारा भूमि भवन-कर को फिर से लगाया जाना। इस पर काम-रोको प्रस्ताव नहीं बन सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

भूमि भवन कर पर हम चर्चा करेंगे इस पर विधेयक तो आयेगा नहीं । संविद सरकार ने इस कर को हटा दिया था इस पर तो चर्चा करना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

बिल आयेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस पर बिल नहीं आयेगा । अगर बिल आता तो हम नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष—

इसका जबाब आपको मिल गया ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

कहां मिल गया ?

श्री अध्यक्ष—

चर्चा के विषय के लिये आप उठायें तो उठा सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

52 में स्वीकार कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

52 में स्वीकार नहीं होगा । होगा तो 51 में होगा वरना नहीं । जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सम्बन्ध में आपको तसल्ली न हो तो नियम 49 में आप उसको उठा सकते हैं ।

1965–66 की बढ़ती व्यय के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—आयुक्त और जिला प्रशासन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 17,37,753 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जिला प्रशासन के बारे में गत बजट सेशन में सामान्य चर्चा के समय मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे । मैं केवल उस पर बल देने के लिये ही एक, दो उदाहरणों के साथ 2–4 मिनट में अपने विचार समाप्त करूंगा ।

मान्यवर, उस वक्त मैंने कहा था और आज भी मैं यह कह रहा हूं कि जिला प्रशासन ही एक ऐसी कड़ी है जो नीच से नीच व्यक्ति को ऊपर सरकार से जोड़ती है जिसका सब से बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी है और जिलाधिकारियों की नियुक्तियां सरकार को हर पहलू पर विचार करके ही करनी चाहिये, यह मैंने कहा था । उस संदर्भ में मैंने यह भी कहा था कि वह व्यक्ति अनुभवी हो, जिला प्रशासन का उसको ज्ञान हो, सेक्रेटेरियट का उसको ज्ञान हो, उत्तर प्रदेश में भी काफी प्रौढ़ हो तभी वह सक्सेसफुल हो सकता है अन्यथा नहीं। दलील सामने रखी जाती है आई0 सी0 एस0 पास कर के लोग 3–4 साल में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते थे । उस सम्बन्ध में मेरा इतना कहना है कि उसके पीछे एक बात थी । उस वक्त अंग्रेजी शासन था और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अंग्रेजों को जिलें के विकास से कोई मतलब नहीं रहता था। वे तो अमन आमान चाहते थ और रुपया लेना चाहते थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। आज विकास का युग है और विकास के युग में कौन सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है ऐसे अधिकारी को रखना पड़ता है। जिसका अनुभव न हो, केवल आई० ए० एस० है, उसको जब मुकर्रर कर देते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि विकास का कार्य जिस गति से चलना चाहिये उस गति से चलता नहीं है। जो दूसरे अधिकारी रहते हैं वे उम्र में अधिक रहते हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है,उनके ऊपर वह कभी भी अपना असर नहीं डाल सकता और न अनुभव की बात ही कह सकता है।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि जिलाधिकारी ला ऐंड आर्डर का भी जिम्मेदार रहता है। जैसे अनुभवहीन जिलाधिकारी विकास के कार्य मे उचित योगदान देने में असफल रहता है वैसे ही वह दूसरे पहलू पर भी असफल रहता है। ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। जिलाधिकारी जो महज आई० ए० एस० होने के नाते जाता है तीन ही चार वर्ष का अनुभव होन के कारण वह पूरी तरह से असफल रहता है। वह पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पाता।

केवल औपचारिक कन्ट्रोल ही रहता है। अगर एस0 पी0 जो उनसे काफी सीनियर है और तजुर्वा रखता है वह कलेक्टर को कोई अपनी अच्छी राय भी देता है तो वह कलेक्टर उसको नहीं मानता और सरकार कलेक्टर की राय ही अंतिम मानती है। मैंने उदाहरण दिया था दिल्ली का कि वहां पर एक मामले में वहां के एस0 पी0 और कलेक्टर में संघर्ष हो गया, गलती क्लेक्टर की थी, मगर वह चूंकि आइ0 ए0 एस0 था, उसको तरक्की दे दी गयी और एस0 पी0 की तनुज्जली हो गयी।

अभी मान्यवर, हमारे प्रदेश में रायट्स हुए। उस पर चर्चा का आपने समय दिया है, उस वक्त उस पर चर्चा होगी, मगर वहां के जिलाधिकारी के कारण ही यह दुर्घटनायें हुईं। अगर उसने सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लिया होता तो इतना वितन्डाबाद खड़ा न होता। इस पर समय आने पर हम विचार करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे यह अधिकारीगण अपने को पब्लिक सर्वेन्ट्स, जनता के नौकर, नहीं समझते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मर साथ किसी अधिकारी के पास चलें, अपने को यह न बतायें कि हम एम0 एल0 ए0 हैं या क्या हैं, और उससे यह कह दें कि आप तो जनता के नौकर हैं तो वह यह सुनकर आग बबूला हो जायेगा। और जिस काम के लिये आप उसके पास जायेंगे उसको वह मना कर देगा। तो यह मनोवृत्ति आज हमार अधिकारियों की है। आज आप किसी भी सेक्रेटरी के पास चले जाइये वह आपकी बात सुनना पसन्द नहीं करेगा। टेलीफोन से अगर आप बात करना चाहते हैं तो पी0 ए0 यह कहेगा कि देख लूं, हैं या नहीं, जब कि कमरा उसका बगल में होता है, वह जानता है कि वह कमरे में है, मगर पूछ कर वह कह देता है कि साहब हैं नहीं। वे अधिकारी लोग केवल विशेष व्यक्तियों के लिये ही होते हैं। सर्विसेज की जो यह भावना आज हो गयी है, इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, एक बार मैंने लखनऊ के कलेक्टर के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि यहां का कलेक्टर बड़ा जिम्मेदार है। मैंने उनसे कहा कि आप जिस व्यक्ति के लिये जिम्मेदारी का सार्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर ऐसा सार्टिफिकेट उसको नही दे सकता। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन, अप्रैल का प्रथम सप्ताह था, मैं यहीं अपने घर पर था, मेरे पास माननीय शकुन्तला नायर आयीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ कलेक्टर के पास चला चलूं। मैंने कहा कि मै यहां के कलेक्टर को नहीं जानता, मैं पहले अपना इन्ट्रोडक्शन देकर, उनसे समय लेकर तभी उनके पास जा सकता हूं। किसी मिनिस्टर आदि के पास भी बिना पहले से समय लिये नहीं जाता हूं। जब

उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं टेलीफोन से समय ले लूं, तब चलूंगा। मैंने टेलीफोन किया तो एक लड़की बोली कि अच्छा मैं अभी पूछ कर बताती हूं। मैंने कहा कि मैं एक एम0 एल0 ए0 हूं, बात करना चाहता हूं। उसने कहा कि वे अन्दर हैं। उसके बाद एक अर्दली आया, मैंने उससे कहा कि मैं एम0 एल0 ए0 हूं और बात करना चाहता हूं, मेरे साथ पार्लियामेंन्ट की सदस्या श्रीमती शकुन्तला नायर भी हैं और हम उनके सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय से बात करना चाहते हैं। वह अन्दर गया और उसने कलेक्टर से पूछ कर बताया कि 11 बजे से पहले वह नहीं मिल पायेंगे। वह नहा– धोकर पूजापाठ करेंगे काफी समय लगेगा, बहुत देर में सो कर उठते हैं।मैंने कहा कह दो उनसे कि मुझे मिलना नहीं है केवल समय लेना है, नहीं मिल सकते हैं तो सिर्फ समय दे दें। इस पर उस अर्दली ने कहा अच्छा इसके लिए फिर पूछ लीजियेगा। उस कलेक्टर ने इतनी कृपा भी नहीं की कि वह कह देता कि मैं कार्य में व्यस्त हूं, इस समय नहीं मिल सकता हूं, मुझ से इस समय पर मिल लीजिएगा। उनके अर्दली ने यह कहा कि मुझ से फिर पूछ लीजिएगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब पूछूं मैंने कहा मैं 12 बजे आऊं। उसने इसका भी ठीक जवाब नहीं दिया और कहा कि 11 बजे वह मीटिंग जायेंगे। मुझे इतना क्रोध जाया कि एक एम॰ एल॰ ए॰ और एम॰ पी॰ श्रीमती शकुन्तला नायर जी कलेक्टर से मिलना चाहती हैं, लेकिन उसने यह कहा कि फिर पूछ लीजियेगा। उसने यह भी नहीं बताया कि कब पूछ लीजियेगा, मेरे जानने पर भी। इसको मैंने बहुत ही गम्भीरता से लिया और महसूस किया कि यह मेरी इंसल्ट हुई है। इस पर मैंने अपने आफिस से चिट्ठी लिखी आपको और मुख्य मंत्री जी को, सारी घटना का विवरण देते हुए।

अब मैं इससे भी गम्भीर बात आपको बताना चाहता हूं। इस तरह से असफल होने पर शकुन्तला जी ने अपने एक अन्य किसी परिचित से कलेक्टर को टेलीफोन कराया कि उनसे शकुन्तला जी मिलना चाहती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि शकुन्तला नायर को मेरे पास भेज दीजिए। तद्नुसार सवा 11, साढ़े 11बजे वह उनके पास गई और भेंट की। तो जिस क्लेक्टर ने और अर्दली ने मुझे जनप्रतिनिधि से यह कहा कि 11 बजे मीटिंग में चले जाएंगे वहीं उनसे उक्त समय पर मिला, ऐसे कलेक्टरके बारे में जो कहा जाए थोड़ा है। ऐसे कंडेम्ड के बारे में आप क्या कहते हैं। हम तो मामूली आदमी हैं। हम जाएंगे और हमारे साथ अन्य सज्जन जाएंगे, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव होगा। मैंने इसे अपना कठोर अपमान अनुभव किया है। मेरी यह प्रकृति है कि जो मेरा अपमान करता है, उससे मैं बोलना और देखना पसन्द नहीं करता हूं। ऐसे आदमी से मुंह घुमा लेता हूं। कल भी एक ने ऐसा ही यहां पर मारपीट का व्यवहार कुछ कार्यकर्त्ताओं के साथ किया। बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लिए वह सदन के परिसर में लोगों के साथ मारपीट कर रहा था और करा रहा था, इसलिए कि वे जनसेवकों–मंत्रियों से मिलने न पावें। खैर समय आने पर मैं इस पर बिस्तार से चर्चा करूंगा।

आज अधिकारियों की यह मनोवृत्ति बन गई है कि ये लोग जनसेवकों से मिलना और उनसे बात करना, जनता की आवाज को उसके द्वारा सुनना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। जो इनसे ऐसा करता है, उसकी वे घोर उपेक्षा करते हैं। हमारे मंत्री जी प्रदेश केविकास के लिए प्लांस बनावें, लेकिन उनका कार्यान्वयन करने वाले तो यह अधिकारी ही हैं, जिनके मन में यह भावना है, तो व योजनाएं कैसे सफल हो सकती हैं। हम किसी विषय पर मिलना चाहते हैं, वह हमें समय दें, लेकिन उनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, बात कर लें मुझे बोलने का अवसर मिला और मैंने अपने अपमान के प्रतिकार के लिए बोलना चाहता हूं। मैं इसीलिए जनरल प्रशासन के बारे में कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने शकुन्तला नायर जी से कहा था कि मैं ये बातें फिर उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने रोक दिया। मैं कहता हूं कि आप अधिकारियों की इस प्रवृत्ति को बदलिये। आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन वे पद पर आते ही साधारण जनता से काफी ऊपर उठ जाते हैं। आखिर आप किसके जरिये से काम करवायेंगे। यदि ये प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। मैं इसे मानता हूं–हम अनुचित बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके द्वारा प्रेम से, आदर से सुन

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लिया जाए और कह दिया जाए कि हम नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस इस सरकार ने ईश्यु किए हैं कि मजिस्ट्रेट दफ्तर में बैठा रहे उस समय कोई जनप्रतिनिधि मिलने जाए तो उससे वह किस तरह से शिष्टता और आदर से बात करे, उसे आसन दे और उसे सुन ले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे कलेक्टर्स होंगे जो उसका पालन करते हैं।

मेरे यहां एक कलेक्टर था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लखनऊ में किसी डिपार्टमेंट में आ गये हैं। अगर कोई एम0 एल0 ए0 उनसे मिलने जाता था और अर्दली कह दें कि अन्दर हैं तो अर्दली से कहते थे कि कैसे कह दिया अन्दर हैं और अगर इत्तफाक से वह चला जाता था तो कहते थे कि बड़ी देर से बैठे हैं, बड़ा अफसोस है। यह कलेक्टर का चरित्र है। जिनकी सबसे बड़ी सर्विसेज हैं, जिलाधिकारियों के पद पर पर नियुक्त करते समय उनके का अनुभव देखिए। पी0सी0एस0 वालों का आपन मार्ग रोक दिया। पी0 सी0 एस0 अफसर न कोई मेरा रिश्तेदार है और न मेरा घर का है। किसी क्लास को डिवार न कीजिए। योग्यता देखिए, अनुभव देखिए रेकार्ड्स देखिए।

श्री अध्यक्ष---

संक्षेप में कहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

देख कर तब जिलाधिकारी के स्थान पर रखिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस पर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह 1965-66 के एक्सेस ग्रांट के बारे में है और आपने यह प्रस्ताव पास किया है कुछ दिन पहले कि 4 तारीख तक इतने बिल्स हो जायेंगे। लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि किस बिल के लिए कितना समय देंगे। यह सब चीजें जब सामने आएंगी, उसके लिए समय आपको बचाना है। इम्पार्टेन्ट चीजों पर बहस करनी है तो फिर जो फार्मल चीजें हैं, और यह फार्मल चीज हैं, लोक लेखा समिति की सिफारिश से यह आता है जो एक्सेस ग्रांट के बारे में होता है। तो लोक लेखा समिति ने जिसकी सिफारिश की थी उसको मान्य कर लेना चाहिए। यह लोक लेखा समिति की तरफ से आया हुआ है। आपकी समिति है। उसके ऊपर अधिक समय न लेकर.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

लेकिन अभी चार-पांच डिमांड्स हैं। क्या ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आप को याद दिलाता हूं, तय तो आपको करना है, 4 तारीख को आपको खत्म करना है, आपने खुद कार्यमन्त्रणा समिति में निश्चय किया था कि 4 तारीख को बिल्स खत्म हो जायं और सदन में आपने स्वीकार किया था। जब सदन की आज्ञा हो चुकी तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं आग्रह कर दूं। ऐसा न हो जाय कि जो ज्यादा इम्पार्टेन्ट नहीं हैं उन पर ज्यादा बहस हो जाय और जो इम्पार्टेन्ट हैं उस पर आप कहें कि समय नहीं है। इस पर ज्यादा बहस न करें क्योंकि कमेटी ने रखा है और मैं राय ले लूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 17,37,763 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965-66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12—न्याय प्रशासन

परिवहन उपमंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 2,81,309 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 2,81,309 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण—कार्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण—कार्य के अन्तर्गत 1,49,77,770 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण—कार्य के अन्तर्गत 1,49,77,770 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 2,86,882 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत 2,86,882 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1965—66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—सार्वजनिक निर्माण—कार्य अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—सार्वजनिक निर्माण—कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 6,65,529 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965—66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(इस समय 12 बजकर 51 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–सार्वजनिक निर्माण–कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 6,65,529 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—परिवहन

परिवाहन राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–परिवहन के अन्तर्गत 82,47,169 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–परिवहन के अन्तर्गत 82,47,169 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 7,09,44,572 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 7,09,44,572 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 3,61,34,123 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 3,61,34,123 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1965–66 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। यह साढे तेरह करोड़ रुपये का 1965–66 का बढती व्यय का विनियमन विधेयक है और आज 6 वर्ष के बाद सदन के सामने आ रहा है। मान्यवर, अभी प्राक्कलन समिति के चेयरमैन ने इस प्रकार से हो रहे व्ययों को गम्भीर आपत्ति कहा है। यह सचमुच बड़ी आपत्तिजनक बात है । यह जो साढे तेरह करोड़ रुपये हैं इसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है । अधिक जो व्यय हो जाता है उसको प्रतिबंधित करने के लिये सरकार ने अबतक कोई कार्यवाही नहीं की है । अभी भी वही रवैया होता चला जा रहा है । इस स्थिति को रोकने के लिये लोक लेखा समिति ने भी संस्तुति की थी किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । जैसा कि हमारे माननीय त्रिपाठी कह रहे थे कि सरकारी रवैया वही है और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होती है।

मान्यवर, मद्रास में पंचम मुख्य सचेतकों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इसके बारे में कुछ निर्णय लिये गये थे । मैंने भी सदन में इस संबंध में कुछ प्रश्न किये थे । उसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विचार-विमर्श हो रहा है। मैंने जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से इस बात का पता लागया। कि क्या विचार विमर्श हो रहा है किन्तु किसी ने यह नहीं कहा कि विचार विमर्श हो रहा है। निश्चय उसमें यह हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों का जनप्रतिनिधियों के लिये सम्मान का क्या तरीका होना चाहिये था। संस्तुति यह की गई थी कि जनप्रतिनिधि उनके पास आये तो उन्हें कुर्सी छोड़ और जब वे विदा हों तब भी उन्हें कुर्सी छोड़नी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसा नहीं किया गया तब तक जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होती रहेगी । आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल जनप्रतिनिधियों का है । वे अपने को सेवक समझने के लिये तैयार नहीं है । जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा वह सही बात है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसको कार्यान्वित करने का अधिकार सरकार को होता है । सरकार उसके अनुसार कार्य नहीं करती और न ही परिपत्र वगैरह भेजती है । तो इस संबंध में मैं अपने नौजवान वित्त मंत्री जी से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

यह आशा रखूंगा कि कम से कम आगे के लिये इसे रोक दें और गलत परम्परा न डालें। इसको रोकने के लिये आप क्या कदम उठायेंगे, इसे आप स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस संबंध में भी मैंने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और हमारे वित्त मंत्री जी के विचार में और मेरे विचारों में कहीं-कहीं पर तो समानता है किन्तु अधिकांश जगहों पर संघर्ष है । मान्यवर, मैं इन सारी गल्तियों का जिम्मेदार इस वित्त विभाग को ठहराता हूं । मैं तो इस राय का हूं कि इस वित्त विभाग को एबालिश कर दिया जाय । मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सलाह देता हूं कि वित्त विभाग को एबालिश करने का मेरा मतलब यह हो सकता है कि इस विभाग को ऐज सच हटा दिया जाय और एक एक फाइनेंशियल ऐडवाइजर नियुक्त कर दिये जायं जो कि इन सारे मामलों को फाइनेलाइज करें और यदि उसमें भी कोई गड़बड़ी हो तो अंतिम निर्णय के लिये मंत्री जी के पास वह आये। या इस प्रकार की कोई विधि निकालें क्योंकि जो गलतियां और दुष्परिणाम होते हैं, वित्त विभाग जो गलती और भूलें करता है, वे दोहरायी न जायं ।

अनेक देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में, और केंद्र में भी ऐसी व्यवस्था है । अगर नहीं है तो भी आप इसमें कोई नवीनता लावें, इसके ऊपर विचार करें । क्योंकि इसका परिणाम रोज आपके सामने आता है ए०जी० की रिपोर्ट के द्वारा, पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा । इस बजट के लिये बजट मैनुअल और नियमों में प्राविधान है । ऐसे आफिसर नियुक्त हैं, इतने चैनल्स के थ्रू छनकर बजट मैनुअल से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आता है । वह केवल उत्तरदायित्व की बात है । फिर भी इतनी गलती क्यों होती है कि इस पर आप को विचार करना होगा । जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसमें भी इसका प्राविधान है, कोई गलत चीज हो तो बतला देंगे । माननीय मंत्री जी जल्दी में मैंने जो देखा है, कि फइनेंस डिपार्टमेंट को कोई रचना हो, ऐसी बात नहीं है । मैं आपका ध्यान और कुछ कहने से पहले एक तरफ ले जाना चाहता हूं कि कौन-कौन दरवाजे में जिनसे छनकर बजट की यह सामग्री फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अंतिम कलम लगाने के लिये आती है । जैसा कि मैं समझता हूं, एक कंट्रोलिंग आफिसर होता है ।

मैं एक्सेस ग्रांट के बारे में बात कर रहा हूं कंट्रोलिंग आफिसर उन तमाम बातों में जाता है कि अमुक धन अमुक परपज के लिये खर्च हो । यदि वह धन खर्च हो गया और ज्यादा खर्च हो गया और सप्लीमेंट्री ग्रांट लाने का अवसर नहीं मिला और वह खर्च पड़ा रहा तो वह ए0 जी0 और पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की टीका टिप्पणी के बाद आता है आर्टिकिल 205 के अधीन । तो मैं आपसे कह रहा था कि किन-किन दरवाजों से छनकर यह हमारे सामने आता है । एक कंट्रोलिंग आफिसर होता है जो खर्च पर कंट्रोल करता है कि किस मद में कितना धन खर्च हो तथा जो खर्च है वह उचित खर्च है या नहीं । फिर एस्टीमेंट कमेटी के पास वह जाता है । उसमें नीचे के अधिकारी और उनका स्टाफ काम करता है । जब कई ऐसे अवसर हैं, तब या तो विभाग अनुत्तरदायित्व से काम करता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता नहीं है या वह विभाग अकुशल है जो गलत मेटिरिअल्स देता है । एस्टीमेंटिग आफिसर का काम होता है कि वह सही एस्टीमेंट करें ।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, ऐडमिनिट्रेटिव आफिसर होते हैं, वे उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, इस पर अलग से वह सब मेटिरियल देते हैं, और उस पर अपनी टीका टिप्पणी देते हैं। एस्टीमेंट तैयार होने के पहले ए0 जी0 उस पर अपनी कमेंट देते हैं और हमारे मंत्री भगवान का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बनाया हुआ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास वह पहुंचता है। मैं भी सरकार में था और मेरी कल्पना में यह बात थी। यदि मुझे वहां रहने का ज्यादा अवसर मिलता तो मैं पहला कदम यही उठाता क्योंकि यहां तो सब की दवा आई० ए० एस० आफिसर ही मान लिया गया है। जैसे यूनिवर्सल वीग होता है जो हर घोड़े को चाहे वह ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, लाल हो या सफेद हो, सब के लिये वह फिट हो जाता है उसी तरह से आई० ए० एस० आफिसर सब विभाग के लिये फिट हो जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आई० ए० एस० आफिसर रख दिये जाते हैं। मंत्री रहने का जो अनुभव मुझे मिला उसके आधार पर मैं कहता हूं कि उनको तो स्वयं की कुछ जानकारी होती नहीं, वे अपने नीचे वालों से पूछते हैं। नीचे के स्टाफ को सारी जानकारी रहती है। क्योंकि वे ही फाइल पर टीका टिप्पणी करते हैं और फिर उसके बाद खटाखट वह फाइल नीचे से छनकर जिस तरह से लिफ्ट ऊपर चली जाती है उसी तरह से वह ऊपर पहुंच गयी। उनको इतना निजी ज्ञान तो रहता नहीं जो अपने अनुभव के आधार पर वे अपनी टीका टिप्पणी करें। वह तो नीचे से दी हुई टिप्पणी के आधार पर ही उन्होंने अपनी टीका दी।

मैं किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो फाइनेंश डिपार्टमेंट के व्यक्तियों की बात कर रहा हूं कि वे लोग क्या करते हैं। अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो जो माव है, रेट है, समाज की गति है उसको वे देखते हैं, आंख मूंद कर तो रहते नहीं हैं, जितने मेटिरियल की आवश्यकता होती है वहां रहती है और उनको रहना चाहिये। लेकिन जो अयोग्य है उनको वहां नहीं रहने देना चाहिये। बुलेटिन रिजर्व बैंक से निकलती हो चाहे प्राइसेज के बारे में निकलता हो, चाहे मेटोरियल के बारे में निकलता हो जिससे वित्त विभाग का संबंध है, उनका पुनीत कर्तव्य है कि उनसे उनको पूर्ण भिज्ञ रहना चाहिये और उनका पूरा ज्ञान रखना चाहिये। अगर उनका ज्ञान नहीं रखते हैं तो वे योग्य नहीं हैं, अकुशल हैं और मैं कहता हूं कि उनको उनका ज्ञान नहीं रहता है। क्योंकि वे फाइनेंश की कला से अनभिज्ञ रहते हैं। यदि ऐसे मसले होते हैं जिनमें विभाग के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वे डिपार्टमेंटल हेड से डाइरेक्ट एक्सप्लेनेशन मंगा सकते हैं या फिर कंट्रोलिंग अथारिटी के द्वारा मंगा सकते हैं।

मान्यवर, एक निश्चित समय होता है जिसके अन्दर बजट बनता है। यह कहते हैं कि बजट की सारी सामग्री अक्टूबर तथा नवम्बर तक उनके पास पहुंच जाती है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी बता सकते हैं कि इतने दिन पहले उनके विभाग के पास सारी सामग्री आ जाती है। उसके आधार पर वे उसकी आलोचना करते हैं और अगर किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो वे मंगा लेते हैं। इस पर भी जो बजट बनता है उसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं कि साढ़े तेरह करोड़ की एक्सेस ग्रांट हमारे सामने आती है। एक्सेस ग्रांट में पहले खर्च हो चुका होता है। ग्रांट्स में तो यह कहने का मौका रहता है कि अधिकारी सतर्क रहता है क्योंकि वह सोचता है कि ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिये। लेकिन इसमें खर्च कर चुके होते हैं इसलिये इसमें सतर्क रहने का कोई सवाल नहीं रह जाता है। इसलिये एक्सेस ग्रांट वाला मामला बड़ा गम्भीर मसला है। ज्यादा खर्च हो जाता है तो कैसा बजट बनाया, कौन कंट्रोलिंग अथारिटी थी जिसने वित्त विभाग को कुछ नहीं बताया या वित्त विभाग ने समय पर सूचना क्यों नहीं मंगाई कि खर्च बढ़ रहा है। अगर अधिक खर्च की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट मांगनी चाहिये थी। यह वित्त विभाग की ग्रांट है इसलिये और भी ज्यादा कंडमनेशन है। वित्त विभाग ने कैसे व्यय किया और जब सप्लीमेंटरी ग्रांट का अवसर आया तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? कौन आपकी कंट्रोलिंग अथारिटी है। अगर आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कसूर बताते हैं तो वित्त विभाग ने कोई शिकायत भेजी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने समय पर वित्त विभाग को सूचना नहीं भेजी। आपकी कंट्रोलिंग अथारिटी ने सूचना नहीं भेजी या एस्टीमेटिंग आफिसर ने नहीं भेजी। ऐसी एक भी शिकायत फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नहीं भेजी है। इससे स्पष्ट है कि सारी डिफाई अकुशल और अपर्याप्त

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ज्ञान के कारण है । मेरा यह स्पष्ट कहना है और मैंने बार बार इस पर बल दिया है कि इसमें उचित परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है।

मैं एक दो मिसाल इस आदरणीय सदन के सामने दे देना चाहता हूं । आज तक सदन के सामने विभाग ने नहीं रखा और हमारे माननीय सदस्य भी बराबर कहते रहते हैं । सरकार का तो केवल एक काम रह गया हैं कि सेक्रेटरी की रक्षा कैसे हो । जो सेक्रेटरी का जवाब आता है उसी की पुष्टि में यह कहते जाते है । सारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो रुपया रिलीज होता है वित्त विभाग से उसमें बहुत बिलम्ब होता है । अधिकांश रुपया मार्च के अंतिम सप्ताह में जाता है । इससे 5 रुपये की चीज के 15 रुपये देने पड़ते हैं क्योंकि सारे रुपये को खर्च करने का प्रश्न सामने रहता है । क्या आपने कभी सदन के सामने यह रखा कि जो एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंटल हेड से मांगा जाता है वह समय पर नहीं आता है । सदन जानना चाहता है कि इसको वित्त विभाग ने उसके सामने क्यों नहीं रखा । आप अपने विभाग को बचाना चाहते हैं । यह आपका क्रेडिट नहीं है । आप खुले रूप में सामने आयें । जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, अगर सरकार समझती है कि घोड़े के नीचे सवार नाचता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तब तो जो घोड़ा कहेगा वही आप करेंगे । यह स्थिति आज है और जो इस सरकार के मंत्री हैं वह हमेशा उन के पोषण में, उन की रक्षा के लिये ही बात करते हैं और किसी सत्य पथ की ज्ञान की बात वह नहीं कहते ।

एक उदाहरण मैं दूंगा कि यह अतिरिक्त खर्च क्यों बढ़ते हैं । देखने की बात है कि कहा जाता है कि स्टाफ सरपल्स है या ज्यादा है । पहले से यह बात उनके समझ में नहीं आती कि स्टाफ ज्यादा है यह बाद में उनकी समझ में आया जब दस-दस,पन्द्रह-पन्द्रह साल तक लोगों को रखते हैं तो उनकी समझ में यह बात नहीं आती, जब पन्द्रह बरस अस्थायी सर्विस करने के हो जाते हैं तो उस गरीब से कह दिया जाता है कि तुम अस्थायी ही हो । प्रश्न यह है कि फाइनेंस विभाग जिस ने उन पदों को सेन्कशन किया उस वक्त उसको उन सर्विसेज की जरूरत रही या नहीं रही, आप ने दस दस साल तक उन लोगों की जिन्दगी बरबाद कर दी और बाद में कह दिया कि उनकी कोई जरूरत नहीं है । इस तरह से आप एक्सेस खर्च करते हैं और कितने लोगों की जिन्दगी भी साथ में बरबाद करते हैं । इसके लिये फाइनेंस अथारिटीज दोषी हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं एक उदारण और दूगा। आप का काम चल रहा था, सिंचाई विभाग की मद आप लाये तो उस वक्त मैं नहीं बोला लेकिन आप देखें कि 26–27 सौ रुपये पर आप इंजीनियर लाये आप उस को 2,200 पर भी ला सकते थे और कम खर्च कर सकते थे, आप क्यों इंजीनियर को इतनी अधिक कास्ट पर लाये । आपने इस तरह से अतिरिक्त व्यय जानबूझकर कराया । मैं जानना चाहता हूं कि जिस विभाग ने डिले किया उस को आपने क्या कोई सजा दी और अगर आप इस तरह से उनको इसके लिये कोई सजा नहीं देंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा । तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी परियोजनाओं के लिये टारगेट फिक्स करते हैं । 4 परियोजनायें समाप्त हो गई और 8 साल उसमें लगते हैं, मान लीजिये कि आप 25 रुपये का हिसाब लगाकर खर्च करते हैं और उसमें 30 रुपया व्यय हो जाते हैं । तो आप की बुद्धि, आप का न्याय इस ओर जाना चाहिये कि यह अतिरिक्त, अधिक पैसा क्यों खर्च हुआ ।

यह केवल आपकी गलत नीति, बुद्धि और विवेक के न लगाने से और विभागों की लापरवाही से होता है । केवल मंत्री ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि फाइनेंस विभाग जिस का ओवर आल कंट्रोल समझा जाता है वह इस सारी गलती का जिम्मेदार है । सदन की पास की हुई ग्रान्ट पर उस की नुक्ताचीनी और समय से सेन्कशन न देना यह उसका भारी दोष है, समय

बरबाद करना और बाद में इस तरह से अधिक खर्च करना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। हर पहलू पर, हर चीज पर सदन से पास हुई ग्रान्ट के ऊपर यह अपनी नुक्ताचीनी करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि तरह तरह की यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट और अतिरिक्त ग्रान्ट या एक्सेस ग्रान्ट आप को लानी पड़ती है। इस तरह से समय की भी बरबादी होती है। कोई नहीं पूछता कि यह किस की जिम्मेदारी है और क्यों यह हर साल होता चलता है। यह सारी जिम्मेदारी फाइनेंस विभाग की ही है। उस जिम्मेदारी को किसी न किसी व्यक्ति को ओन करना चाहिये। इन तमाम आधारों पर जो विचार मैंने व्यक्त किये हैं मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि वह कोई प्रिजुडिस की बात न समझकर मैंने जो कहा है उस की भावना पर विचार करेंगे। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को इस अपनी बात में नहीं घसीटा है।

मैंने दूसरे सूबों के बारे में भी आप के सामने रखा, हो सकता है कि मेरी भावना से वह सहमत न हों क्योंकि विपक्ष की भावना से वह सहमत हो नहीं सकते लेकिन जो रचनात्मक सुझाव मैंने रखे हैं उन पर वह इस चीज से ऊपर उठ कर विचार करें जो बातें उनका न्यायोचित लगें। लेकिन आप इस दिशा में उसी तरह से जागृत नहीं हैं जैसे पब्लिक सर्विसेज में आप जनसेवा की भावना को जागृत नहीं कर सके। हम भी कुछ दिन उस तरफ रहे लेकिन आप ने डिफेक्टर्स को तोड़ कर हम को मौका ही नहीं दिया और आपने स्थिरता कायम नहीं होने दी,हमें अवसर मिलता तो हम कर के दिखाते। आप हमारे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करें और उचित समझें तो आप कुछ आवश्यक परिवर्तन और संशोधन इन तरीकों और नीतियों में करें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बात अपनी जगह पर सही है कि यह बढ़ती खर्च के मामले लोक लेखा समिति के सामने आते हैं और वहां पर उन पर विचार होन के बाद जब वहां से उन की स्वीकृत हो जाती है तब वे सदन के सामने लाये जाते हैं लेकिन लोकलेखा समिति के सामने सिवा उनकी मंजूरी के और कोई दूसरा रास्ता रहता ही नहीं। जो रुपया व्यय कर दिया गया है, चाहे वह नियंत्रण की कमी की वजह से हो,चाहे विभाग के आफिसर्स की लापरवाही से ज्यादा खर्च हुआ हो लोक लेखा समिति तो मजबूर हो जाती है कि वह उसको स्वीकृति करे और इस बात की सिफारिश करे कि सदन से उनकी स्वीकृति ली जाय।

लेकिन प्रश्न तो यह है कि जब सदन यहां से मंजूरी देता है तो वित्त विभाग फिर से उस पर विचार करता है और अपने यहां विचार करने के उपरान्त विभिन्न विभागों को खर्चे की अनुमति देता है। उसमें समय भी लगता है और जितना समय विभागों को मिलना चाहिये उतना समय नहीं मिलता है लेकिन अगर उसके बाद भी विभागों पर नियंत्रण न रहे, खर्चे पर नियंत्रण न रहे और विभिन्न विभाग व्यवस्थित धन से ज्यादा खर्च कर दें तो उसके लिये औचित्य नहीं है। अगर उस पर फिर से अनुशासन न रखने की कोशिश की गयी और छूट दी जाती रही और यह मंजूरी होती रही और कोई अधिकारी अपनी लापरवाही के कारण दंडित न हुआ तो सुधार होना मुश्किल है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस बात को देखें कि कहा पर और किस तरह से लापरवाही होती है, खर्चे गैं और आखिर वक्त तक देखभाल करें कि जितना व्यय होना है, उससे ज्यादा खर्च होनें न पायें।

जब काम किसी सन के लिय होता है तो उस सन को देखकर खर्चा तय होता है लेकिन बिलम्ब होता है, खर्चा ज्यादा बढ़ता है। इसलिये अनुमान नहीं रह पाता है कि कितना खर्चा होने वाला है और परिणाम यह होता है कि जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने का प्रयास भी किया जाता है। परिणाम यह होता है कि कई वर्षों बाद जब वह चेक होता है और लोक लेखा समिति के सामने आता है तो वह उस पर फिर विचार करके जब कोई रास्ता नहीं रहता, तो यह स्वीकार कर देती है कि इसको सदन से मंजूर कराया जाय।

[श्री जय राम वर्मा]

लेकिन वित्त मंत्री जी का यह परम कर्तव्य है कि साल भर इस बात को देखें और अपने जो सहयोगी मंत्री हैं, उनसे सहयोग लेते रहे कि वे अपने विभाग में देखें कि जितना खर्चा पहले से स्वीकृत है, उससे ज्यादा न होने पावे और साल में 1 या 2 बार सप्लीमेन्टरी मांग जब आती है तो समझ में नहीं आता कि फिर क्या कठिनाई रहती है । अगर ज्यादा खर्च होना है तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के जरिये से स्वीकृति ले लें और उसके अन्दर खर्च करें ।

दूसरी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट फरवरी या मार्च में आती है तो उस वक्त तक पूरा अन्दाज हो जाना चाहिये कि किस विभाग में और किस मद में कितना खर्च होना है । अगर पूरी देखभाल रखी जाय तो व्यवस्थित धन से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिये । इससे परिणाम यही निकलता है कि उनको छूट रहती है । अगर यह छूट न रहे तो जरूरत से ज्यादा खर्चा न हो। इसलिए हमारे सामने मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है । लेकिन मजबूरी में यह सदन जो मंजूरी करता है, उससे माननीय वित्त मंत्री की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात को फिर अपने दिल में रखना चाहिए कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही विभागों में नहीं होनी चाहिए कि सदन मजबूर हो कि इतना ज्यादा खर्च मंजूर करे। थोड़ी बहुत रकम अनुमान से बढ़ सकती है लेकिन 12 या 13 करोड़ रुपया बढ़ जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि इस प्रकार का जरूरत से ज्यादा खर्च न होने पावे जिससे फंड्स की कमी न हो। वे अनुदान का भी जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और फिर सामने आते हैं कि हम को पैसे की जरूरत है और पैसा मांगने के लिये ऐसे टैक्स लगाने पड़ते हैं जिन टैक्सों की जरूरत भी नहीं, उन टैक्सों को लगाना पड़ता है महज इस वास्ते कि बिना जरूरत के रुपया बिना उसे अच्छी तरह से विचार किये हुए खर्च कर दिया जाता है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बात को आगे के लिये गांठ बांध लिया जाय कि अब इस तरह का खर्च न किया जायेगा और पूरी देखभाल रक्खी जायेगी और पूरा नियंत्रण रक्खा जायेगा । जो व्यवस्थित है उससे हरगिज धन ज्यादा खर्च नहीं होने पायेगा ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, इस समय वित्तीय वर्ष 1965-66 से सम्बन्धित अतिरिक्त अनुदानों की मांग के संबंध में जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया उस पर विचार की भूमिका में सम्मानित सदस्य, बलिया ने इस बात की शिकायत की कि 1965-66 के बजट के बढ़े हुए खर्च के बारे में आज सन् 1972 में प्रस्ताव आ रहा है । श्रीमन्, इसमें सरकार या सदन या किसी का दोष नहीं है। यह प्रक्रिया हमारी ऐसी है जिस प्रक्रिया के अन्तर्गत इतनी देरी हो जाती है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि सन् 1965-66 के बजट में जो खर्चा हुआ उनको इलाहाबाद के अकाउन्टेन्ट जनरल वहां उन अभिलेखों को रखते हैं और आडिट करते हैं । उस आडिट करने में और रिपोर्ट को प्रकाशित करने में साल दो साल लग जाते हैं और इस रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद, श्रीमन्, यह सदन की मेज पर रखा जाता है । श्रीमन्, आपको मालूम है कि सन् 1968 में सदन स्थगित था, भंग हो गया था और सरकार की अदला-बदली में यह अवसर नहीं मिला कि लोक लेखा समिति ठीक प्रकार गठित हो सके और वह कार्य ठीक प्रकार से कर सके ।

इन सारी परिस्थितियों से श्रीमन्, सारा सदन और आप भी अवगत हैं । तो लोक-लेखा समिति की जब सदन में लेखा रिपोर्ट रक्खी गई तो समिति ने विचार किया और मई, 1970 के अन्त में लोकलेखा समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और श्रीमन्, यह भी प्रक्रिया है कि लोक लेखा समिति जो सिफारिशें और टिप्पणियों को करे उन पर विभागों से स्पष्टीकरण मंगाया जाता है और जब तक स्पष्टीकरण इतना स्पष्ट न हो जाय कि वह स्वीकार करने योग्य है तब तक

स्पष्टीकरण मंगाने का क्रम जारी रहता है और उसके बाद यथाशक्ति सन्तोष हो जाने के बाद भी व्ययाधिक्य को रेगुलराइज करने का विधेयक आता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिये। मैं तो इससे भी सहमत हूं कि व्ययाधिक्य भी नहीं होना चाहिये। जितना सदन ग्रान्ट मंजूर करे उतना ही व्यय होना चाहिये। श्रीमान् साधारण सिद्धान्त है कि ग्रान्ट में जितनी धनराशि रक्खी गई है उतनी ही व्यय होनी चाहिये। न उससे कम हो और न उससे ज्यादा हो। बजेटरी सिद्धान्त के अनुसार तो न सेविंग्स होनी चाहिये और नही एक्सेज होने चहिये। खर्च का कम होना भी गलत है और खर्च का ज्यादा करना भी

श्रीमन्, इस बात का प्रयास होता रहा है कि ऐसा न हो और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से यह फाइनेन्स डिपार्टमेंट का ही कर्तव्य है कि बजट मैनुअल के आधार पर मान्य वित्तीय सिद्धान्तों के अधार पर यह सुनिश्चित करे कि ग्रान्ट में सेविंग्स भी न हों और एक्सेज भी न हों। अब श्रीमन्, आज जो हमारी विकास की प्रणालियां हैं, आवश्यकतायें हैं उनमें बहुत बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐन मौके पर अनिवार्य खर्च करना पड़ती है और नई योजनाओं के लिये भी धनराशि की स्वीकृति देनी होती है। तो ऐसे अवसरों पर कोई व्ययाधिक्य हो जाय तो उसका सही-सही अनुमान लगाना बड़ा कठिन है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसी व्ययाधिक्य के इस विधेयक के सिडयूल के अन्त में जो मदें दी गई हैं उसमें अधिकतर जो धनराशि है और जिसके लिये सदन की आज्ञा चाही है, वह सस्पेंश एकाउण्ट की है। यह एक ऐसी मद है जिस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिये जो मशीनों का क्रय होता है प्रोजेक्ट के लिये, बड़े पैमाने पर स्टोर तथा गोदामों की चीजों का क्रय होता है जैसे रोडवेज के वर्कशाप हैं, सिंचाई के वर्कशाप हैं या बड़ी-बड़ी परियोजना के लिये मशीनों का क्रय है इसका जो व्यय होता है वह सस्पेंश एकाउण्ट में जाता है। जैसे कि किसी परियोजना पर 10-12 करोड़ रुपया व्यय होना है और मशीनों के आर्डर किसी विदेशी या देशी फर्म को सप्लाई करने के लिये दे दिये कि इतने समय के अन्दर वे सप्लाई दे दें। होता क्या है कि ये सप्लाई समय के अन्दर नहीं आ पाती, और जब आती हैं तो वह वित्तीय वर्ष गुजर गया होता है जिसमें धनराशि उपलब्ध थी। इसका ऐडजस्टमेंट एकाउन्टेन्ट जनरल करते हैं कुछ महीनो के बाद, लेकिन करते हैं उसी पुराने वित्तीय वर्ष में और जब अचानक बिना किसी जानकारी के वह बजट हेड एकदम एक्सेस हो जाता है क्योंकि उस फाइनेंशियल ईअर के बजट हेड में एडजस्टमेंट हो चुका होता है जो बीत चुका है।

किस प्रकार इस पर नियंत्रण होना चाहिये, हम परामर्श कर रहे हैं अपने एकाउन्टेन्ट जनरल से और कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल से। यह एक प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि सभी प्रदेशों में है कि इस उचन्त के खाते को कैसे नियंत्रित किया जाय, इस पर विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि इस विषय पर शीघ्र ही कुछ निर्णय हो सकेगा। लेकिन एकाउन्टेंट जनरल और कम्पट्रोलर आडिटर जनरल भी मजबूर रहते हैं कि जो एकाउन्ट हेड बनते हैं वह एक प्रदश के लिये नहीं होते, इसमें अखिल भारतीय आंकड़े रहते हैं। यह भी उनके सामने एक समस्या है कि सभी प्रदेश के एकाउन्ट हेड एक हों। इसलिये उन्होंने एक प्रदेश की दृष्टि से नहीं बल्कि देश के सभी प्रदेशों की दृष्टि से उन्हें हेड्स का निरूपण करना होता है। यह एक व्ययाधिक्य का मुख्य कारण है। श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे सम्मानित नेता जनसंघ दल बार-बार फाइनेंस डिपार्टमेंट की आलोचना इस दृष्टिकोण से करते हैं जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट कमजोर हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, यह बड़ा आपत्तिजनक रिमार्क है कि इसलिये आलोचना करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कमजोर हो...

श्री उपाध्यक्ष—

आप घबड़ाते क्यों हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं क्यों घबड़ा रह हूं। घबड़ा तो ये रहे हैं ···

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं घबड़ा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भंग कर दिया जाय या फाइनेन्स डिपार्ट मेंट का ऐसा विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय कि फाइनेन्सियल ऐडवाइजर हर विभाग में भेज दिये जायं, तो मान्यवर, इससे फाइनेंस डिपार्टमेंट और कमजोर होगा और व्ययाधिक्य और बढ़ेगा तथा ऐसी कठिनाइयां आयेंगी कि इसका कोई ठिकाना न होगा। यह तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह एक्सेस को रोके कितनी आमदनी है ? आखिर हम केवल खर्च का तो बजट बनाते नहीं। यह कठिनाई है कि हमारे कुछ मित्रों का ख्याल रहता है कि सरकार केवल खर्च का बजट बनाती है, आमदनी का उसमें सवाल नहीं होता, यह बड़ी भारी विडम्बना है। मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है ध्यान रखना कि किस मद से कितनी आमदनी हो रही है और उस आमदनी का जितने भी विभाग हैं उनके खर्चों में किस तरह से संतुलने किया जावे, यह ख्याल रखना वित्त विभाग का काम है। कितने ही चार्ज्ड एक्सेपेंडीचर्स भी होते हैं, ऋण की क्या पोजीशन है, कितने वेजेज देने हैं, कितना म्यूनिसिपैलिटियों को देना है आदिआदि सभी चीजों और हर चीज को समझ कर करना होता है, जांच करना होता है इसलिये अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और सम्माननीय नेता जनसंघ दल से चाहूंगा कि वे कृपया स्पष्ट करें कि क्या कभी जनसंघ की सरकार होगी तब क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई स्थान नहीं होगा और क्या उस समय फायनेंस डिपार्टमेंट के स्थान पर हर विभाग में अलग-अलग फायनेंशियल सलाहकार कार्य कर सकते हैं ? यह असम्भव है ?

संसार के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ जब कि फायनेंस डिपार्टमेंट को कमजोर कर दिया गया हो और फायनेंस डिपार्टमेंट का जो दायित्व है उनको कम करने की कोशिश की गयी हो। श्रीमन्, ब्रिटेन में जहां कि पार्लियामेंटरी पद्धति और प्रक्रिया का हम अनुपालन करते हैं वहां पर एक्सचेकर कंट्रोल एक विशेष प्रकार का है। उनका एक्सचेकर कंट्रोल यहां सम्भव नहीं हो सका है। वहां चांसलर आफ दि एक्सचेकर है। वहां पर पे मास्टर जनलर होते हैं। उनको मालूम रहता है कि किस विभाग के किस मद में कितने धन की स्वीकृति सदन ने, हाउस आफ कामन्स ने दे रखी है और जिस दिन नियत ग्रान्ट से एक शिलिंग ज्यादा खर्च होने लगे वे फौरन कह देते हैं, पे मत करो। वह अभी हमारे यहां सम्भव नहीं है। हमारे एकाउंट्स का आडिट एकाउन्टेंट जेनरल जो इलाहाबाद में है करते हैं। इसीलिये एक्सपेंडीचर कंट्रोल जो हाउस का सबसे बड़ा अधिकार है उसने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और प्राक्कलन समिति बनाई है और सदन ने जो ग्रान्ट्स स्वीकृत किये हैं उसके मुताबिक उन मदों पर खर्च हो रहा है या नहीं इसकी जांच पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और प्राक्कलन समिति करती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट तो इस सदन का सहायक है। सदन की जो अभिलाषा है, सदन ने जो मांगें स्वीकार की हैं उनके अनुरूप खर्च हो रहा है या नहीं, वह इस बात को देखता रहता है।

जहां तक फाइनेन्शल एडवाइजर्स की नियुक्ति का स ाल है, श्रीमन्, मैं नेता जन संघदल की सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि फाइनेन्शियल एडवाइजर मुकर्रर कर रहे हैं। सिंचाई विभाग कृषि उत्पादन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग में डिपार्टमेंट के अन्दर जो फाइनेन्शल ऐडवाइजर्स होंगे उनको इस बात का अधिकार होगा जैसा कि केन्द्र में भी है कि वे विभाग के जो इंटरनल एकाउन्ट्स हैं उनकी जांच करें और जो नियम हैं वही देखें और उन्हें इस बात का भी अधिकार होगा कि वे वहां के खर्चे को स्वीकृत करें लेकिन जो ऐसे नीति के प्रश्न हों जिनके बारे में वित्त विभाग के पास आना आवश्यक हीहो तो उस हालत में ही वित्त विभाग बीच में उसके आयेगा अन्यथा

वही विभाग के अन्दर स्वीकृति भी दे दिया करेगा। इस प्रकार का प्राविधान हम करने जा रहे हैं ताकि देरी न लगे लेकिन जो दूसरे दायित्व वित्त विभाग के हैं बजट संबंधी कि बजट इस प्रकार का न हो कि आमदनी और खर्च के अन्दर इतना फर्क हो जाय कि प्रदेश और सदन जिसे बरदाश्त न कर सके उसको तो वह पूरा करेगा ही। यह सारे कार्य जो वित्त विधविभाग के हैं उनका होना अनिवार्य है। मुझे आशा है कि इस दृष्टिकोण से हमारे सम्माननीय नेता जनसंघ दल अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे।

माननीय भारतीय क्रान्ति दल ने जो सुझाव दिये हैं, वे अवश्य ही विचारणीय हैं और वित्त विभाग उन पर विचार करने को तत्पर है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि उनकी सलाह हमको मिली क्योंकि वे वित्त विभाग से सरकार में काफी सम्बद्ध रहे हैं और उनको पूरा अनुभव है कि किन कठिनाइयों और दिक्कतों का वित्त विभाग को सामना करना पड़ता है और बजट का समन्वय करना पड़ता है और आमदनी तथा खर्चे को मिलाने की चेष्टा करनी पड़ती है। जो उन्होंने नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, उसके संबंध में मैं समझता हूं कि कोई दो राय नहीं है और हमें उस दिशा में अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये। मैं उनका ध्यान और नेता जनसंघ का ध्यान बड़ी विनम्रता से इस वर्ष के बजट भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कई नीति के निर्णय लिये गये हैं कि किस प्रकार ग्रान्ट्स के नियमन आदि मसलों पर जल्दी की जाय किस प्रकार शासकीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति और टेक्निकल स्वीकृति में जो टाइम लेग होता, समय अधिक लग जाता है (जैसे इस माननीय सदस्न ने कोई ग्रान्ट मंजूर की तो उसकी फायनेंशियल और टेक्निकल सैंक्शन में जो देर होती है) उस तरह के विलम्ब को कैसे कम किया जाय, इन सत्र के विषय के इस वर्ष के बजट भाषण में कई नीतियों पर निर्णय लिये गये हैं और उन पर कार्यवाही हो रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति कम से कम आ सके। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इसमें कोई अमेंटमेंट तो है नहीं। जखण्ड भी ले लें।

खण्ड 2, 3, अनसूची खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन विधेयक 1972)

31 मार्च, 1966 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धन-राशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन), अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

1965–66 की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से 13,35,72,483 रुपये का दिया जाना

2—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों कें, जिनका कुल योग 13,35,72,483 रुपये (तेरह करोड़, पैंतिस लाख, बहत्तर हजार, चार सौ तिरासी रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

3—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनु-दान, संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत भाग	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
	राजस्व व्यय—			
8	राज्य विधान मंडल ..	..	70	70
10	आयुक्त और जिला प्रशासन	17,37,753	..	17,37,753
12	न्याय प्रशासन ..	2,81,309	5,108	2,86,417
22	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	..	1,12,596	1,12,596
25	नियोजन तथा समन्वय	..	8,893	8,893
26	श्रम और सेवायोजन ..	..	1	1
30	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	1,49,77,770	16	1,49,77,786
36	संचार साधनों का सुधार	2,86,882	..	2,86,882
37	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	6,65,529	..	6,65,529
39	परिवहन ..	82,47,169	17,514	82,64,683
45	प्रकीर्ण व्यय ..	..	13,336	13,336
	योग, राजस्व व्यय ..	2,61,96,412	1,57,534	2,63,53,946
	पूंजी व्यय—			
49	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	7,09,44,572	..	7,09,44,572
51	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	3,61,34,123	..	3,61,34,123
52	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	..	1,39,842	1,39,842
	योग, पूंजी व्यय ..	10,70,78,695	1,39,842	10,72,18,537
	बड़ा योग ..	13,32,75,107	2,97,376	13,35,72,483

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972†

विद्युत राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें इससे पूर्व कि सदन उस पर विचार करे और उस पर अपनी राय दें, एक थोड़ा अनुरोध करना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता पड़ी और किस लक्ष्य की पूर्ति और किस बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के लिये इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी । इस समय प्रदेश में लगभग 16 निजी सप्लाई कम्पनियां हैं और 13 नगर पालिका की अण्डरटेकिंग्स हैं । ये विद्युत परिषद् से सप्लाई लेती हैं और उसके द्वारा अपने क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई करती हैं । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बल्क सप्लाई तो इनको रेगुलर मिलती रहती है लेकिन उसका पेमेन्ट यह रेगुलरली नहीं करते और एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि यह जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है या नगरपालिका अंडरटेकिंग्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एरियर्स हो जाते हैं, जिससे विद्युत परिषद् के संसाधनों में और आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर एक विषेश स्थिति होती जाती है । मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 30–9–71 तक इस तरह का बकाया 1 करोड़ 38 लाख 17 हजार कुछ रुपया है । यह एसेन्शियल सप्लाई हमें बाध्य करती है कि यह पेमेन्ट करें चाहे न करें हम सप्लाई नहीं बन्द कर सकते । जनहित का प्रश्न है । विद्युत परिषद् की इस कमजोरी का यह लोग फायदा उठाते हैं । जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, 1910 या 1948 का है, उसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि इनके ऊपर हम कोई बंधन लगा सकें । एक बार हमारा इनका अनुबन्ध हो गया, हम इनको रेगुलर बल्क सप्लाई देते रहेंगे, और यह पेमेंन्ट अपने ढंग से करते हैं, जिसके कारण बड़ा भारी आर्थिक संकट हो जाता है ।

वैसे तो हमारा दृष्टिकोण यह भी है कि धीरे-धीरे ऐसी प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को जब उनका लाइसेन्स समाप्त हो जाता है, हम ले रहे हैं । इन प्राइवेट अंडरटेकिंग्स से अनेक शिकायतें आ रही हैं, उपभोक्ता परेशान है । उस पर भी हम विचार कर रहे हैं । लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में इस समस्या का समाधान हो इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के बाद एक नयी धारा 47/ए जोड़ दी जाय जिससे कि सिक्योरिटी का प्रावीजन हो जाय । इनसे हम सिक्योरिटी जमा चरा लें और उसके आधार पर जब यह रेग्युलर पेमेन्ट में गड़बड़ करें तो तत्काल उस सिक्योरिटी से उसका पूरा कल लें और फर्दर सिक्योरिटी पूरी करायें और ऐसा न करने पर हम उनका लाइसेन्स समाप्त कर दें और अपने आप सप्लाई देने लगें । इस वैधानिक अड़चन को दूर करने के लिये यह संशोधन सामने आया है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह संशोधन बड़ी नेकनीयती से एक बहुत बड़ी समस्या के

---

†12 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

समाधान के लिये आपके समक्ष उपस्थित किया गया है। विधान परिषद् में जब यह सामने आया तो लोगों ने इसका स्वागत किया और इसे पारित किया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजकर और समय लगाना उपयोगी न होगा। बड़ी उदारता से इसकी आवश्यकता और महत्व को देखते हुए इसको स्वीकार करें और एक जो अड़चन है उसको दूर करने में सहायक बनें।

श्री गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे दे और जिसे विधेयक को परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हुए मंत्री जी ने कहा कि यह जो 16 निजी कम्पनियां हैं इनके ऊपर लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपया बाकी है। श्रीमन्, यह सरकार समाजवाद का नाम लेती है और कहती है कि सारे साधन निजी क्षेत्र स सरकार के पास आएं और जनहित में लगें। लेकिन यह कम्पनियां चल रही हैं। फैजाबाद, मुरादाबाद अलीगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, इटावा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, मथुरा, वाराणसी आदि जगहों पर यह कम्पनियां हैं। इनमें से कुछ ऐसे पूंजीपति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे इलाहाबाद के अन्दर एक साहब रहते हैं, जिनके पास दो बड़ी-बड़ी इस प्रकार की कम्पनियां हैं अलीगढ़ और मुरादाबाद में वह बिजली सप्लाई करते हैं और उसको विद्युत् परिषद् से लेते हैं।

साथ ही जब किसी चीज के लियें हम कहते हैं तो वे हमसे और आपसे लड़ते भी हैं। इस प्रकार से ये कम्पनियां जनता से अधिक से अधिक रुपया वसूल करती हैं और उससे जनता को बड़ी परेशानी है दूसरी तरफ वे विद्युत परिषद् को ठीक से धन अदा भी नहीं करती हैं। मैं राधाकृष्ण गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वे इसको प्रवर समिति भेज दें ताकि 16 जो कम्पनियां हैं और 13 नगरपालिका की हैं और जो कि घाटे में चल रही हैं, उस पर वह अपने सुझाव दें कि किस प्रकार से घाटा पूरा किया जाय। या तो उनको सरकार स्वयं ले ले और इस पर सदन की एक समिति बैठ कर विचार करें। आज बिजली की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है और यह बिजली कम्पनियां कुछ नहीं कर रही हैं। सरकार से ये बिजली लेती हैं और आम जनता को अधिक दर पर बिजली देती हैं। आपने केवल यही अनुमति मांगी है कि ऐसी धारा जोड़ दें जिससे कि ये सिक्योरिटी जमा कर दें और बकाया धन जो है उसको न दें। हम बकाया धन की किस प्रकार से वसूलयाबी कर सकेंगे। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे हमारे गोस्वामी जी और नारामणदत्त जी इसमें संकोच कर रहे हैं। इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दें। सरकार स्वयं इनको ले ले ताकि यह विद्युत परिषद् के हाथ में आ जायें। यह एक अहम मसला है।

हम लोगों पर भूमि भवन-कर लगा दिया गया और कहा गया कि हमको वित्तीय साधन बढाने हैं धन चाहिये लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विद्युत मंत्री जो बहुत योग्य हैं उनको ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं इन 16 कम्पनियों को लेने के लिये जिससे वे इसके लिय आगे पग नहीं बढ़ाते हैं। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि इसके लिये वह सरकार को अपनी संस्तुति दे। आप आर्डिनेंन्स पास किया करते हैं लेकिन जिस काम को जल्दी करना है उस पर आप आर्डिनेंस नहीं लाते हैं। जो लोग हरियाना से आये हैं वे लोग इसको हथियाये बैठे हैं और जहां पर प्रकाश करना चाहिये वहां पर अन्धकार फैला है। आप इसको मार्टिग बर्न के हाथ से फौरन ही ले लें और इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय। वहां तो बहुत बड़ी घपले बाजी है कि उनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, इतना बकाया पड़ा है फिर भी न तो आप इसको ले रहे हैं और न तो प्रवर समिति में भेज रहे हैं। अभी तो सदन 4 तारीख तक चलेगा इसलिये मैं प्रस्तावित करता हूं कि इसको तुरन्त ही प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सन्ड जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने कहा कि उनसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ लिया जायेगा इसीलिए यह ।/ ए बढ़ाय जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि करीब पौने दो करोड़ रुपया इन कम्पनियों पर बकाये का चल रहा है १ इस संशोधन से क्या लाभ होगा ? वह इसको किस प्रकार स करेगा कि इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिये। कितनी सिक्योरिटी लगाई जायेगी, किस कम्पनी पर कितना लगेगा, यह कुछ मालूम नहीं है। मान लीजिये कि कोई कम्पनी 50 लाख रु0 की बिजली लेती है तो क्या एक साल के लिये उस पर 50 लाख की सिक्योरिटी लगाई जायेगी ? ऐसा होने पर तो फायदा है अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। आपका पौने दो करोड़ रुपया बाकी है और वह आगे बढ़ता ही चला जायगा। एक बात मंत्री जी ने कहा कि उनसे पुराना अनुबन्ध है और उनसे इसको लिया नहीं जा सकता है। इसी अनुबन्ध के कारण ही उनको बिजली दे रहे हैं।

जहां तक कि अनुबन्ध और मुवाहदों की बात है वह तो ऐसा है नहीं कि तोड़ा नहीं जा सकता है। वह तो तोड़ा जा सकता है। समय को देखते हुये जो प्राइवेट कम्पनियां हैं गवर्नमेन्ट उनको अपने हाथ में ले ले और उसको लेना चाहिये। इस संशोधन विधेयक को लाने से ज्यादा अच्छा होता कि वह पूर्ण विधेयक ही ले आती ताकि उनको मुआवजा वगैरा जो होता वह दे दिया जाता और कम्पनियां ले ली जातीं। आपने मंडी ऐक्ट लाकर बीच के आदमियों को समाप्त किया इसी प्रकार से विद्युत परिषद् और उपभोक्ता के बीच में जो कम्पनियां हैं उनको भी समाप्त कर देना जन हित में होता। परन्तु मैं समझता हूं कि इसके बारे में जो हमारे योग्य अधिकारी हैं, उन्होंने शायद यह राय नहीं दी हो चूंकि जैसा मालूम है, विद्युत परिषद् जहां हमारे लिये विद्युत का तमाम काम करता है उसके 50 करोड़ के घाटे को देख कर यह महसूस होता है कि इस गरीब जनता की कमाई को अकेले विद्युत परिषद् ही खत्म करने के लिये काफी है। तो उन्होंने अब भी ऐसी कोई राय नहीं दी कि इन कम्पनियों को सरकार ले या विद्युत परिषद् ले बल्कि उन्होंने कह दिया कि सिक्योरिटी ले लीजिये।

अब सिक्योरिटी की रकम कितनी रखी जायगी ? अगर 5 हजार सिक्योरिटी रख दी और बिजली की खपत 50 लाख सालाना की है तो क्या होगा? या तो 50 लाख की सिक्योरिटी रखे, लेकिन अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी वह दे सकता तो बकाया क्यों रहता ? तो जैसा संड जी ने कहा, मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे विस्तार से इस पर विचार हो सके और भिन्न-भिन्न लोगों की राय इस पर आ जाय। अगर गोस्वामी जी इन कम्पनियों को लेने की बात कहते तो आपका पूरे हृदय से समर्थन करता क्योंकि उस हालत मे जो बीच का आदमी लाभ उठाता ह उससे आप उपभोक्ता को बचाते। इसलिये आप इसे प्रवर समिति में दें और ऐसा विधेयक लायें जिससे यह पब्लिक के हित में हो सके।

वित्त मंत्री (श्री नारायदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं बीच में जरा एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राष्ट्रीयकरण का जो प्रश्न उठा है उस संबंध में मैं केवल सदन का ध्यान विद्युत मंत्रियों का जो अभी श्रीनगर में सम्मेलन हुआ उसके निर्णयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी केन्द्रीय विद्युत मंत्री, डा0 के0 एल0 राव ने तुरन्त घोषणा भी की थी जो निजी लाइसेन्सी है इनके टेक-ओवर के लिये। यह सारे देश में हैं, हमारे प्रदेश में तो हैं ही। जैसा कि विभाग के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट केन्द्र का बनाया हुआ विधान है और अगर हम कोई निर्णय लेत हैं तो पहले केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ेगी।

इसके संबन्ध में श्री बैजनाथ कुरील, केन्द्रीय उपमंत्री के संयोजकत्व में एक कमेटी भारत सरकार ने बनायी और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि देश भर में जो निजी लाइसेन्सी हैं उनका टेक ओवर किया जाय। श्रीनगर में जो पावर मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसने कुरील कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात डा0 के0 एल0 राव ने यह घोषित कर दिया कि जो निर्णय हुये हैं इनको लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार कानून बनायेगी। अब केन्द्र इस संबंध

में कानून बना रहे हैं और उस कानून के पारित होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जायगा कि वह निजी लाइसेन्सी कम्पनियों को ले सके ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक प्रवर समिति में जाय इसकी तो मैं आवश्यकता नहीं समझता लेकिन एक अशंका हमारे मन में अवश्य उत्पन्न हो रही है जिसको मैं निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं । जहां-जहां पर प्राइवेट कम्पनियां हैं और जिस प्रकार से वह अपना कार्य संचालन कर रहीं है वह जनता के लिये इतना दुखदायी है कि यदि एक दिन के लिये भी उनके जीवन को और रक्षा प्रदान की गयी तो वह बहुत ही कष्टदायक चीज होगी। पांडेय जी बैठे हैं और हम भी बनारस के पड़ोसी हैं । बनारस जो कि हमारे पूर्वांचल का एक प्रमुख नगर है वहां पर एक प्राइवेट कम्पनी विद्युत प्रदान करती है। वह रिहन्द से बिजली प्राप्त करती है और केवल डिस्ट्रिब्यूशन में करोड़ों रुपये का लाभ उठाती है । और वहां की बिजली की हालत यह है कि 24 घंटों में ऐसा दिन नहीं होता जब कि 2–3 घंटों के लिये बिजली गायब न हो जाती हो। उसके कारण अस्पतालों में आपरेशन तक नहीं हो पाते । माननीय मुख्य मंत्री जी के नगर में यह हालत हो, वहां की बिजली कम्पनी को प्रश्रय मिलता रहे तो यह दुख की बात है ।

जहां तक इस विधेयक की बात है, यह बड़ा इन्नोसेन्ट विधेयक है, लेकिन इस विधेयक को लाने की जिन अधिकारियों ने सलाह दी है वह गलत दी है क्योंकि ऐसा करके आपने यह सलाह दी है कि उनसे सिक्योरिटी ले ली जाय और वह लेकर उनको एक जीवन दान दे दिया जाय। यह पता नहीं कैसी रहस्य की बात है कि जब कभी बड़ी बड़ी फैक्टरीज को या बड़ी कन्सर्न्स के राष्ट्रीयकरण की बात आती है या टेकओवर की बात आती है तो केन्द्र और प्रदेश में एक पेचीदगी पैदा हो जाती है और यह कहा जाता है कि केन्द्र एक विधेयक लायेगा और उसके बाद ही राष्ट्रीयकरण होगा अब केन्द्र कितना काम करेगा ठीक है वह करे, लेकिन अगर वहां देरी हो जाय और वह न करे तो आप करें । आप कम से कम सदन को यह आश्वासन तो दें कि यदि केन्द्र किसी वजह से इसको करने में असमर्थ हुआ या वहां देरी हुई तो आप कदम उठायेंगे और इन 16 विद्युत कम्पनीज को कोई अधिकार नहीं है कि वे बिचौलिया बन कर पैसा प्राप्त करें ।

आज वे एक पैसा भी अपनी मशीनों आदि पर खर्च नहीं कर रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि टेक ओवर होगा । इस डर से जो पुरानी मशीनें आदि हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है बिजली एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो जीवन का एक अंग हो गयी है अगर उनको आप लीज देंनें तो निश्चय ही वहां का जीवन कर्मण्य हो जायगा । इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है, इस विधेयक को तो माननीय सदस्य पारित कर दे लेकिन माननीय मंत्री जी को कम से कम इतना तो आश्वासन अवश्य देना चाहिये कि अगर केन्द्र 2–4 महीने के अन्दर विधेयक नहीं लाता है तो वह सरकार लायेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह उन विद्युत कन्ज्यूमर्स का, जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है,जो जनता को ठीक से बिजली सप्लाई नहीं करती है और जो सरकारी विद्युत् सप्लाई से करोड़ों रुपये का लाभ कमाती है, नेश्नलाईज नहीं कर सकती है । उसके बारे में आपको पूरा हक है, आप उसे सदन में स्वीकार करें ।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि भाई कृष्णानन्द राय और साथियों ने कहा, उस पर तो सचमुच हमें हंसी आ रही है और मुझे खुशी है कि वहां जाने पर भी अच्छी बातों के लिये अब भी उनके हृदय में तपिश है । मैं उनसे ऐग्री करता हूं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अधिकार नहीं है, यह मानने के लिये वह तैयार नहीं है । माननीय तिवारी जी ने जो यह बात कही केन्द्रीय मंत्री को लेकर, तो उससे मेरे मन में ठेस पैदा हो गई है कि यह बात ठीक हो रही है या गलत हो रही है । मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

की सरकारें अपनी एटोनामी को सरेन्डर करने जा रही हैं और हर बात में केन्द्र पर निर्भर रहने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप उल्टा पिरामिड न बनायें। वह सही रूप में बनावें, वह नीचे चौड़ा होता है और ऊपर जाकर नुकीला होता है। आपका पिरामिड तो परिवार नियोजन के चिन्ह की तरह नुकीला हो गया है। इस तरह से सफलता नहीं मिलने वाली है। आज करुणानिधि जी की बात को दूसरी स्टेट भी मानने लगी हैं और समय आ रहा है कि सारी स्टेट्स उनकी बात का समर्थन करेंगी। अब सब जगह प्राविन्शियल आटोनामी की बात हो रही है और देर सबेर सभी को यह कहना पड़ेगा। हर बात में आप केन्द्रीय मंत्री की बात करते हैं, जो प्रदेश के सब्जेक्ट्स हैं। इरिगेशन, शिक्षा, कोआपरटिव आदि हर चीज के लिये कहां तक केन्द्र आयेगा। आपको मालूम होना चाहिये कि केरल का एक कानून जो वहां के वनों के सम्पत्ति के बारे में पास हुआ था, सेन्ट्रल ने उसके सम्बन्ध में संशोधन कानून पास कर दिया है। चूंकि वहां उनकी सरकार है, कम्युनिस्टों के साथ साझा करके उनकी सरकार यहां कायम है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आप सिर्फ कम्युनिस्टों का क्यों नाम लेते हैं, मुस्लिमलीगियों के साथ भी तो इनकी पार्टी की मिली जुली सरकार बनी हुई है।

श्री बंशीधर पान्डेय--

त्रिपाठी जी की बात सही है, मुस्लिम लीग के साथ भी इनकी सरकार बनी हुई है। वहां पर सारे सांप बिच्छू मिले हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि जो केरल में कानून पास किया है, उसके लिये 27 वां या 26 वां कान्सटोट्यू शनल अमेण्टमेंट लाकर केन्द्रने उसे रेगुलराइज कर दिया। मैं कृष्णानंद राय जी की बात स सहमत हूं कि उत्तर प्रदश की सरकार--आप केन्द्र सरकार क मंत्री से दब गये। आपने उनसे प्राविन्शियल आटोनामी की बात नहीं की। एक जमाना था जब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत, भारत क प्रधान मंत्री से बढ़ाकर हुआ करती थी। अब यह प्राविन्शियल आटोनामी क्यों गिर रही है ?

(व्यवधान)

आखिर यह प्रवृत्ति क्यों हो रही है, हम केंन्द्र की तरफ क्यों बराबर दौड़ रहे हैं। स्टैचर जो लीडरशिप की थी वह इन स्टेटों में अब गिर गई है। केन्द्र के चीफ मिनिस्टर की केन्द्र प्राईम मिनिस्टर से ज्यादा हैसियत हुआ करती थी। लेकिन आज तो जमाना ही बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश में अकेला एक मुख्य मंत्री बचा हुआ है जो पुरानी कांग्रेस की परम्परा में का है। वास्तव में वही एक मात्र चीफ मिनिस्टर है और सारे चीफ मिनिस्टर्स आज एप्वाएनटेड चीफ मिनिस्टर हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है इस देश में। कभी कभी राजेन्द्र कुमारी बाजपेई भी बिठाई जाती है कमलापति त्रिपाठी को रिप्लेस करने के लिये।

मान्यवर, एक जमाना था भारत के मूर्धन्य, त्यागी और समाज सेंवी चीफ मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर बनाते थे। यह ठीक है कि इन्दिरा गांधी को बदला लेना चाहिये, तो बदला लिया। लेकिन क्या देश उनको भुला सकता है--श्री गोपीनाथ बारदोलोई आसाम में मुख्य मंत्री थे, गोपालाचार्य मद्रास में थे, श्री टी० प्रकाशन आन्ध्र में, मोरार जी देसाई बाम्बे में, पं० रवि शंकर शुक्ल मध्य प्रदेश में, हीरालाल शास्त्री राजस्थान में, श्री गोविन्द बल्लभ पन्त उत्तर प्रदेश में, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार में मुख्य मंत्री थे। जनता के सामने इन्हीं की बात चलती थी, प्राईमिनिस्टर की बात नहीं चलती थी, चाहे वह प्राम मिनिस्टर ही थे। मैने देखा है, विधानचार्य राय जी के अद्भुत व्यक्तित्व को, कांग्रेस कन्डीडेट्स के लिये लोकसभा और विधान सभा के लिये प्रत्याशियों के चुनने का जो अधिकार केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की है, उसकी उन्होंने कभी फिक्र ही नहीं की वह स्वयं ही प्रत्याशियों का चयन कर लेते थे और नामों की सूचना बोर्ड को सूचनार्थ भेज देते थे और वह उनके चुनाव में कोई फेर बदल करने का साहस ही नहीं करते थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप यह बातें जवाहर लाल नेहरू के बारे में भी कह सकते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

आप तो उस समय कांग्रेस में थे नहीं। आप उस जमाने की क्या जानते हैं। आप तो सन् 1967 और 69 के टिकटों की बात जानते हैं।

मैं अप्रिय घटना में नहीं जाना चाहता। आज भाग्यवश, अभाग्यवश उस कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस की आन्तरिक नीतियों के सम्बन्ध में मुझसे ज्यादा कह सकते हैं दो चार आदमी, बलदेवसिंह जी हैं, मुझसे बड़े हैं, पंडित जी हैं। मैं कितना विरोध में रहूं, कांग्रेस का नेता होने के नाते मैं अपना सिर झुकाता हूं, वह हमारे लीडर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल का झंडा हमने उठाया या आपने उठाया? उस जमाने में तो आप उनका पुतला जला रहे थे। और आज आप दुहाई दे रहे हैं जवाहरलाल की। 1942 से कांग्रेस में आया। जवाहरलाल तब थे। अब भी कांग्रेस में बैठने के बाद आप लोग जवाहर लाल का पोस्टर नहीं छापते। असली कांग्रेस पंडित जवाहर लाल नेहरू का पोस्टर छापती है। आपने बड़े-बड़े नेताओं का नाम लिया। कौन नेता चीफ मिनिस्टर हैं ? पंडित जी एलेक्टेड हैं। पंडित जी को छोड़ जितने चीफ मिनिस्टर हैं एलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, अप्वाइन्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। कौन हैं ओझा। मैं तो कांग्रेस में उनको कभी जानता नहीं था। कौन है बरकतउल्ला ? जैसे पंडित कमलापति के साथ गौरी शंकर घूमते हैं। पुरानी कांग्रेस के लोग बरककउल्ला का नाम कोई नहीं जानते। कौन हैं नन्दिनी सत्पती ? हसबैंड ऐंड वाइफ बोथ वेयर कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर्स। इस तरह की लीडरशिप को ला रहे हैं आप अपने पैरों कब्र में रख रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं इसलिये कह रहा था कि सेंट्रल ऐक्ट का उन्होंन सहारा लिया, जहां से सीलिंग का फैसला होता है। दस स्टैंडर्ड एकड़ की सीलिंग आप कर देते। कांग्रेस में तय कर रहे हैं चन्द्रजीत यादव, जो यहीं कम्युनिस्टों की सीट पर बैठा करते थे। शर्म है--यू आर गोइंड टूटेक इंस्ट्रक्शन्स फ्राम चन्द्रजीत यादव सो फार कांग्रेस पालिसीज आर कंसर्न्ड। कांग्रेस की नीतियों के सम्बन्ध में, आपका इतना दुर्दिन आ गया कि आप चन्द्रजीत यादव से निर्देश लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कम्पनियों को आप नेशनलाइज कीजिये। आपको पावर है। अगर आपको पावर नहीं है तो कांस्टीट्यूशन में चेंज करें। कृष्णानन्द राय ने ठीक कहा कि बिजली विभाग सफेद हाथी है। आप क्या वकालत करेंगे, तिवारी जी। यह कर्मचारी ठंडे में बैठे हुये हैं। सारी बिजली हमारे किसान की हड्डी पसली, सोहनलाल द्विवदी की कविता पढ़ी है। पंडित राधाकृष्ण गोस्वामी जानते हैं। पंडित आदमी हैं। मेरी हड्डी पर किसान, तेरी पसली पर किसान। उस की हड्डी पसली पर आप रंगरेलियां न खेलिये। आज रोज टैक्स लगाते हैं, किसान पर, और बिजली जाती है मार्टिन कम्पनी को, वह डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। अपनी संविधान को संशोधित करके प्रीवीपर्स को तोड़ दिया।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

यह सफेद हाथी है। इत्तिफाक से अगर ऐसा हो कि चेयरमैन बंशीधर को बना दिया जाय तो सफेद हाथी पर चढ़ेंगे या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मुझसे तो डबल चेयरमैन बने बैठे हैं नारायण दत्त जी। मुझ से तगड़े बैठे हुये हैं। सरकारी अफसर घोड़ा है जिसकी रान में ताकत है वह घोड़े को दौड़ायें नहीं तो लात मार कर तुड़ा देगा। आपमें कोई ताकत ही नहीं है। आप केन्द्र केन्द्र चिल्ला रहे हैं। यह प्रदेशीय सरकार आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गयी है और इसका अब तो मिनिस्टर बनना भी

[श्री बंशीधर पांडेय]

बिलो डिगनिटी हो गया है। तिवारी जी उस वक्त मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं जब आप केन्द्र को अपनी ओर से लिख कर भेज दें कि बिजली कम्पनीज को नेशनलाइज कर दिया जाय। जो सरकार एग्रीमेंट करती है ला डिपार्टमेंट की राय के अनुसार वह उसे खारिज भी कर सकती है। बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि सेक्योरिटी ही देदें। मेरा कहना है कि जो आदमी सिक्योरिटी रखने की क्षमता रखता है तो वह बकाया क्यों नहीं दे सकता और सिक्योरिटी जमा करने के लिए इस ऐक्ट को लाने की क्या जरूरत है? किसानों पर बिजली की बढ़ी हुई दर का भार पड़ रहा है, मीटर रेन्ट उसको देना होता है और 33 रुपये एकड़ ट्यूबवेल की सिंचाई हो गयी है लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई में 14 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है।

एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि 10,500 ट्यूबवेल स्टेट में है जिनमें 1,000 बेकार रहते हैं और 8, 9 हजार ट्यूबवेल चलते रहते हैं। बहुत सी गाय ऐसी होती हैं कि बछड़ों को दूध पिलाने के पहले अपने आप दूध पी जाती हैं। सिंचाई विभाग अपना पानी खुद पीता चला जाता है। मैं बतला दूं जितना रुपया आप योजना पर खर्च कर रहे हैं उसका एक तिहाई रुपया ब्लैक मनी हो जाता है। बिजली की चोरी होती है, मीटर रीडिंग गलत होती है, बिजली के तार की चोरी होती है। सन् 1956 में बनारसी दास लेबर मिनिस्टर थे। साहू केमिकल्स में एक अफसर दो हजार रुपये पाता था और उसने मीटर स्लो कर दिया था। वह पकड़ा गया। हालत यह है कि जिन फर्म्स से लोग पैसा पाते हैं उनके मीटर्स को वह स्लो कर देंगे। कितने लोग देहातों में ऐसे हैं जिनको वरद् हस्त प्राप्त हैं और वे लाइन पर सीधे तार पर डाल कर बिजली डायरेक्ट ले लेते हैं और लाइनमैन को थोड़ा बहुत दे देते हैं। इस तरह से हजारों जगह बिजली की चोरी होती है। इसलिए इस विभाग को हम सफेद हाथी कहते हैं क्योंकि उसका बिजली पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

मैं अपनी कांस्टीट्एंसी, गोपागंज में बैठा हुआ था। एस०डी० ओ० तथा इन्स्पेक्टर वहां तैनात थे। चार लाइनें बन रही थीं। यह लिखा हुआ था बोर्ड पर कि फलां रोड पर लाइन खराब है। जिस लाइन पर तीन लाइनमैन काम कर रहे थे वे चपक गये इंजीनियर ने कहा कि इस लाइन को काट कर दूसरी लाइन जोड़ दो। बेवकूफ आदमियों ने जिस लाइन की मरम्मत हो रही थी उसमें प्लग लगा दिया और फलस्वरूप तीन आदमी मर गये। कितना रुपया इन कम्पनीज पर खर्च होता है। मेरा निवेदन है कि इन कम्पनीज को हटाइये। आप नेशनलाइजेशन से क्यों डरते हैं? कृष्णनन्द राय ने कहा कि केंद्रीय सरकार ने नलाइजेशन के सेचुरेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है। और कितना नेशनलाइजेशन करेगी। अभी परसों मैं नहीं था हमारी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि हायर सेकेन्डरी स्कूल्स का शेनलाइजेशन किया जाय। तो मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहूंगा और उनसे अपील करूंगा कि जो 16 धब्बे पड़े हुये हैं उनको आप काट डालिये। चूंकि अब कोई इन्टरेस्ट उनका रह नहीं गया है लिहाजा वे कोई काम नहीं करना चाहती। इसलिए परमानेन्ट बेसिस पर आप काम लगा दें। मैं तो कहता हूं कि मियां की जूती मियां के सर, आपका यह भी और आपका वह भी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन 16 कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दें और यदि आपको ऐसा करने में कुछ कठिनाई महसूस हो तो आप केन्द्रीय सरकार को लिखें और इस प्रकार संविधान को परिवर्तित करें ताकि वह कार्यक्रम सम्पन्न हो सके।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आया है उसके मूल में जो भावना है, वह बड़ी ही इन्नोसेन्ट लगती है। भाई कृष्णानन्द जी ने भी इसे इन्नोसेन्ट कह दिया लेकिन मैं समझता हूं इसके मूल में एक बात और है जिस पर भी विचार कर लिया जाय। जैसे कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी माननीय पांडेय जी ने कहा आप सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, वह एक विचारणीय विषय है। अगर वे लोग सिक्योरिटी देने की ही स्थिति में होते तो बकाया भी दे सकते हैं किन्तु वास्तव में वह बात नहीं है। आपका विद्युत् परिषद् जिस ढंग से काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहां पर रोज मोटी-मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं और वे बंटती रहती हैं। रोज यह देखा जाता है कि परिषद् घाटे में जा रहा है और बिजली महंगी होती चली जा रही है। अभी प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आई जिसने कि हम लोगों की आंखें खोल दीं। इसका क्या कारण है? इसका एक मूलभूत कारण यही है कि और लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है किसान के लिये वह महंगी होती जा रही है। इसके लिये आपका विद्युत् परिषद् दोषी है और चूंकि परिषद् का नियन्त्रण सरकार के साथ में है इसलिये इस बात को ध्यान में रहते हुये इस विषय पर भी अवश्य विचार करना होगा कि जो विधेयक लाया गया है क्या वह सचमुच इन्नोसेन्ट है।

हमारे भाई माननीय रामगोपाल सण्ड जी का जो संशोधन है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति से सुपुर्द किया जाय जो कि हफ्ते दस दिन के अन्दर इस पर अच्छी तरह से विचार करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट दे। मैं जानता हूं कि हमारे देहरादून में 13 नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनकी अपनी बिजली की कम्पनियां हैं। मसूरी में जो बिजली कम्पनी है, वह देहरादून को भी बिजली सप्लाई करती है। आज वहां की क्या स्थिति है कि दो-तीन घंटे के अन्दर एक बार अवश्य ब्लैकआउट जरूर हो जाता है और वह भी ऐसे समय में होता है जबकि लोगों का काम-काज चल रहा होता है, उद्योग चलते रहते हैं और बिजली बन्द हो जाती है, हास्पिटल बन्द हो जाते हैं और सारा काम-काज ठप हो जाता है। मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो मुझे यह जवाब दिया जाता है कि उनके पास पूरी बिजली नहीं है और इसके लिये वे विद्युत परिषद् से बात कर रहे हैं और पावर लेने जा रहे हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं हैं, जहां पर हैं भी वहां पर बल्ब नहीं हैं, वायर पुराने हो गये हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है जैसे हिन्डालको ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रजवाड़ों के साथ भी आपने बाइलेटरल एग्रीमेंट कर लिया था? आज भी हिन्डालको बिरला के हाथ में है जिसमें कि आप यह दलील देते हैं कि उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था। उसको आप समाप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यदि यह हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि विभिन्न नगरपालिकाओं की छोटी मोटी कम्पनियां भी हैं। तो हिन्डालको के साथ साथ उन कम्पनियों को भी उसी क्षण उसी ढंग से समाप्त कर दें तो प्रदेश के अन्दर कंज्यूमर्स को बिजली सस्ती मिल सकेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि छोटे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो स्कूल में टीचर हैं, मामूली मजदूर हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं वे 36 पैसे से लेकर 40 पैसे यूनिट तक बिजली का देते हैं। कितनी बिजली का खर्च है। एक-एक घर में 25, 50, 75 और 80 रुपये महीने के हिसाब से बिजली का बिल आता है। इतना अधिक बिल देने के काबिल साधारण आदमी नहीं रहा। इसका कारण आपकी अव्यवस्था है।

आज यह मौका है कि आपसे कहूं कि आप विभिन्न मौके पर दो तीन बातों में सुधार करें। सिक्योरिटी वाली बात नहीं करता यह तो भिन्न प्रश्नहै। मेरा तो सुझाव है कि आप सीधे सीधे इन कम्पनियों को ले लें, मसूरी नगरपालिका की विद्युत कम्पनी को आप ले लें और विद्युत परिषद को दे दें तो कम से कम लोगों को बिजली सस्ती मिल सकेगी। इतनी बात आप जान लें कि मसूरी बोर्ड देहरादून को बिजली देता है। वहां 7–7 और 8–8 घंटे तक बिजली नहीं जलती। राड्स नहीं जलते। एक समस्या हो तो बतलाऊं, तमाम समस्यायें समस्यायें ही हैं। स्कूल के विद्यार्थी का अगले दिन इम्तहान है, एम० ए०, एम० एस–सी० या बी० ए० का

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

और रात में 6 घंटे के लिये बिजली गायब, सुबह भी बिजली नहीं। पूरे समय बिजली बन्द। तो आखिर इसकी कोई सीमा होनी चाहिये।

अभी हाल ही में बिजली पर आपने टैक्स बढ़ाया है। उपभोक्ता को 3 पैसे से लेकर 6 पैसे तक प्रति यूनिट ज्यादा देना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप प्रति दिन उपभोक्ता पर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी कम्पनियां जिनसे आपका समझौता हुआ है वे आज उपभोक्ताओं के आधार पर, किसानों के आधार पर अपने पेट भर रहीं हैं। जो 16 कम्पनियां हैं वे मुनासिब काम नहीं कर रही हैं। 13 नगरपालिकाओं की जो कम्पनियां हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। और की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन मसूरी नगरपालिका का ही 2–3–4 लाख रुपया बकाया है, इनको आप दिलवायें। सिक्योरिटी की बात मैं छोड़ देता हूं क्योंकि उसका जाल बहुत लम्बा है। लीज पर साल दो साल के लिये आप दे सकते हैं। पहला कदम तो आपका यह होना चाहिये कि तमाम कम्पनियों को लेकर विद्युत परिषद् को दे दिया जाय और उनमें सुधार किया जाय ताकि बिजली सस्ती की जा सके। अगर बिजली सस्ती नहीं करते हैं तो प्रदेश के अन्दर किसान परेशान होंगे। अगर बिजली सस्ती हो जाय तो उनकी खपत ड्योढ़ी बढ़ सकती है।

शहरों में इतनी तबाही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज विद्युत् कम्पनियों के अन्दर, विद्युत् परिषद् के अन्दर हजारों लाखों कर्मचारी हैं जिन्होंने आपको नोटिसें दे रखी हैं, किसी ने 9 तारीख से, किसी ने 13 तारीख से, किसी ने और तारीख से हड़ताल की। इस सदन में पहले भी इस सम्बन्ध में कह चुका हूं और आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी न्यायोचित मांगें हैं क्योंकि बोर्ड ने उसके वेजेज को सही ढंग पर जगह–जगह लागू नहीं किया है, इसलिये उनकी मांगों को आप स्वीकार कीजिये और विद्युत् कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखिये। आपकी नीति उनसे लड़ने की नहीं होनी चाहिये। इसलिये आप उनकी मांगों को स्वीकार कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री संड जी से प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, विचाराधीन अधिनियम के सेलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाने का जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उसमें यह व्यवस्था तो की गयी है कि ऐसी प्राइवेट कम्पनियां जो बल्क सप्लाई तो ले लेती हैं लेकिन भुगतान नहीं कर सकतीं, उनसे भुगतान पक्का करने के लिये बोर्ड सिक्योरिटी ले सके। इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यापक जनहित है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में रिफर किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे केसेज आपके नोटिस में होंगे और आप जानते होंगे कि बोर्ड ने सिक्योरिटी मांगी लेकिन कम्पनी ने नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि उनको सप्लाई नहीं मिली। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स सफरर हुए। ऐसे केसेज में क्या होगा, इसके लिये कोई प्राविधान नहीं है। मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आगरे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ऐसी अव्यवस्था है कि कई–कई दिन तक लोगों को रोशनी तथा पंखों के लिये बिजली नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में जहां मरीज रहते हैं, उनको भी इसका शिकार होना पड़ता है। वहां बिजली सप्लाई की बहुत बुरी दशा है।

वहां पर जेनरेटिंग स्टेशन मार्टिन बर्न कम्पनी का है। उसका कांट्रेक्ट इसी दिसम्बर में खत्म होने जा रहा है। इसलिये उसको जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है कि वह उसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेन्ट करे। जो मशीनें लगाई गईं थी चाहे वे टरपाइन हों या बायलर्स हों, वह एक प्रकार से खत्म हों चुके हैं और जो वरकर्स वहां काम कर रहे हैं, उनकी जान का खतरा है। अभी भी ब्वायलर का स्टील पाइप फट गया और उसमें कई मजदूर जख्मी हुए। दूसरे

अन्य मजदूरों ने कहा कि ऐसी सर्विस की स्थिति में हम काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसी अव्यवस्था वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हो रही है।

जो इसकी स्थापित कैपेसिटी थी उसमें दो पावर स्टेशन्स चल रहे हैं। उनकी क्षमता 19 मेगावाट थी जो घटकर केवल अब 11 मेगावाट रह गई है यानी 8 मेगावाट की कमी हो गई है। इस कमी के लिये उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एप्रोच किया और बोर्ड ने उस कम्पनी से सिक्योरिटी मांगी। पहले बोर्ड ने उनकी परेशानी को देखकर बिजली सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद बिजली कम्पनी से कहा कि इतने दिन में सिक्योरिटी जमा कर दो। लेकिन बिजली कम्पनी की ओर से निश्चित अवधि में सिक्योरिटी जमा नहीं हुई। इस पर बोर्ड ने कम्पनी को बिजली सप्लाई करना बन्द कर दिया। इससे लोगों को बिजली मिलनी बन्द हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को बिजली, रोशनी तथा पंखों के लिये परेशानी हो गई और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इसकी ओर आपका ध्यान गया होगा। लेकिन इस संशोधन से वह चीज पूरी नहीं होती है। इसलिये यह मांग हो रही है कि इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने से जनता का जो व्यापक हित है उसकी ओर ध्यान जायगा और हल निकाला जायगा।

उस कम्पनी का काट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है इसी साल दिसम्बर में। गवर्नमेन्ट को यह चाहिये था कि जब उसकी यह हालत है और वह कम्पनी तय कर चुकी है कि किसी तरह का वह इसमें इम्प्रूवमेन्ट नहीं करेगी और कंज्यूमर्स को सफर करना पड़ता है और मजदूरों की जान खतरे में है और अभी भी चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने इसको एक्जामिन किया है और उसकी रिपोर्ट है है कि इसमें कोई जान नहीं रह गई है। अगर ब्वायलर फट गया तो इसके पांच मील के एरिया में विध्वंस फैलेगा। ऐसी हालत में जो लाल किले में मिलीटरी का डिपो आर्डिनेन्स फेक्टरी है, वह भी विध्वंस से तबाह होंगे। खाली जनता की जिन्दगी पर ही नहीं बल्कि गवर्नमेन्ट के इन्सटीट्यूशन तक सफर कर रहे हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर विध्वंस की आशंका है लेकिन आप अभी उसका टेक-ओवर नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह हिचकते इसलिये हैं कि मार्टिन बर्न कम्पनी को जो आज जनता की गालियां मिल रही हैं वे आप को मिलने लगेंगी इसीलिये शायद आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे सरकार बैठी हुई है। जब इन कम्पनियों की ऐसी हालत है और आप को यह अनुभव हो रहा है कि वह बल्क सप्लाई के दामों का भी भुगतान नहीं करते तो आप इन सब को एक साथ खत्म कीजिये और उनको बोर्ड के हवाले कीजिये। आप इन कम्पनियों को भी जिन्दा रखना चाहते हैं और आप का कोई ध्यान इम्मीजियेट राहत की चीज पर भी नहीं जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि वहां पर जो आलू के गोदाम हैं या जिन उद्योगों में भी बिजली की जरूरत है, वह सब ठप्प हो रहे हैं, कन्ज्यूमर्स में सब तरह त्राहि-त्राहि मची हुई है।

आगरे के दस दिन के या 1 सप्ताह के अखबार आप देखें तो सब इसी शिकायत से भरे हुए हैं। मन्त्री जी जाकर वहां कोई थोड़ा सा फौरी इंतजाम कर आते हैं लेकिन कम्पनियों द्वारा जो यह सब हो रहा है उसका कोई स्थायी इलाज नहीं कर रहे हैं। आपने भी कोई एडहाक इंतजाम सप्लाई का किया है लेकिन जितनी सप्लाई मिलेगी उतना ही घट जायगी क्योंकि ब्वायलर काम नहीं करेंगे। नतीजा इसका यह है कि कोई तरक्की इस दिशा में नहीं हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि जहां पर आप बोर्ड के हितों की रक्षा कर रहे हैं या जहां आप चाहते हैं कि आप के लाइसेन्सी वगैरह ठीक से पैसा अदा करें, वहां आप इसका भी ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो रही है या नहीं, इस पर आप विशेष ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि आप इस इनआकुअस संशोधन को मान लें ताकि पूरा विचार हर पहलू पर हो जाय। वैसे तो इस को पास करने में कोई दिक्कत न होती लेकिन आप गारेन्टी तक दें नहीं कि आगरा जैसी जगह में जहां की शायद इस बारह लाख के करीब आबादी होगी वहां पर बिजली की कमी का

[श्री अनन्तराम जायसवाल–]

बुरा असर नहीं पड़ने पायगा आप को तो यह सब देखने की फुर्सत नहीं होती होगी लेकिन अगर आप चेक करें तो आपको मलूम होगा कि वहां का जो ट्रेड है, उद्योग है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है और बहीं पर पिछले साल में 40 लाख रुपया इंडस्ट्री और ट्रेड से सेल्स टैक्स में कम आया है।

पिछले कई साल से यह स्थिति चल रही है लेकिन आप का ध्यान तो अन्य किन्हीं उलझनों में फंसा रहता है और वह इस तरफ नहीं जाता। अगर जाता तो स्थिति सुधरी होती। जहां पर बिजली के कारण इंडस्ट्री सफर कर रही है वहां पर आगरा जो फारेन एक्सचेंज अर्न करता है, वह भी सफर कर रहा है और उसका ह्रास हो रहा है। जनता में बड़ा रोष और त्राहि-त्राहि मची है, कोई अपनी बात लेकर दिल्ली चला जाता है क्योंकि लखनऊ के मुकाबले में वहां से दिल्ली पास है तो दिल्ली के मन्त्री कहते हैं कि यू० पी० की सरकार पाजी है, वाहियात है, वह ऐसी कम्पनियों का टेकओवर क्यों नहीं करती, वह काम तो 2 मिनट में हो सकता है। हमारे नारायण दत्त जी का कहना है कि इसमें बड़े काम्प्लीकेशन्स हैं, हमारा बिजली का ऐक्ट ऐसा है कि हम आसानी से टेकओवर नहीं कर सकते। इस तरह से दिल्ली और आप के परिसम्वाद में सारा मामला उलझने से सारा उद्योग और ट्रेड सफर कर रहा हैं और सारा वहां का जनजीवन ठप हो गया है। सप्लाई के फेल होने पर रोज कन्ज्यूमर्स को परेशानी होती है, यह एक दिन की बात नहीं है, कई साल से ऐसा चल रहा है लेकिन आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया है। इसलिए इन सारी समस्याओं को देखते हुये इसे सेलेक्ट कमेटी में रिफर करने का जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार करने में आप को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री रामगोपाल सण्ड—

श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों की बात सुनी और सभी ने मेरी बातों का समर्थन किया है। केवल एक आगरा की बात हमारे सम्मानित समाजवादी दल के माननीय जायसवाल जी ने रखी। लेकिन मैंने तो 15-20 प्राइवेट कम्पनियों के बारे में कहा। मैंने तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और वाराणसी की बात को रखा। अनेक नगर ऐसे हैं जहां पर मार्टिन बर्न और रोहतास कम्पनी को लाइसेन्स दिये गये थे। ये लाइसेन्स कब तक के होंगे, किसी का 82 में किसी का 86 में और किसी का वर्ष 1987 में समाप्त होगा। लेकिन यहां पर दुहाई दी जाती है गरीबों की, उपभोक्ताओं की। इन कम्पनियों में इतने खराब नियम हैं, इसका अच्छा विवरण माननीय जायसवाल जी ने सदन के सामने रखा है। इनके कारण रोगियों, विद्यार्थियों और उद्योग धन्धों वालों का नुक्सान हो रहा है। इसलिए प्रदेश के हित में है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दें जो वह सब बातों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे या एक कलम में अगर माननीय तिवारी जी चाहें तो इन कम्पनियों को टेक-ओवर कर लें और या मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी मैंने अपने सम्मानित सदस्यों के बड़े मूल्यवान सुझाव सुने लेकिन मैं यह देखता हूं कि जिस संशोधन को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उससे परे होकर केवल विद्युत् विभाग या विद्युत् परिषद् की कमियों की ओर ही इशारा किया है, विशेषतौर से .....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर हमारे राज्य मन्त्री जी इतना ही समझें हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उनकी समझ पर। मैंने जो कहा था वह यह है कि इससे उपभोक्ताओं का हित कैसे सधेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस संशोधन से इसका कोई मतलब है या नहीं, कृपया वे इस पर प्रकाश डालें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो मेरी समझ में नहीं आयेगा तो जब आवश्यकता पड़ेगी मैं उनसे पूछ लूंगा। मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता हूं लेकिन जो मामला हमारे सामने आया है, उसकी ओर भी प्रकाश डाले देता हूं। इस समय जो परिस्थिति है, उसके आधार पर यह एक ऐसा संशोधन है जिसमें सिक्योरिटी का प्राविधान किया गया है। अभी तक ऐक्ट में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं था कि लाइसेन्सी पर हम अंकुश लगा सकते थे। प्रश्न यह उठता है कि अगर वे पेमेन्ट नहीं भी करते थे तो भी हमको जो सप्लाई देनी पड़ती थी अब यह उनके ऊपर एक अंकुश है। यह एक पहला कदम है। जहां तक आगरे के बारे में माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने यह बात कही . . .

श्री अनन्त राम जायसवाल--

मान लीजिये कि किसी ने शर्त पूरी नहीं की, अपना पेमेन्ट नहीं दिया और आपको सिक्योरिटी भी नहीं देता है और आपने यह फैसला लिया कि बिजली काट दी जायगी तो उसका उपभोक्ता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस पर आपके क्या विचार हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जब इस नियम और कानून के अन्तर्गत सिक्योरिटी के देने की बात है और अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, इसकी कल्पना और आभास वे स्वयं लगा सकते हैं और उस समय विद्युत् परिषद् को क्या अधिकार होगा, वह किसी से छिपा नहीं है।

अभी तो हमारे सामने यह है कि इन लाइसेन्सीज के निश्चित अवधि तक लाइसेन्स हैं। उनके लाइसेन्स के रिन्यूवल के पूर्व ही विद्युत् परिषद् विचार ही नहीं करती बल्कि टेक ओवर करती चली जाती है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर। तो जो संशोधन हमने प्रस्तुत किया है, उसमें सिक्योरिटी के प्राविधान की व्यवस्था है जिससे उनके ऊपर एक अंकुश रखा गया है। अगर वे हमारी बकाया का या रुका हुआ पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी से काट लेने की इसमें व्यवस्था है। जनहित म जब हम इनकी बिजली काट नहीं सकते हैं तो कानून के उल्लंघन में कोई कार्यवाही होगी तो किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिये।

मैं केवल यह कहूंगा कि जैसा कि विद्युत् मन्त्री ने आपके सामने श्रीनगर कान्फ्रेंस की एक सूचना दी कि यह नेशनलाइजेशन का प्रश्न केवल इसी उत्तर प्रदेश का नहीं है। हमारे सदस्य भाई बंशीधर जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि केन्द्र कितनी उदारता से आगे बढ़ कर देश में इन प्राइवेट लाइसेन्सियों को समाप्त कर उनके नेशनलाइजेशन के बारे में विचार कर रहा है न केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रश्न है, इसको हम सबको उदारता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये। जनहित का प्रश्न इसमें हमेशा रहा है और रहेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने आगरा का जो प्रश्न रखा है उस पर क्या आप प्रकाश डालेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जैसाकि सम्मानित सदस्य ने कहा आगरा तथा और जगहों से शिकायतें आयीं। मैंने ही तत्काल चीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर को आदेश दिया कि मौके पर वे जायें और देखें। कहीं विद्युत् की कमी बताई तो स ढ़े सात मेगावाट अतिरिक्त लोड उनको दिया गया उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

चीफ इन्सपेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक तो है बिजली की कमी के बारे में, दूसरी पावर स्टेशन के बारे में क्या राय है, वह भी बता दींजिये ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अभी उनकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है वह विद्युत् परिषद् गई होगी। जब आयेगी तब देखेंगे। जो सुझाव होंगे उनके कार्यान्वियन के बारे में विचार किया जायेगा। लेकिन तत्काल बिजली या पावर की कमी को साढ़े सात मेगावाट पावर देकर पूरा किया गया है। यह केवल जनता का हित था। उससे किसी का क्या सरोकार हो सकता है। इन समस्याओं का हल निकाला जाता है जहां की शिकायतें आती हैं जैसे मिर्जापुर और सहारनपुर....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मार्टिन बर्न ऐंड कम्पनी ने, जिसका प्रोप्राइटर कलकत्ता रहता है, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। क्या जो बल्क सप्लाई दी है उसको आप कान्टीन्यू रखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब सिक्योरिटी नहीं देंगे तो जो भी कानूनी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी करेंगे। उनको कानून का पालन करना होगा। हमारे लिए भी बाइंडिग है। उस कानून के तहत हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन जनता के हितों को सुरक्षित रखते हुये ये सब चीजें की जा रहीं हैं, ऐसा न हो कि उनकी कठिनाई हो। मैंने पहले ही अनुरोध किया कि वे पेमेन्ट नहीं करते और एरियर्स करते जाते हैं तो भी हम उनको बिजली सप्लाई करते जाते हैं वरना एरियर्स में देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

आपका पिछले मंगलवार उत्तर आया था कि इन कम्पनियों की लाइसेन्स की अवधि 1985-86 तथा 87 तक की है, इतनी लम्बी अवधि तक लाइसेप्स देने के क्या कारण हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इतना विवरण तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जिनके लाइसेन्सों की तिथि खत्म होती जा रही है विद्युत् परिषद् उनको टेक-ओवर करता जाता है। दूसरे निर्णय की गुंजाइश नहीं है। भविष्य में ऐसा ही रहेगा। ऐसा विश्वास है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन की भावना देखने की बात है जो काम उठाया जा रहा है, उसके आंकने की बात है। इसमें अड़ंगा लगाकर कि यह विशेष समिति में जाय या इसके और पहलुओं पर जाया जाय, उचित नहीं है। इस पर तो विद्युत् परिषद् के बजट के समय माननीय सदस्यों नें तीन-दिन में सभी चीजों पर प्रकाश डाला है।

श्री राजमंगल पांडेय--

क्या आपने इन कम्पनियों के बारे में कानूनी राय ली है कि उनको आप 85 के पहले टेक-ओवर नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने अभी थोड़ी देर पहले सम्मानित सदस्यों को सूचित किया था कि श्रीनगर कान्फ्रेंस में निर्णय लिया जा चुका है कि देश भर में जो प्राइवेट लाइसेन्सीज हैं उनको टेक-ओवर कर लें। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट जो केन्द्र ने बनाया है उस में तरमीम की जा रही है या अलग कानून बनाने की राय हो रही है और फिर उसके आधार पर 185, 86 का प्रश्न नहीं आयगा। जैसे ही विधेयक पारित हो जायेगा केन्द्र में, राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जायेगा, फिर ले लेने में कोई कठिनाई न होगी। जहां तक आगरा के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट का सम्बन्ध है और जैसा अभी राज्य मंत्री जी ने कहा, मुझे थोड़ी ही देर पहले इसकी सूचना मिली है। मार्टिन बर्न कम्पनी के विरुद्ध जो इस समय प्राविधान है टेक-ओवर के बारे में नोटिस देने के बाद, वह नोटिस दिया जा रहा है।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकार को क्या इन्तजार करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि सेन्टर का कानून न बन जाय ? मैं यह जानना चाहता था कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के क्षमता और जूरिशडिक्शन के बाहर है कि वह उन लाइसेंस को कैन्सिल करके फिर टेक-ओवर करे। क्या इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा है ? इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

कानूनी बाधा टेक-ओवर करने में इतनी है कि हम कोई कम्पनी का टेक-ओवर आसानी से कर ही नहीं सकते। इसलिये केन्द्रीय अधिनियम जब तक न बन जाय, तब तक टेक-ओवर नहीं किया जा सकता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कान्ट्रेक्ट के समय कुछ बातें हुई होंगी, अगर उन शर्तों का पालन न करें, तब भी सरकार उसे टेक-ओवर नहीं कर सकती।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो शर्तें हैं, उनके अनुसार अगर काम न करें तो उनके खिलाफ जांच करने के बाद आवश्यक कार्यवाही जो की जा सकती है, वह तो करेंगे ही। लेकिन यह जो संशोधन सिक्योरिटी वाला, उससे जो उपभोक्ताओं की शिकायत है उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन पेमेन्ट वगैरह के मामले पर उन पर जो एरियर्स हो रहे थे हम उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे थे तथा वैधानिक कार्यवाही भी नहीं कर पा रहे थे। यह एक कठिनाई है जो इस संशोधन के पश्चात् पास हो जाने पर नान-पेमेन्ट पर कार्यवाही कर सकते हैं और जनहित में कोई भी कदम उठाने में कोई दिक्कत न होगी। यह एक तथ्य है· · ·

श्री राजमंडल पांडेय---

आवश्यक कार्यवाही में आप टेक-ओवर मानते हैं या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

टक-ओवर एक अन्तिम शस्त्र है ही। अगर पेमेन्ट करने में कोई कठिनाई होगी तो टेक-ओवर कर सकते हैं। लेकिन एक टेक-ओवर लाइसेंस खतम हो जाने के बाद करें, उसका रूप दूसरा होता है जब कि समय से पहले यदि टेक-ओवर होता है तो अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं । इसको माननीय सदस्य को अपनी दृष्टि में रखना होगा। यह जो संशोधन आया है उसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है। प्रवर समिति में इसको भेजना समय का दुरुपयोग है । मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको पास करने में अपनी उदारता का परिचय देंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड---

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापिस न लूंगा क्योंकि उपभोक्ताओं को काफी तकलीफ है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 19 2 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह उत्तर प्रदश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 1 प्रस्तावना और शीर्षक

इलक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या 54,1948

2— इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

नयी धारा 47-ए का बढ़ाया जाना ।

"47-ए इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि धारा 47 के अधीन परस्पर समझौते द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है अथवा तदर्थ कोई विनियम नहीं बनाये गये है,—

(ए) बोर्ड किसी लाइसेंसी को विद्युत् सम्भरित करने के किसी अधियाचन का अनुपालन करने के लिये तब तक बाध्य न होगा जब तक कि लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर लिखित नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी प्रतिभूति, जिसे बोर्ड पर्याप्त समझे, न दे ।

(बी) यदि लाइसेंसी ने पहले ही प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति अवैध या अपर्याप्त हो गयी हो, और ऐसा लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर उससे ऐसा अपेक्षित किये जाने का नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर यथापेक्षित प्रतिभूति न दे सके अथवा मूल प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि देकर पूरा न करे, जैसी भी दशा हो, तो बोर्ड ऐसे सम्भरण को बन्द करने का हकदार होगा ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 तथा खंड, 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और आज सदन कितने शांत वातावरण में चल रहा है । गैलरी में लोगों को आने की अनुज्ञा प्रदान की जाय । वह आयें और देखें कि हमारे राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव पर कैसा विरोध ये लोग कर रहे हैं ।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, समय तो समाप्त हो गया है, अब गैलरी में आने की आज्ञा दें । अगर जनता यहां होती और राष्ट्रीयकरण का विरोध देखती तो हंसती ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 जैसाकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह एक छोटा सा विधेयक है और इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि पंचायतों के गत आम चुनाव में जिलों से यह शिकायत थी कि जिलाधीशों ने जिन व्यक्तियों को चुनाव के कर्तव्यों का पालन करने के लिये कहा, उन्होंने इन्कार कर दिया। 1947 के पंचायत राज ऐक्ट में इस बात का प्राविधान नहीं है कि जो व्यक्ति चुनाव सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन करने से इन्कार करे, उसको बाध्य किया जा सके । इसलिये फिर चुनाव को सम्पन्न कराना था, इसलिये सरकार ने एक आध्यादेश द्वारा यह अधिकार दिया कि जिन व्यक्तियों को चुनाव सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन के लिये नियुक्त किया जाय, वे अपने कर्तव्य पालन को कर सकें। अगर वे इन्कार करें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके और वह कार्यवाही यह है कि उनको 500 तक रुपये आर्थिक दंड दिया जाय । (इस समय 2 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए) । मान्यवर, विधान सभा और लोक सभा के आम चुनाव के लिये रिप्रेजेन्टेशन आफ प्युपुल्स ऐक्ट की धारा 134 में इस बात का प्राविधान है कि जिस व्यक्ति को चुनाव संबन्धी कर्तव्यों के पालन के लिये नियुक्त किया जाय उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा । वह उससे इन्कार नही कर सकता । लेकिन जैसा कि मैने अभी निवेदन किया, 1947 के पंचायत राज ऐक्ट में इस बात का प्राविधान नहीं था । इसलिये उस प्राविधान को करने के लिये यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

मान्यवर, जो पंचायतों के चुनाव अभी हुये वे 1 लाख 12 हजार गांवों में हुये और 72, 859 पंचायतों का निर्वाचन किया गया । यह चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था और इसमें लगभग तीन लाख अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया । इसलिये मान्यवर, जिला परिषद् और जो अन्य संस्थायें राजकीय सहायता लेती हैं, उन संस्थाओं के अध्यापकों को जब जिलाधीश ने इस काम के लिये नियुक्त किया तो उन्होंने उससे इन्कार कर दिया । जब शासन को यह सूचना मिली तो शासन ने अध्यादेश जारी करके इस अधिकार को ले लिया । उसी अधिकार को पुष्टि हेतु इस विधेयक द्वारा इस सदन में लाया गया है । मुझे विश्वास है कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा ।

†श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने के लिये

---

*19 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छापा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नित्यानन्द स्वामी---]

तीन माह के लिये परिचालित किया जाय । श्रीमन्, पंचायतों के जो अभी हाल में चुनाव हुए, वे हमारी सरकार की आंख खोलने के लिये काफी होना चाहिये । मैं तो यह समझता हूं कि सरकार अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना जानती होगी तो कम से कम पंचायत के चुनाव से यह शिक्षा ली जा सकती है कि कितनी अव्यवस्था और बदइंतजामी सरकार ने की । इतना ही नहीं, श्रीमन्, कि पोलिंग में बदइंतजामी हुई बल्कि वहां गोलियां चलीं, और हत्यायें हुईं। इन सब का कारण क्या है ? कारण यही है कि आपने जो नियम बनायें, उसके अन्दर जो आवश्यक सुधार करना चाहिये थे, नही किये । न सुरक्षा की व्यवस्था की, न पंचायतों के चुनाव में कोई ऐसी व्यवस्था की कि जिससे भली प्रकार चुनाव हो जाते । श्रीमन, पंचायत का एक रूल 12 बी0 बी0 है । मैं समझता हूं कि आर्य जी बड़े भग्यशाली हैं कि इनके पास 12 बी0 बी0 हैं, बहुत से लोगों को तो एक के लिये ही बड़ी मुश्किल होती है। तो श्रीमन्, यह जो 12 बी0 बी0 है यह बड़ा व्यापक था । इस में पंचायत निदेशक अपना नुमाइंदा एस0 डी0 एम0 वगैरह को नामीनेट कर देता था और पंचायतों की जो छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती थीं नामीनेशन दाखिल करने में, लिस्ट बनाने में या विड्राल में, इन सबको उसी जगह दुरुस्त कर दिया जाता था । अभी हाल में 12 बी0 बी0 में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके वह सारे अधिकार जो एस0डी0एम0 को मिला करते थे उनको वापस ले लिया और केवल पर्यवेक्षण का अधिकार रख गया। पर्यवेक्षण का अधिकार तो ठीक है, लेकिन जो पहले अधिकार था माडीफाई करने का, उसको वापस लेने से क्या हुआ ? उसमें यह हुआ ।

मैं देहरादून का उदाहरण दूं । सेवला मजरा ग्राम सभा है । वहां एक प्रधान निर्वाचित घोषित हो गया । जब शपथ का दिन आया तो निर्वाचित प्रधान का नाम ही गायब। नम्बर दो वाले का नाम आ गया । एक नहीं तमाम इस तरह की गलतियां हुई । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव में इलेक्शन पेटीशन की जो भरमार हो गयी है इसको रोकने के लिये 12 बी0 बी0 में व्यापक अधिकार सुधार के दे दिये जायं। इलेक्शन पेटीशन तो आखिरी हथियार है । अगर एस0 डी0 एम0 ने गलती कर दी। कोई ऐसा माडीफिकेशन कर दिया जिससे कोई पार्टी असन्तुष्ट हो गयी तो उस पार्टी को इलेक्शन पेटीशन में तो फिर भी अधिकार है। लेकिन इलेक्शन पेटीशन को कम करने के लिये, लिटीगेशन को कम करने के लिये, गरीब इंसान पर कचहरी का बोझ कम करने के लिये, कचहरी का बोझा बहुत होता है, कोर्ट फीस के अलावा वकील का खर्चा होता है और दूसरे खर्च होते हैं । तो मेरा निवेदन है की 12 बी0 बी0 में मोडीफाई करने के व्यापक अधिकार दिये जायं ।

फिर इसके बाद आप 12 बी0 बी0 जोड़ रहे हैं। इसमें मुझे एक आपत्ति है । यह मैं स्वीकार करता हूं कि तीन लाख व्यक्ति आपको चाहियें । लेकिन जैसे सामान्य निर्वाचन होते हैं, सारे देश के निर्वाचन को एक सप्ताह में करा लिया जाता है । जैसे कई कांस्टीटुएन्सी हैं तो दो एक दिन करा ली और दो दूसरे दिन करा लीं या तीन दिन में करा लीं । इस तरह से कम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं जिनको आप अनुदान देते हैं उन शिक्षण संस्थाओं से आपने अपेक्षा की है कि जितने आदमियों की आवश्यकता होगी वह देंगें । मेरा निवेदन है कि जो अध्यापक है वह सीधे-सीधे आपका नौकर नहीं है । जो सरकारी विद्यालय का अध्यापक है वह तो आपका कर्मचारी है, पटवारी से लेकर ऊपर तक पांच लाख जो आपके कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी तो आप लगा सकते हैं । चुनाव को एक हफ्ते, दस दिन या पन्द्रह दिन में करा सकते हैं । लेकिन अध्यापक को अगर आप बाध्य करना चाहेंगे और कहेंगे कि जरूर निर्वाचन में काम करने के लिये जाना पड़ेगा तो मैं यह समझता हूं कि यह एक स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण है ।

श्रीमन्, आपका भी काफी सम्बन्ध अध्यापकों से रहा है। अध्यापकों की मनोवृत्ति है कि वह अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं । अगर उनको नौकरी ही करनी होती तो वे सरकारी नौकरी करते परन्तु 100 में 50–60 अध्यापक इस मत के रहते हैं कि वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे उनको कितना भी कष्ट क्यों न हो । वे किसी प्रकार का अंकुश सहन नहीं कर सकते। मान्यवर, अगर देश की रक्षा का सवाल हो तो आप कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिग कर दें हम सहर्ष उसको स्वीकार कर लेंगे, नियमों का अनुपालन भी करेंगे । परन्तु यह ऐसा काम नहीं है। आपने 12 बी0 बी0 पर लगा दिया कि 500 रु0 जुर्माना होगा जो इसमें नहीं जायेंगे। मैं यह नहीं कहता कि पूरा 500 रु0 ही जुर्माना होगा परन्तु बड़ी से बड़ी यह सीमा है, हो सकता है 100 रु0 हो या 50 रु0 हो परन्तु मैजिस्ट्रेट को छूट तो यहां तक की है । बहुत से नये मैजिस्ट्रेट आखरी सीमा तक भी जुर्माना कर सकते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्तर्गत एक विकल्प है कि चुनाव लम्बे समय तक फैलाकर करें और इसमें सरकारी कर्मचारियों से काम लें । आप इसमें कोई ऐसा आनरेरिया भी कर दें जिससे यह दंड स्वरूप न मालूम हो । आप यह कर दें कि जो इस में जायगा उसको 100 रु0 या 150 रु0 आनरेरियम का दिया जायगा । आपका काम भी हो जायगा और उनको भी नहीं खलेगा । बात यह है कि आप स्वयं देख रहे हैं कि निर्वाचन का काम खतरे का है । जान जोखिम भी हो सकती है । लोग जब वोटिंग के लिय जाते हैं तो बन्दूक और पूरा गिरोह लेकर जाते हैं। अब अगर किसी की बन्दूक अध्यापक पर छूट गई तो वह तो न घर का रहा न घाट का । इसको आप आप्शनल कर दें, जिनकी इच्छा हो वे जायें और जो जायेंग उनको यह आनरेरिया दिया जायगा । आप यह भी कर सकते हैं कि इसके लिये एक सर्टीफिकेट भी रख सकते हैं जो उनके दूसरे कामों में लाभ प्रदान करेगा । आप ऐसी चीजें जोड़ दें जिससे अध्यापक को आने में रुचि रहे ।

मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा हो कि आप इसमें सरकारी कर्मचारियों को रख अध्यापकों को छोड़ दें। आप कर्मचारियों पर भी दंड का प्राविधान न रखें । अगर जुर्माना करते हैं तो यह लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत तानाशाही का द्योतक हो जायगा। मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे सामुदायिक विकास मंत्री जी गरीब आदमियों पर 500 रुपये जुर्माने के लिये इसको लायेंगे। इसको वे वापस ले लें। यह मामला ऐसा नहीं है कि 10 आदमी टेबुल पर बैठ गये और कोई निर्णय कर लिया गया। आप इसको तीन महीने के लिये जनता में परिचालित करें और जनता की राय मालूम करें । इसका सम्बन्ध लाखों आदमियों से है । मान्यवर, अब चुनाव तो दो चार साल बाद ही होंगे, इसमें कोई जल्दी नहीं है । अगर इसको जनता में परिचालित कर देंगे तो लोगों के सुझाव हमको प्राप्त हो जायेंगे और उस समय जब आप विधेयक लायेंगे तो हो सकता है कि हम उसकी प्रशंसा करें । इन शब्दों के साथ अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि जनता की राय जानने के लिये तीन माह के लिये इसको परिचालित किया जाय ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 1972 प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो (सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी) ।

मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में जो गांव सभाओं के चुनाव हुए हैं वह 12 वर्ष के बाद हुए हैं और माननीय मन्त्री जी ने भी यह तसलीम किया कि सन् 47 के ऐक्ट में जो चुनाव पद्धति थी उसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत पड़ गयी इसलिये यह संशोधन रखा कि सरकारी कर्मचारी इस ऐक्ट में कुछ कमी की वजह से चुनाव की ड्युटी में लगना नहीं चाहते थे । अध्यादेश निकाल कर चुनाव करा लिया वह अपनी जगह पर सही है लेकिन अब यह बिल जो हमारे सामने है, उसकी परिधि बढ़ाने के लिये आपके माध्यम से मन्त्री जी से कह रहे हैं । क्यों कह रहे हैं? जिस तरह

[श्री हिम्मत सिंह]

सन् 47 के बाद अब मन्त्री जी को अनुभव हुआ उसी तरह से हम को भी अनुभव हुआ कि 12 वर्ष तक प्रधानों ने क्या-क्या गड़बड़ियां की हैं। उन गड़बड़ियों का पुलिन्दा मन्त्री जी ने नये प्रधान को नहीं दिलवाया है। हर प्रधान कहता है कि अभी मैं पेटीशन लड़ूंगा और मैं इस बस्ते को नहीं दूंगा। उस बस्ते में कितनी गड़बड़ियां हैं कोई नहीं जानता। उसने गांव समाज की जमीन को बेचा और रसीद कुछ काटी। स्कूल या खरंजे में धन कम लगाया या खरंजा बना ही नहीं, केवल कागज पर बना और रुपया पूरा लिया। गांव समाज की जमीन पूरे 25 वर्ष तक बराबर बटाई पर जुतवाते रहे और गांव समाज में कहीं जमा नहीं किया।

आज तक जो पंचायत के प्रधान बनना चाहते हैं वही गांव समाज का टैक्स अदा करते हैं दूसरे किसी ने जमा नहीं किया है। ये सारी समस्यायें इसके अन्तर्गत आयेंगी। चकबन्दी हुई। चकबन्दी होने के बाद जो प्रधान ने रवैया अख्तियार किया कि भूमिहीन को जमीन मिलनी चाहिये, उसको नहीं मिली। जिसको मकान बनाने के लिये जमीन की जरूरत है, उसको जमीन नहीं मिली। अब भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां हजारों एकड़ जमीन पड़ी है और बटाई पर उठा रहे हैं। अगर यह विस्तृत संशोधन विधेयक आया होता तो हम उसका स्वागत करते क्योंकि आज हमारे प्रदेश में उसकी बहुत जरूरत है। गांव समाज की प्रापर्टी की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। न्याय में भी घपला चल रहा है। पंचायतें मनमाने ढंग से सारा काम करती हैं। इसके लिये माननीय मन्त्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि अधिकार दे दिया है। तो यह सारा पचड़ा एक लाइन के विधेयक से नहीं दूर होगा। जिलाधिकारी को कुछ अधिकार देने हैं और जो न आये उस पर कुछ जुर्माना करना है इससे काम नहीं चलेगा। स्वामी जी ने कहा कि 500 रुपये की धनराशि बहुत है इसलिये यह परिचालित किया जाय।

लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि चुनाव में कितनी धांधली हुई है। मेरे यहां एक दानपुर ब्लाक है। वहां के बी0 डी0 ओ0 के यहां तार सरकारी पकड़ा गया था बिजली को चोरी से उपयोग करने पर मुकदमा चल रहा है। चोरी का मुकदमा चल रहा है और अब भी वह वहां पर बना हुआ है। एक सस्पेन्शन का केस पड़ा हुआ है उसके अलावा। यह आम जनता कहती है कि उसने एक एक हजार में प्रधान बना दिया। चुनाव का रेजल्ट अपने पास से लिया, दस्तखत नहीं होने दिये, बाद को दूसरा रेजल्ट घोषित कर दिया। एक प्रधान मनवीर सिंह 13 वोटों से जीते थे, मगर उन बी0 डी0 ओ0 महोदय के कारण वे पराजित घोषित कर दिये गये। उन्होंने क्या किया। एक करामत की अंगूठी पहन कर रखी थी, उस से वे हर मत पत्र पर निशान लगाते जाते थे। और बाद में वह सब बैलट पेपर लेकर कहीं घंटे भर के लिये गायब हो गये, फिर मय बैलेट पेपर के आये और रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन फजी ले ली, री-काउंटिंग करायी और उसके आधार पर दूसरा रेजल्ट डिक्लेअर कर दिया। जिन्होंने पहले रेजल्टशीट बनायी थी उन्होंने दूसरा बनाने के लिये मना कर दिया। इस प्रकार जीता हुआ प्रधान को हारा हुआ घोषित कर दिया और हारे हुए को जीता हुआ घोषित कर दिया। इस तरह का घपला हुआ है। ऐसे बी0 डी0 ओ0 को सस्पेन्ड किया जाय जिससे जिलाधीश, बुलन्दशहर ने कागजात सस्पेन्ड के भेजे हैं।

एक और घपला है डिवाई ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 का, वहां के बी0 डी0 ओ0 ने उन कर्मचारियों को जो काउंटिंग में थे और जिन्होंने डी0एम0 के सामने गवाहियां दी थीं, जिनमें जगरूप सिंह, और सोहन लाल गर्ग थे, उनका ट्रांसफर करवा दिया ताकि वे आगे गवाहियां न दे सकें।

दूसरा सबसे बड़ा घपला यह हुआ कि जो हाथ पर रोशनाई लगायी जाती थी वह छुटाई जा सकती थी और उसको मिटा कर लोग 10–15 बार तक वोट डालने आते थे। लोगों के वोट डालने के बाद निशान तक नहीं लगाया जाता था। इसी के कारण तमाम घपला होता है। वोटिंग के समय लड़ाई तक हुई है। रोशनाई हाथ पर न लगी होने के कारण यह पता ही नहीं

चल पाता था कि किसने वोट दिया है और किसने नहीं दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें जिससे इसकी परिधि का बढ़ाने का भी अधिकार हो और जहां इस पर विचार हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। वहां इस पर विचार चाहिये कि इस कानून में कौन-कौन से संशोधन आवश्यक हैं जिससे कि प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि एक अच्छा विधेयक तैयार होकर सदन के समक्ष आ सके।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, यह पंचायतों के सम्बन्ध में बिल इस सदन के सामने है और उस पर दो संशोधन आये हैं। पहला संशोधन यह कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को जनता की राय जानने के लिये तीन महीने के लिये परिचालित किया जाय। दूसरा संशोधन यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। बिल पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने कह डाला कि बहुत छोटा सा मामला है, बहुत छोटा सा बिल है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। इस बिल में एक पेनल व्यवस्था की जा रही है। इस बिल में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि किसी कर्मचारी से जबरदस्ती कोई काम लिया जा सके। कर्मचारियों से काम लेने का सीधा तरीका यह है कि उसको आदेश दिया जाय। अगर वह आदेश को नहीं मानता है तो डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की जाय। वह सस्पेन्ड किया जा सकता है, बरखास्त भी किया जा सकता है, और भी कुछ किया जा सकता होगा। हमारे फंडामेन्टल राइट्स हैं जिसका अधिकार है किसी कर्मचारी को वह किसी काम को मना कर सकता है या नहीं खतरा उठा कर, उसके अलावा उसके हकूक पर इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना, उस पर जबरदस्ती करना, उसके साथ साथ पेनल बना देना, सजा और पांच सौ रुपये तक जुर्माना होगा। छोटे से अमेन्डमेन्ट में व्यक्ति के लिये बड़ी भारी सजा है। इस तरह से आप इमर्जेन्सी की पावर्स ले रहे हैं।

मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके सामने कोई ऐसा बड़ा खतरा है, उसमें कहते हैं कि डी0 आई0 आर0 लागू कर दिया जाय। उसके मातहत इमर्जेन्सी में वह काम करना चाहिये. जो आम-तौर से कानून की रूप से नहीं कर सकते। इस तरह का अधिकार आप लेना चाहते हैं। साथ ही कहते हैं कि बहुत सी मामूली बात है। इस सदन को गुमराह करने के लिये ताकि सदस्य उस पर ध्यान न दें। संशोधन में व्यवस्था यह है कि जनता की राय जानने के लिये शाया किया जाय। बड़ी उचित बात है। और भी कारण हमारे पास हैं। मैं क्या कहूं। मैं बडी इज्जत करता हूं पंचायत राज्य मंत्री की। लेकिन मुझे आशा थी कि कल के बाद वह बड़ी खुशी से अगर परम्परा निभाना चाहते हैं प्रजातन्त्र की तो इस्तीफा दे देना चाहिये। इस सरकार से इतनी जबरदस्त गलती हुई है। अभी आपने बताया कि 72 हजार पंचायतों का चुनाव हुआ है। हुआ यह कि हर गांवों में 72 हजार चुनावों में जितने मेम्बर चुने जाने चाहिये थे, दो कम चुने गये। जो बाद में न्याय पंचायत में जाने चाहिये। वह नहीं चुने गये। उनको पूरा करने का क्या तरीका है ? उनके लिये माननीय मंत्री ने फरमाया कि सारे उत्तर प्रदेश में 72 हजार पंचायतों के चुनाव दोबारा किये जायंगे। छोटा सा काम है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन जनाब जबाब दीजिये उसमें कितना खर्चा होगा ?

यह जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उनमें जितना खर्चा हुआ है फिर उतना ही खर्चा होगा। वही प्रक्रिया हर गांव में होने वाली है। वही अफसर हर गांव में जाने हैं। फिर वही एलाउन्स देना पड़ेगा। फिर वही खर्चा होगा। लाखों में बताइयेगे। तो किस की जेब से जायगा ? वह टैक्स पेअर की जेब से जायेंगा। आप फराखदिली से खर्च करेंगे। इसके साथ-साथ आप न्याय पंचायतों का गठन नहीं कर सकते। आपने कहा कि न्याय पंचायतों का गठन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह]

करेंगे उसके बाद एलेक्शन करा लेगें आप जबरदस्ती पंच नहीं बना सकेंगे ऐसी गांव सभाएं हैं जिनमें जो मेम्बर चुने गये हैं उन्होंने न्याय पंचायतों में जाने से इन्कार कर दिया है । आप की न्याय पंचायतें पूरी नहीं होती । पंचायत का गठन, फिर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो यह नहीं हो सकता है । यह सरकार अपने आप को नाकाबिल सिद्ध कर चुकी है । यह इस काबिल नहीं है कि उस पर हम इतनी बड़ी बात की जिम्मेदारी सौंप दें । इतने बड़े अधिकार आर्डीनन्स से ले लेना, एक गम्भीर बात है, इस पर मुख्य मंत्री और गवर्नर को सोचना पड़ेगा । इमरजेन्सी की कंडीशन नहीं है कि आप अपने दस्तखत से कह देते हैं कि उसे फांसी दे देंगें या 500 रुपया जुर्माना कर देंगे । उस वक्त आपने किया लेकिन मेहरबानी करके अब तो आप ऐसा न कीजिए, आप दूसरे लोगों की राय नहीं लेना चाहते हैं और अपनी मनमानी से जनता के पैसे को नष्ट करना चाहते हैं । आपके सामने काफी कारण है कि इसे आप जनता की राय के लिये भेजें । जिनके पास ज्यादा समझदारी है, उन्हीं को आप सुन लीजिये । आप ऐसा कानून बना लीजिए, जिससे लोगों की इज्जत बचे, सजाएं लोगों को न झेलनी पड़े, और फिजूलखर्ची बचे । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे और जनता को मौका देंगें कि वह अपनी बात कह सके । इन शब्दों के साथ मैं दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, अपने प्रदेश में ग्राम पंचायतों का चुनाव काफी दिनों से 10 वर्षों से मुल्तवी होता आ रहा है । कई बार से कई अलग अलग वजूहातों से यह मुल्तवी हुआ है । इस साल माननीय मंत्री जी ने जरूरत के मुताबिक आर्डीनेन्स पास करके और सारी कार्यवाईयों को पूरा करके, प्रजातन्त्र की सबसे पहली सीढ़ी की चुनाव करा दिया । इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मैं समझता हूं कि अगर यह आर्डीनेन्स विधेयक की शक्ल में यहां लागू न किया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में इस साल भी चुनाव न हो पाते । इस वक्त यह चुनाव सूबे की तरफ से हुए और कम से कम खर्च में, और जनता की कम से कम परेशानी के साथ हुए । यह चुनाव कराये गये । इसमें जो मास्टर्स और छोटे-छोटे कर्मचारी, जिनसे काम लेना था, उन्होंने मना कर दिया इसका काम करने से अपनी यूनियन्स के जरिये । अगर सूबे की सरकार इस तरह का आर्डर ईश्यू न करती तो समय पर इलेक्शन न हो पाते ।

चुनाव हुए और बहुत जल्दी में हुए और उस जल्दी के कारण इस चुनाव में जो अनियमितायें हुई उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर जाना चाहिये । जिस तरह की गलती हुई है, आगे यदि इस तरह की गल्तियां न रोकी गईं तो जो भी आगे चुनाव होंगे, उनमें इसका पूरा असर पड़ेगा । मिसाल के तौर पर चुनाव के पूर्व पूरे उत्तर प्रदेश में चकबन्दी हो चुकी थी, हर ग्रामसभा में जमीन छूटी हुई थी, प्रधान को अख्तियार बढ़ गया था, इसलिये लोगों में इस चीज का ज्यादा सवाल पैदा हो गया कि हर गांव में किस के हाथ में सत्ता रहे । जिस ग्राम सभा के चुनाव में आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के कोई मैनफिस्टो नहीं प्रसारित किये गये और न किये ही जाते हैं। यह चुनाव बिल्कुल ही व्यक्तिगत हुए, इस बात को लेकर कि किसके हांथ में किस तरह से शक्ति बनी रहे । जिससे वह गांव की पार्टीबाजी में सफलता पा सके । प्लानिंग और विकास का सारा कार्य उसके द्वारा और अधिकाधिक उसके हित में हो । इस आधार पर लोग चुनाव के मैदान में आये । ऐसी स्कीम बहुत पहले से बन रही थी, इसलिये ऐसी नौबत की गई । बराबर एलेक्ट्रोल में इस तरह की मिसालें देखी गई कि कोई प्रधान पिछले 10 साल से प्रधानी कर रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रोल रोल देखा गया तो उसमें उसका नाम गायब मिला ।

मैं एक उदाहरण दूं, ग्राम सभा सालूवाला का प्रधान छिद्दा था । जिस समय एलेक्ट्रोल रोल बना, उसके घर के तीन आदमीस्वयं, बीबी और उसकी मां थी जिनके वोट्स थे । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाद में क्या हुआ कि उसका नाम एक घर में, उसकी बीवी का नाम दूसरे घर में और उसकी मां का नाम तीसरे घर में दिखाया गया था। ऐसी बहुत सी बातें हैं, यह नहीं है कि यह पहली मिसाल है। अनेक मिसालें इस प्रकार की हैं कि जिसमें लड़के की उम्र बाप से ज्यादा हो गई। बाप की उम्र अगर 25 साल है तो उसके रिकार्ड में लड़के की उम्र 35 साल लिखी हुई है। इसमें यह चीज है कि 30 साल से उम्र कम लिखा देंगे तो प्रधान की पर्चा दाखिली से उसका नाम कट जाएगा, क्योंकि 30 साल से कम उम्र का कोई प्रधान नहीं हो सकता है इस तरह की जो चीज है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए, और इस बात से मैं सहमत हूं कि ग्राम सभाओं के अन्दर इतनी कमजोरियां आ गई हैं। उत्तर प्रदेश का ग्राम सभाओं का यह ऐक्ट कितना कमजोर बना हुआ है, उससे न तो प्रदेश की ग्राम सभाओं का कोई रिकार्ड समझ में आता है, न आमदनी का जरिया समझ में आता है, न प्रणाली समझ में आती है। जितनी जल्दी हो सके सारी चीजों को देखते हुये जैसा कि सरकार ने कमीशन की नियुक्ति की है कर लें। मैं यह जरूर चाहता हूं कि उस कमीशन से जल्दी से जल्दी काम कराया जाय और जितनी जल्दी हो सके इन सारी बातों को सामने रख कर उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा ऐक्ट को और किसी तरह से मजबूत बनाया जाय। वह कमीशन जल्दी से जल्दी यह सब मालूम करे और उसके आधार पर एक कम्प्रीहेंसिव बिल इस सदन में आये जिससे ग्राम समाज मजबूत हो।

मिसाल के लिये मामूली सी बात है कि दो बजे तक पर्चा दाखिल करने का काम है। नामिनेशन पेपर लाये और दो बजे तक खड़े रहे और कह दिया कि टाइम खत्म हो गया और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया। इस तरह की बातें वहां हुई हैं तो जिलाधीश को डिप्टी डाइरेक्टर की पावर्स देकर अथोराइज कर दिया गया कि इस तरह की बातों को वह दूर करे क्यों कि इस तरह के रिजेक्शन हुए हैं। नामिनेशन पेपर्स बेजा तौर से खारिज हुए हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। इसी तरह से सिम्बल्स के बटवारे की बातें आई हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ग्राम सभा के अन्दर दो कैंडीडेट्स के नाम फकीर मुहम्मद थे। अब सवाल यह था कि कुर्सी किसको मिले और कलम दवात किसको मिले। एक बी0 डी0 ओ0 ने तय यह किया कि जिसका नामिनेशन पेपर पहले आया है उसको कुर्सी दे दी जाय और जिसका बाद को आया है उस को दवात दे दी जाय। दूसरे बी0 डी0 ओ0 से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि अगर इस तरह का केस मेरे सामने आता तो मैं बड़ी उम्र वाले को कुर्सी का सिम्बल दे देता और छोटी उम्र वाले को कलम दावात दे देता।

इलेक्शन से पहले इन सब चीजों को तय करने के लिये कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी, जिससे चुनाव में ये सारी चीजें पैद न हो सकें। इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद सब से बड़ा प्रश्न यह पैदा हुआ कि हारे हुए प्रधानों के पास बस्ते हैं। इसमें बड़ा गोलमाल है पुराने प्रधान अपने बस्ते नये प्रधानों को नहीं दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को चार्ज दिलवाने को कहा गया। अब सेक्रेटरी कैसे कहे कि लाइये चार्ज, बस्ता इनको दीजिये। यह बेचारा गांव में जाने से पहले गांव के जुगराफिया को मालूम करे। हालत यह है कि प्रधान के पास कई लट्ठबन्द होते हैं। वह उन लट्ठबन्दों को देखता है तो गांव के बाहर से ही दूसरे गांव की साइकिल ले कर चला जाता है और बहाना बना देता है और कह देता है कि प्रधान साहब घर पर नहीं मिले।

दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि शकर जो मिलती है वह प्रधानों की पर्ची पर बटती है। लेकिन मोहर पुराने प्रधान की ही है। नया प्रधान मोहर कहां से लगाये? पर्ची जो होती है नये प्रधान की उस पर मोहर नहीं होती है। दूकानदार किस पर शकर दे नये प्रधान की परची पर से अथवा पुराने प्रधान की मोहर से दे। यह आर्डर हो गया कि नये प्रधान की परची से शकर मिलनी चाहिये। मोहर किस के पास रहे इस सिलसिले में आपने कोई आदेश जारी नहीं किया। जिला कलेक्टर को यह अधिकार हो कि वह देहात की इस सब से पहली सीढ़ी का चार्ज पुलिस के जरिये दिला सके। दरोगा गांव में जाय और वह प्रधान से चार्ज दिलवायें। सेक्रेटरियों को आर्डर दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी चार्ज ओवर करा दो नये प्रधान को।

[श्री रियासत हुसैन]

सेक्रटरी की क्या हैसियत कि वह चार्ज हैंड ओवर करवा दें जहां कि आये-दिन कत्ल होते रहते हैं। तो कलेक्टर वहां पर नौकरी करने के लिये गया है या अपना सिर फोड़ने के लिये गया है। तो मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप तुरन्त ऐसे आदेश जारी करवा दें जिससे कि चार्ज हैन्ड ओवर हो सके।

इसके अलावा मान्यवर, एक मसला और बड़ा भारी है। चकबन्दी और ग्राम समाज के ऐक्ट के माध्यम से प्रधानों को अख्तियारात बहुत हो गये हैं और उनको जमीन उठाने और देने के लिये आपने एक कार्यप्रणाली बना दी है। उसमें ऐसा है कि जो बंजर जमीन कड़ी है या जंगल की जमीन है वह सबसे पहले फौज के सिपाही को दी जायेगी, फिर हरिजनों को दी जायेगी, फिर भूमिहीनों को दी जायेगी। ऐसा आपका नियम है। किन्तु पहले आप यह मालूम कर लें कि कितने प्रधान ऐसे हैं जो कि बदल गये हैं और कितने ऐसे प्रधान है जो पुराने ही चुन कर नये प्रधानों की हैसियत से आये हैं। साथ ही यह भी मालूम कर लें कि उनमें से कितने प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने जायज तरीके से जमीन ली और दी है। अगर उन्होंने जायज तरीके से जमीन नहीं उठाई है तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है। श्रीमन्, ऐसे बहुत सारे मसले हैं मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है। प्रधान ने 300 रुपये लेकर 100 रुपये की ही रसीद दी है और उसमें मकान भी बन जाता है। उस गरीब आदमी ने तो रुपया देकर रसीद कटवा ली लेकिन उसने पटवारी को रुपया नहीं दिया या यह भी हो सकता है कि प्रधान ने ही कह दिया हो कि उसको देने की क्या जरूरत। ऐसी हालत में यदि पटवारी रिपोर्ट कर दे तो वह गरीब आदमी जिसने कि रुपया देकर प्रधान की आज्ञा से मकान बना लिया है, उसके ऊपर यह हुक्म होता है कि तुम एक महीने के अन्दर जगह या जमीन को खाली कर दो। ऐसे केसेज अभी मुरादाबाद में हुये हैं।

श्रीमन्, यही नहीं आठ-आठ सौ जुर्माने के लिये भी उनसे कहा जाता है और यदि वह रुपया देने की परिस्थिति में न हो तो उससे कहा जाता है कि जेल भिजवा दिये जाओगे। इस प्रकार उस बेचारे किसान पर जिसने कि रुपया भी दे दिया है, रसीदें भी कटवा ली है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्यवाही हो जाती है किन्तु जो प्रधान बीच में आता है, उसके सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वह आज भी प्रधान बने हुये हैं दुबारा चुन कर आये हैं। एस0 डी0 एम0 साहब ने उनको नोटिस तक नहीं दिया है और उस गरीब का मकान भी गिरा दिया और 8 सौ रुपया जुर्माना भी ले लिया।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो ताकत आज आपने उनको दी है उस पर कंट्रोल रखने के आदेश आपको तुरन्त जारी करने चाहिये और यही नहीं, उन आदेशों की पूर्ति हेतु जिलों में जो भूमि व्यवस्था समिति बनी हुई है, जिसके चेयरमैन कलेक्टर हैं, उनको पावर देकर उनको कंट्रोल किया जाय। जिन प्रधानों ने नाजायज तरीके से, अनधिकृत रूप से और गैर-कानूनी ढंग से दूसरे आदमियों को अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जमीन दे दी है, उस जमीन को खाली कराने से पहले उन प्रधानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उसका एक भयंकर नतीजा यह होने वाला है कि प्रधान ने तो जमीन दे दी, उस आदमी ने उस जमीन पर मकान भी बना लिया। पटवारी कहता है कि वह मकान गिराया जाय। तब वह मकान को तो गिरायेगा है नहीं, तो यह मामला सिविल कोर्ट में जाने के अलावा और कोई रास्ता रह ही नहीं जाता। इसका मतलब यह हुआ कि छुट्टी हो गई काफी समय की। तब आपका जो सारा इसेन्स इसका है कि ग्रामसमाज की जो जमीन होगी वह फौजी व्यक्तियों को, हरिजनों को और भूमिहीनों को दी जायेगी, सब बेकार हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो यह कहा गया है कि इसे प्रवर समिति में पुनः विचार हेतु भेजा जाय, उसके मैं पक्ष में नहीं हूं। ये सब बातें ठीक हो जायं, तो सब ठीक हो जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक बात समझ में नहीं आयी कि आप लोगों ने यह संशोधन रखा कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति जो सुझाव या संशोधन देता है, वह सुझाव तभी कामयाब हो सकता है जब उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसकी परिधि को बढ़ाया जाय। फिर आपके सुझाव देने के क्या लाभ है जब आप कहते हैं कि मंत्री जी जो चाहें वही हो जाय।

श्री रियासत हुसैन—

सुझाव आगे के लिये कहा गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस वक्त जो विचाराधीन है उसके लिये सुझाव दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

निर्णय तो मत से किया जायेगा।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने के लिये जो संशोधन पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हम लोग समझते हैं कि गांव सभा के जो चुनाव हुए, चुनाव की जो खामियां हैं, जो कानूनी दोषरहे, उन सब को इकट्ठा करके पूरे कानून में जहां जरूरत थी, पंचायतराज ऐक्ट में संशोधन करने की व्यवस्था करते, तो पूरा सदन इसका सहर्ष स्वागत करता। लेकिन पंचायत राज ऐक्ट की 12 वीं धारा में थोड़ा और कुछ जोड़ने की व्यवस्था की गयी हैलेरु इस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी खामी यह नजर आयी कि विधान सभा के चुनाव में और। लोक-सभा के चुनाव में मतदाताओं की तर्जनी में स्याही लगाने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत जो मौजूदा चुनाव गांव सभाओं का हुआ है उसमें वोटरों की तर्जनी में स्याही लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसका नतीजा यह रहा कि एक-एक वोटर ने तीन-तीन बार विभिन्न नामों से वोट दिया और उसको रोकने की कोई गुंजायश नहीं थी। अखबारों से जानकारी हुई है और कुछ जिलों से रिपोर्ट आयी है कि वहां स्याही की व्यवस्था थी लेकिन कुछ जिले जैस—प्रतापगढ़ रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद, इनमें कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट में कुछ रिट भी दाखिल हुए हैं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव गलत तरीके से और अनियमित ढंग से हुए हैं इसलिये उनका चुनाव पुनः कराया जाय। एक ऐसी भावना लोगों में फैली हुई है तो मैं चाहता हूं कि जवाब देते समय माननीय मंत्री जी इस भ्रम का खंडन करें।

दूसरी बात यह है कि यह बात सही है कि गांव सभाओं का बड़ा लम्बा चुनाव है। एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें काफी लोगों की जरूरत होती है। चुनाव में जितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अब की बार जिलाधिकारियों को बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता। अगर इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी की यह मंशा है कि जिन शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट मिलती है, उनके अध्यापक व कर्मचारी चुनाव में लगाये जायं, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हाई स्कूल व इंटरमीडियेट कालेज के अध्यापक व कर्मचारी इसलिये चुनाव में भाग लेने के लिये तैयार नहीं है कि चुनाव में काम करने के बाद उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। दो तीन दिन के लिये जो कुछ भी उनको दिया गया है वह बहुत कम है। वह भी पहले नहीं दिया गया बल्कि चुनाव के दो तीन महीने बाद तक वह उनको नहीं मिल सका। जिला परिषदों के जितने टीचर्स रहे और जिन्होंने चुनाव में काम किया उनके लिये समुचित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जय राम यादव]

भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। जो भत्ता दिया गया वह बहुत ही कम है और वह भी 4–6 महीने बाद दिया जायेगा। तो अगर आप चाहते है कि ये कर्मचारी चुनाव म काम करें तो आप उनके भत्ते की समुचित व्यवस्था करें और उनको जल्दी अदा करने की व्यवस्था करें।

तीसरी बात यह है कि आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि पहले जब चुनाव हुए तो हर पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के लिये एक-एक कानस्टेबिल की व्यवस्था थी लेकिन इस बार गांव सभाओं के चुनाव में और जब प्रधानों का चुनाव हुआ जिसमें मार पीठ की सम्भावना रहती थी तो वहां होमगार्ड का एक व्यक्ति लाठी लेकर खड़ा रहता था। उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव में जब मारपीट का खतरा हुआ सबसे पहले वही पोलिंग स्टेशन को छोड़ कर भाग गये। तो ऐसी व्यवस्था करने की कोई बात थी ही नहीं। जहां तहां पोलिंग स्टेशन ऐसे भी रहे जहां पोलिंग अधिकारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं। इतना ही नहीं, कई ऐसे उदाहरण है कि पार्टी के लोग मारे गये और उसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रही। प्रतापगढ़ जिले में एक विकास खंड में पुलिस सब इन्सपेक्टर को 5-6 आदमियों ने बंदूक के लाइसेंस होल्डर्स थे, पकड़ लिया। वह दरोगा भी कोई व्यवस्था नहीं कर सका। जो आपने जल्दी-जल्दी में 2–3 दिन में सारे चुनाव करा लिये उससे ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी। चुनाव में चाहे एक सप्ताह लग जाये लेकिन पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। जो लाठी वाले लोग रहे, उनको अगर यह ख्याल रहा कि इस गांव के लोग उनके खिलाफ जायेंगे तो उस गांव में 10-20 लाठी वाले खड़े कर दिये हैं और उस गांव के लोगों को वोट देने जाने नहीं दिया गया। इसके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये थी ताकि सब लोग स्वतंत्रता और निर्भीकता पूर्वक अपना मत दे सकें।

दूसरी बात यह है कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह रहता है। उम्मीदवार का नाम नहीं रहता। इसलिये जो असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर जिसके पक्ष में होते थे उसके चुनाव चिन्ह में मत डलवा देते थे। इसमें थोड़ा अपव्यय होगा लेकिन बैलट पेपर में उम्मीदवारों के नाम भी होने चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र सही तरीके से विकसित हो तो वही चुनाव होने चाहिये। एक गांव सभा देवा में वहां के प्रधान और उम्मीदवार में कुछ झगड़ा हुआ था। लाठियां वगैरा चलीं और कई लोग अस्पताल गये। वहां उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने नहीं आ सका। उसने एक आदमी से पर्चा भिजवाया जिसके असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर ने खारिज कर दिया कि पर्चा दाखिल करने या तो उम्मीदवार आवे या प्रस्ताव आये। इस संबंध में उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

न्याय पंचायत के गठन में हर गांव सभा से 2–3 सदस्य चुने गये हैं। उनके चुनाव के बाद जो स्थान रिक्त होते हैं उनकी पूर्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। जिन गांव सभाओं में दोनों ग्रुप के 9–11 आदमी होते हैं, वहां दोनों पार्टियों के लोग चाहते हैं कि अगर हमारे यहां से न्याय पंचायत में सदस्य चले जायेंगे तो हमारा बहुमत कम हो जायेगा। इसलिये गांव सभाओं से लोग आने को तैयार नहीं होते हैं।

यह सही है कि यह बहुत लम्बा चुनाव है और सरकार जिस किसी की सहायता लेना चाहिये उसकी सर्विसेज ली जा सकती है। इस संबंध में एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर किसी का नामांकन पत्र लेकर स्वेच्छा से फाड़ कर फेंक दे या गायब कर दे तो उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि सूची में उम्मीदवार का नाम नहीं लिखा होता अभी रामधर उम्मीदवार के असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर के खिलाफ थे। इसलिये उन्होंने उसका पर्चा फेंक दिया। हमने डायरेक्टर से फोन से संबंध स्थापित किया तो इलेक्शन पेटीशन के सिवाय और व्यवस्था कोई का न होना बताया। तो चुनाव कराने वाले जितने अधिकारी है वे मनमानी करते हैं। जिसका चाहे गलत तरीके से पर्चा फेंक देते हैं या किसी के पर्चे को जो निर्धारित समय 4 बजे तक का होता है वह जिसका

पक्ष करते हैं उसका पर्चा निर्धारित समय के बाद भी ले लेते हैं और कहीं-कहीं तो दो-दो तीन दिन के बाद भी पर्चे लिये गये है और इस तरह से उम्मीदवार समय के बाद बनाया गया है। इस तरह से जो कर्मचारी या अधिकारी मनमानी करते है उनको दंडित करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। मंत्री जी इस पर कह देंगे कि उनको एलेक्शन पेटीशन में जाना चाहिये। चुनाव कराने वाले जो अधिकारी हैं और जो राज्य सरकार के मातहत हैं और जो सरकार से वेतन पाते है वह इस तरह मनमानी करते हैं उनको दंडित करने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। साधारण रूप से जो मौजूदा व्यवस्था है वह बहुत ही दोष-पूर्ण है।

अब के चुनाव में जो अधिकारी चुनाव कराने वाले रहे उन्होंने इतनी मनमानी की है कि जिस उम्मीदवार को वह चाहते थे उसके हित में वह अपने हाथ से मोहर लगाकर बैलट पेपर में डाल देते थे, उन्होंने यह किया कि जिस को चाहे वोट देने दिया और जिसे चाहे नहीं देने दिया लोग जाकर प्रार्थना पत्र देते थे और जिसका चाहे फेक देते थे और कह दिया कि नहीं लेंगे और जिसका चाहे ले लिया। उनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिये इस विधेयक की परिधि बढ़ाने के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ताकि पूरे पंचायत राज ऐक्ट को आज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सके। यह पंचायत राज ऐक्ट सन 47 में बना था। तब से आज तक 20–25 साल हो गये जो अनुभव उसके कार्यान्वयन में हुये हैं उनको देख कर दूसरे ऐक्ट में नये सिरे से संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही यह भी विचारणीय बात है कि मुकदमों के फैसला करने की जो व्यवस्था इस पंचायत राज एक्ट में है क्या उसका सही तरीके से पालन हो रहा है ? अगर इन मुकदमों के सचालन में जनता को परेशानी बढ़ी है तो उस विधि में भी संशोधन की आवश्यकता है। गांव सभा के सेक्रेटरी और प्रधान अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते है, वहां की सम्पत्ति का, वहां की जमीन का अपने रिश्तेदारों और सम्बन्धियों के नाम करके दुरुपयोग हो रहा है। जो ऐसा करते है उनके खिलाफ समुचित ढंग से सजा की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि केवल एक धारा में संशोधन लाया गया है एक कम्प्रीहेंसिव विधेयक लाया जाता तो उचित होता। केवल धारा 12 बी० व सी० में ही संशोधन लाना ना काफी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें और इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में जाने दें ताकि पूरे विधेयक पर नये सिरे से विचार किया जा सके।

(इस समय 3 बज कर 49 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर इस संशोधन के सम्बन्ध में दिया। मैं इस संशोधन के पक्ष में हूं। हमारे भाई श्री रियासत हुसेन ने बहुत से सुझाव दिये लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि मैं इसका विरोध करता हूं। सुझाव तो वह मंत्री जी को वैसे भी उनके पास जाकर दे सकते थे, वह उनकी पार्टी के मंत्री हैं उनके कमरे में जा कर वह सुझाव दे सकते थे और मंत्री जी भी उनको मंजूर कर लेते। उनके सुझाव तो ठीक ही थे लेकिन उनके बाद में यह कहने से कि मैं संशोधन का विरोध करता हूं एक विरोधाभास पैदा हो गया।

आपको मालूम है कि अभी तमाम सूबे में पंचायतों के चुनाव हुये। इन चुनावों में एक सबसे भारी अनियमितता यह हुई कि जब पर्चे दाखिल करने का समय आया तो वहां पर जो रिटर्निंग आफिसर थे जो एक जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने हर पर्चे को प्रमाणित कर दिया। कायदा यह है कि वह देखे कि उस पर कोई टैक्स बकाया तो नहीं है लेकिन उन्होंने बिना देखे सब को प्रमाणित कर दिया। सब पर्चे मंजूर हो गये और कोई भी कैन्सिल नहीं हुआ और बाद में उस पैसे की सेक्रेटरी ने रसीद काट दी लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

अधिकांश यह हुआ कि एक भी रसीद सेक्रेटरी ने चेक की नहीं काटी। मैं इसकी एक मिसाल भी रखना चाहता हूं मंत्री जी कृपा करके उस की जांच करें। हमारे जिले शाहजहांपुर में जैतीपुर में एक न्याय पंचायत गढ़िया रंगी है उसके सेक्रेटरी ने साढ़े चार हजार रुपया वसूल किया। हर सदस्य जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनमें से प्रत्येक के पत्र पर लिख दिया कि कोई बकाया नहीं है लेकिन कोई भी रसीद नहीं काटी गयी पंचायत रजिस्टर से। मैंने यह बात जिला पंचायत अधिकारियों को बतायी लेकिन फिर भी उन्होंने वह रजिस्टर सील नहीं किया। बड़ी भारी अनियमिततायें हुयी हैं। जो टैक्स बकाया था, वह पंचायत के सेक्रेटरीज की जेबों में गया और कोई रसीद तक नहीं काटी गयी।

जहां तक चुनावों के सिस्टम की बात है कि इनमें जिला परिषदों के मास्टरों को लगाया गया था। अब तो सरकार ने उनके बारे में एक अध्यादेश निकाल दिया है लेकिन पहले जब वे जिला बोर्ड के अन्तर्गत कार्य करते थे हालांकि वे लोग ईमानदारी से कार्य करना चाहते थे लेकिन जिला बोर्ड का उनके ऊपर दबाव होता था। उन्हें दूर तबादला करने की धमकी दी जाती थी और उन पर उनका दबाव था। तो मजबूरन उन्हें राजनीतिक व्यक्तियों के पीछे उन्हें पड़ना पड़ता था और उन्हीं के कथनानुसार उन्हें काम करना पड़ता था।

दूसरे स्थानों पर भी जहां पर मास्टर लोग इन्ट्रस्टेड थे उन्होंने गांव वालों को कहा कि जल्दी से कुर्सी पर निशान लगा लो या कलम दवात पर निशान लगा लाओ। गांवों की औरतों और भोले भाले व्यक्ति इन बातों को नहीं समझते थे और उन्होंने वैसा ही किया। जिस दृष्टि-कोण से विधान सभा और लोक सभा चुनाव हुए, उससे यह बात साबित होती है कि लोग जनतंत्र के प्रति जागरूक हुए हैं लेकिन इसमें वोट डलवाने में बड़ी धांधली हुयी है। एक ही पार्टी को वोट डलवाये गये हैं।

एक जगह पुलिस वाले आये और वे अपनी भाषा में बोलने लगे, बहनचोद, मादरचोद, यहां पर क्यों भीड़ लगाये हुये हो। यहां से चले जाओ ऐसी बातों से गांव वाले पुलिस से डर कर चले गये और फिर मन माने ढंग से बोट डाले गये। तो यह बहुत खराब बात है। पुलिस वहां पर प्रबन्ध करने जाती है लेकिन जब वे गाली देकर शोर मचाते हैं तो गांव वाले भाग जायेंगे, और कुछ नहीं होगा। किसी को शराब की बोतल में दफा 151 में 7/17 में बंद करने की धमकी दी गयी। प्रदेश में चुनाव अवश्य हुए लेकिन इनमें बहुत ज्यादती हुयी। धांधली हुयी। लखीमपुर खीरी के बारे में जहां पर लोग दबे नहीं वहां पर एक सरदार था, उसे धमकी दी गयी कि हम बन्दूक से मार देंगे। मेरा कहना यह है कि अगर आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ये सारी बातें दबाव की समाप्त करनी पड़ेंगी।

जैसा कि हमारे सामुदायिक मंत्री जी ने कल यह उत्तर दिया था कि जितनी ग्राम सभाओं में जितने स्थान थे उतने ही न्याय पंचायतों के लिये चुने जायेंगे। अगर न्याय पंचायतों के 2 या 5 चुने गये तो इतने स्थान ग्राम सभाओं मे रिक्त हो जायगे और इसका नतीजा यह होगा कि दुबारा फिर से चुनाव कराने पड़ेगे। तो फिर सब की दुबारा दौड़ हो जायगी, जितने भी रिटर्निंग आफिसर्स हैं वे फिर इस काम के लिये लगाने पड़ेंगे, उनको यात्रा भत्ता फिर से देना पड़ेगा। और उनके आने-जाने और उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना होगा। तो बहुत अच्छा होगा अगर संशोधन करके न्याय पंचायतों और ग्राम सभाओं के चुनाव और न्याय पंचायतों के सदस्यों का भी चुनाव एक साथ हो जाता। तो यह एक राजनीतिक दखल अन्दाजी है। आप इन न्याय पंचायतों में पार्लियामेंट के सदस्यों और इस सदन के सदस्यों को घुसेड़ रहे हैं। यह एक शरारत का कदम है। इससे तो यह बेहतर होता कि आप ही सब को नामिनेट कर देते। और आप अपने एम० एल0 एज 0 को जो अपनी तरफ का हो उसको दे देते ताकि झंझट दूर होता।

कमेटी तो एडवाइजरी कमेटी है। कई जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को परगनाधिकारी ने सर्वसम्मत चुनाव की रिकमैन्डेशन भेजी है जिसमें सर्वसम्मत नाम आये हैं परन्तु उसमें सेक्रेटेरी ने चुपके सेकोई ऐलान नहीं किया। चुपके से सेक्रेटेरी गया। उन्होंने मिल कर एक दो नाम भिजवा दिये। कुछ लोग जो न्याय पंचायतों में जाना नहीं चाहते थे जिलाधिकारी से लिखा कर भेजा। अच्छा होता कि आप ऐसा संशोधन विधेयक लाते जिसमें इनका चुनाव भी जनता द्वारा होता। आपकी जो राजनैतिक घुसपैठ है, यह नहीं होनी चाहिये। कम से कम न्याय पंचायत, जो न्याय की एक छोटी इकाई है उसमें राजनैतिक दबाव नहीं होना चाहिये। यह गलत है कि उसमें कमेटी नाम भेजे और सिफारिश करे। उसमें योग्यता और अयोग्यता पर विचार नहीं होगा। जो कुछ नहीं जानते हैं, निहायत बेईमान हैं उसको भी पंच बनने का मौका इसमें दिया है। इसलिये इसमें यह संशोधन लाये कि जो भी अदालत में पंच हों वे जनता के द्वारा ही चुने जायं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में या और प्रदेशों में प्रणाली है, उसे आप मंगा कर देखें---सब प्रधान चुन कर एक-एक पंच बना लें। ये सारी ऐसी बातें हैं जिन पर आप ध्यान दें। जहां चुनावों में धांधली हुई है गोलियां चली हैं, और तरह-तरह की बात होती हैं ऐसी घटनायें कभी नहीं हुई।

गांधी जी का पंचायतों के बारे में जो आदर्श और स्वप्न था ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने जो ऐक्ट बना दिया है उसके अनुसार गरीब आदमी परेशान किया जाता है, थाने में वह जाता है, तहसील में जाता है और हर जगह वह परेशान किया जाता है। रायबरेली में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को उस पद के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया गया। ए0डी0ओ0ने उस व्यक्ति को उस पद की शपथ लेने के लिये भी बुलवा लिया। जो हार गया था वह शपथ लेने आ गया। और ए0डी0ओ0 गायब है। ऐसी अनेक घटनायें हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर आप ध्यान नहीं देंगे और इस तरह की तानाशाही करेंगे तो यह जनतन्त्र नहीं रह जायेगा। जो ग्राम पंचायत हैं उनके प्रति ग्रामीण जनता की आस्था हट जायेगी और जो लोग सरपंच पद पर काम करना चाहते है उनको काम नहीं करने दिया जाता है। इसी तरह से श्रीमन् जो बहुत से प्रधान हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने ग्राम सभाओं की जमीनों पर कब्जा कर रक्खा है। आप तहसीलों से पूछ लेते कि ऐसे प्रधानों के खिलाफ क्या हो सकता है। गढ़िया ग्राम सभा में ही ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रक्खा है चार छः सालों से और जिनके नाम है उनके नाम से कोई पैसा नहीं बताया गया है। इसी प्रकार की बातें जिनकी श्रीमन् आप जांच कर लें। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन बिल आज मंत्री जी ने रक्खा है वह बहुत सीधा सादा है और एक ही उसमें बात थी कि जो आदमी काम करने से इन्कार करे उसे पांच सौ रुपया दंड दिया जाय। मगर उसमें बहस ऐसी हुई जैसे कि दुनिया भर की सारी पंचायत राज ऐक्ट का यही संशोधन हो रहा है और ऐसी बहस हुई उधर के माननीय सदस्यों ने जो कुछ किया उनको तो कहना ही चाहिये---हमारी तरफ के भी बहक गये मालूम होता है कि बरेली से होकर आगरा पहुंच गये। अगर वह आगरा और बरेली जायं तो ठीक है, लेकिन इधर वाले भी पहुंच गये। यह इतना छोटा और मासूम सा संशोधन है और इस पर लाठी चल गई, तलवार चल गई, बन्दूक चल गई.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उतना मासूम जितना पन्ना लाल जी हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त---

मैं मासूम इसलिये कह दे रहा हूं क्योंकि हमारे मंत्री जी भी उसी तरफ के हैं। आपने प्रजातन्त्र में एसेम्बिलियों के इलेक्शन देखे, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन देखे और भी

[श्री पन्नालाल गुप्त]

इलेक्शन देखे और पंचायत राज का यह दूसरा इलेक्शन है। आज का वोटर इतना होशिया हो गया है कि हमको और आपको चूतिया बनाता है . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जिस शब्द का प्रयोग पन्नालाल जी ने किया है, क्या वह संसदीय है ? अगर है तो रहने दिया जाय अथवा निकाल दिया जाय, क्योंकि और माननीय सदस्यों ने प्रयोग आरम्भ कर दिया तो मुसीबत पैदा हो जायेगी। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें नहीं तो हुड़दंग हो जायेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

वैसे मेरी राय वही है जो माधव प्रसाद जी की है, मगर इस समय वह क्यों बोलें . . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं क्यों बोला, यह तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मान्यवर, आप व्यवस्था दें . . . .

श्री पन्ना लाल गुप्त--

मान्यवर, जब जायसवाल जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो माधव प्रसाद जी को मीठा मालूम होता है और मेरी जबान से कड़वा . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें, चाहे कोई भी प्रयोग करे . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय पन्नालाल जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है उसको माननीय जायसवाल जी ने कभी नहीं प्रयोग किया।

श्री पन्नालाल गुप्त--

आज सबेरे बिजली के बिल पर बहस हो रही थी उसी वक्त जायसवाल जी ने, प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये, 'चूतिया' और 'बेईमान' शब्दों का प्रयोग किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने व्यवस्था नहीं दी, और माननीय सदस्य ने फिर दोहरा दिया। आप तुरन्त व्यवस्था दें।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा कहना यह है कि जो कुछ इन्होंने इस्तेमाल किया है वह किसी दूसरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। यह तो पन्नालाल जी की डिक्शनरी में है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, क्या यह कर्ण-कटु नहीं है ? क्या यह उचित है ? आप व्यवस्था क्यों नहीं देते। यह बात बढ़ जायेगी। इन्होंने दूसरी बार इस्तेमाल किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

बात यह है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है।

श्री पन्नालाल गुप्त—

अगर आपकी आज्ञा होगी तो इस शब्द को वापिस ले लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो आज्ञा नहीं देता, लेकिन क्या आप वैसे इस शब्द को वापिस नहीं ले सकते ?

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अगर कोई शब्द नेकनीयती से कहा गया हो और कहने वाले ने अपने लिये ही इस्तेमाल किया हो तो क्या वह नहीं इस्तेमाल कर सकता ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उसको अपने ऊपर ओढ़कर फिर दूसरों पर डाल देंगे इसलिये इस्तेमाल नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे तो माननीय सदस्यों को दुखद स्थिति से बचाना ही पड़ेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इन्होंने भी यह निराधार कह दिया कि हमारे शंकर लाल जी ने भी इस्तेमाल किया है।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

दरअसल, मैं यह चाहता था कि कौन सी बात कहूं कि जिससे हमारे त्रिपाठी जी थोड़ा उचकें। और वे उचक भी गये। वह तो मैं हंसी में कह गया। लेकिन मैं यह चीज कहना चाहता हूं कि एक थोड़ी सी चीज और उसके लिये इतनी डबल बहस। मैं तो कहता हूं कि इसमें क्या बुराई है कि आज जो कर्मचारी इन्कार करते हैं और इसी तरह से हर कर्मचारी जाने से इन्कार कर दें तो चुनाव क्या हम और आप करेंगे। वह तो सरकार की मशीन ही करेगी और सरकारी मशीन के पुर्जे अगर उसको न करें तो उसका क्या चारा है। यही चारा है फिर क्या बाजार से आदमी लिये जायं और उनसे इलेक्शन कराया जाय। एक चीज जरूर है कि जो उनको भत्ता सरकारी अधिकारीगण 6-6 और 8-8 महीनों में देते है, इसके बारे में यह बात मैं मंत्री जी की नोटिस में जरूर लाऊंगा कि जब आप उनसे काम लेते हैं और अगर वह इन्कार करें तो जुर्माना किया जाता है, तो आप उनको भत्ता कम से कम पहले मिल जाय और यदि पहले न मिले तो एक महीने के अन्दर तो जरूर मिल जाय। तो आप इस बात का भी प्राविधान करें और डी0 एम0 वगैरह इस बात का ख्याल रखें कि उनको भत्ता एक महीने के अन्दर मिल जाय ।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायत राज के इलेक्शन में बहुत गड़बड़ी होती है। मैं तो कहता हूं कि क्या असेम्बली के इलेक्शन में गड़बड़ी नहीं हुई । क्या इलेक्शन में पिटीशन नहीं हुये । जब बड़ी कमेटी में पिटीशन में जाते है तो छोटी कमेटी को क्यों रोक रहे हैं। आखिर जब असेम्बली के लोग धीरे-धीर मर जायेंगे तो काम चलाने के लिये तो किसी न किसी को रहना ही चाहिये । तो यह ठीक बात नहीं है कि हम तो पिटीशन करें और अगर वे करते हैं तो कहें कि यह बुरी बात है । स्याही की बात कही गयी । तो क्या यह असेम्बली के इलेक्शन में नहीं हुआ। वोट देकर निकले, स्याही को छुड़ाने के लिये उसको पोछा, पानी लगाया दियासलाई से खुरेद दिया और फिर वोट दे दिया ।

एक सदस्य—

आपको बड़ा तजुर्बा है, इसका।

श्री पन्ना लाल गुप्त--

शायद आप लोगों से ही सीखा है । तो यह सब कुछ होता है। लेकिन गांव सभा में यह गड़बड़ी हुई और यहां के चुनाव में नहीं । यह तो वही कहावत है कि अगर बड़ा आदमी चना चबाता है तो कहा जाता है स्वाद बदलने के लिये करता है लेकिन अगर छोटा आदमी चना चबाता है तो कह दिया जाता है कि वह भरभूजा है। तो पंचायतों में अगर वह होता है तो वे बेईमान हैं और अगर हम करें तो हम ईमानदार हैं। तो यह चीज ठीक नहीं है। मान्यवर, यह एक छोटा सा संशोधन है। इसमें दुनिया भर की बहस की क्या जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आता। फिर जब वह ऐक्ट आये उसमें संशोधन आये तो करिये। इसमें,---------- यह तो छोटा सा संशोधन है, इसको कहते हैं जनता को भेजो, प्रवर समिति में भेजो। यह बात ठीक नहीं है। मैं मान्यवर, इन बातों का विरोध करता हूं और जो मंत्री जी ने संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको मान लिया जाय ।

*श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूं, मान्यवर, कि इसको प्रवर समिति में जरूर जाना चाहिये। उधर से कहा गया है कि यह मासूम संशोधन है, बच्चा है, नाबालिग है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत बड़ा संशोधन है। प्रजातंत्र का हनन करने वाला संशोधन है। यह अध्यादेश जो जारी किया गया है इसके पीछे एक राजनैतिक भावना भरी हुई है, जिला परिषदों के अध्यक्ष होने की, ब्लाक प्रमुख होने की और जिला परिषद् के मेम्बर चुने जाने की । और इसीलिये यह अध्यादेश जारी किया गया कि जो प्रायमरी स्कूल का अध्यापक चुनाव की ड्यूटी में नहीं जायेगा उस पर पांच सौ रुपया जुर्माना किया जाएगा। क्या यह उन अध्यापकों के लिए संकेत नहीं है जिनका ब्लाक प्रमुख और बी0 डी0 ओ0 के निदेश पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहा है? उनके लिए कह दिया गया कि चुनाव ड्यूटी न दी तो पांच सौ रुपया जुर्माना होगा और साथ ही वह यह भी जानते हैं कि यदि उनकी इच्छा के खिलाफ हमने प्रधान का चुनाव कर दिया तो खैरियत नहीं है। जिले के एक कोने एक से दूसरे कोने तक जाना पड़ेगा। तो यह कोई मासूम संशोधन नहीं है। स्याही क्यों नहीं लग सकती है? लगनी चाहिए। चुनाव अधिकारी बजाय प्रायमरी स्कूल टीचर के लेखपाल को बनाया जा सकता है। इन सब चीजों पर प्रवर समिति में विचार हो सकता है। गांधी जी का कहना था कि गांव की मेजारिटी का चुनाव हुआ प्रतिनिधि शासन करे, लेकिन उसके विपरीत सरकार चाहती है कि ब्लाक प्रमुख हमारा हो, प्रधान हमारा हो। हमने दो-एक गांव सभाओं के चुनाव में देखा है। एक महिला आयी, उसने कहा कि मुझे कुर्सी पर वोट देना है। हमारे दोस्त पन्ना लाल जी ने उधर से कहा कि वोट हमको और आपको चूतिया बनाता है...

श्री उपाध्यक्ष --

जब उन्होंने वापस ले लिया तो आप क्यों कह रहे हैं।

श्री राम बिलास पांडेय--

मैं वापस लेता हूं लेकिन उनकी भावना की तरफ ले जाना चाहता हू। उनका कहना है कि आज की जो जनता है, बीस वर्ष के प्रजातंत्र की जनता है, आज उसके चुने हुए नुमाइन्दे एसेम्बली में या पार्लियामेंन्ट में स्वतंत्र विचारधारा से नहीं आते हैं। उनको जनता जब चाहती है खिलौने की तरह खिला सकती है और उसके लिए एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है कि वह ऐसा करने के लिए विवश हो जाय। वही परिस्थिति आज निर्मित की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 12 वर्ष से जो चुनाव नहीं कराया--यह रास्ता ढूंढ़ते रहे दो वर्ष तक कि कौन सा तरीका हो जिससे हमारा प्रधान आ सके, जिलापरिषद और ब्लाक में हमारे आदमी आ सके। इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि अध्यापक पर जुर्माना होगा। अध्यापक डर गया। बी0 डी0 ओ0 का संकेत पा गया और उसके आधार पर चुनाव हुए। हमने चुनाव में जाकर देखा कि वहां जो अध्यापक मौजूद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे, जिनकी ड्यूटी थी, अगर कोई अनपढ़ औरत पहुंची, मुहर उसके हाथ में दी गयी, वह ठप्पा लगाना चाहती है कुर्सी पर, उसने अधिकारी से कहा कि आप कुर्सी पर से अपनी कुहनी हटा लीजिए इसी पर मुझे मुहर लगानी है, तो उन्होंने कहा कि यह कुर्सी नहीं है ।

वह कुर्सी अन्दर है, पर्दे में है। चलो मैं तुमको मोहर दूं। मोहर में स्याही लगाकर अधिकारी ने ले जाकर बैलेट पेपर पर उसका अंगूठा लगवा दिया। यह तो हाल है। कहा जाता है कि यह मासूम है, बच्चा संशोधन है। मान्यवर, इस मासूमियत की बात में कहां तक करूं। आज प्रजातंत्र हमारे देश से उठ गया है। मान्यवर, आज जिस दल की हुकूमत है समाजवाद का नारा उन्हीं लोगों ने लगाया है। उनके संगठन का सही इन्तखाब नहीं हो सका है। हिन्दुस्तान कांग्रेस के सदर प्रेसीडेंट का नामिनेशन होता है, प्रदेश कांग्रेस के सदर का नामिनेशन होता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा ही तो रूस में भी होता है ।

श्री राम विलास पांडेय--

मान्यवर, हमको तो काफी देखने का मौका मिला है । सन् 40 में जब कि मैं जेल में था करीब 25 वर्ष पहले मैंने देखा था। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जब चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के थे उनको भी मैंने देखा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय भी मैंने देखा था कि सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्री इकट्ठे होकर प्रधान मंत्री का इन्तखाव किया करते थे। आज तो हालत बदल हो गई है। आज प्रधान मंत्री स्टेटस के मुख्य मंत्रियों का नामिनेशन करती हैं। पिछले हफ्ते पूर्व के 0 सी 0 पन्त साहब बैठे अपनी कुर्सी निहार रहे थे क्योंकि हो सकता है कि वे इसके लिये नामिनट कर दियें जायें। यह कहा जाता है कि यहां प्रजातंत्र है और हम गांधी जी के आदर्शों का अनुकरण करने वाले हैं। आप इस मासूम संशोधन को लाये हैं जिसको देखकर बड़ा दुख होता है, आप प्रजातंत्र की प्रक्रिया में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी कहा गया पंचायती अदालत के जो चुनाव होनेवाले थे वे दोनों ही साथ-साथ होनेवाले थे लेकिन उसको उन्होंने अलग कर दिया। आदेश भेजते हैं कि प्रदेश भर में वे चुनाव स्थगित कर दिये जायं इसलिये कि पार्लियामेंट के मेम्बर जब तक वहां न बैठ जायें। चयन समिति में पार्लियामेंट के मेम्बर बैठकर इसको करेंगे। शासक दल में उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के मेम्बर बहुत अधिक संख्या में हैं जिन पर उनको बड़ा नाज है और वे प्रजातंत्र की अहमियत को बढ़ाने वाले हैं।

मान्यवर, इस पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बैठकर फैसला करें। एक पोलिटिकल प्रेशर पर अदालती पंचायतों का चुनाव करवाया जाय ? पार्लियामेंट के मेम्बरों को वहां पर बिठाने की क्या जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हमको बैठाया जाय या किसी एम 0एल 0सी 0 को वहां पर बैठाया जाय। गावों में अगर वास्तव में आप सही इन्साफ करवाना चाहते हैं तो वहां पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को बैठा दें और वह गांव सभा से आनेवाले नामों का चयन करे। इसलिये तो जरूरत है प्रवर समिति में जाने की। यह कह देना कि यह मासूम संशोधन है, हम प्रजातंत्र के हिमायती हैं, तो मैं आपकी हिमायत को देख रहा हूं। आपका इन्तखाव नहीं हो सका है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, कोई हैसियत आपकी वहां पर नहीं है। इसलिये बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप साल भर इस कुर्सी पर रह गये तो प्रजातंत्र की कोई स्वस्थ्य परम्परा आप दे कर नहीं जायेंगे। आज चाह्वाण, जगजीवनराम और स्वर्णसिंह की पूछ नहीं है। आज पूछ है हक्सर, कौल और धर की अगर आपको ऐसा ही इतिहास इस देश में बनाना है तो मुझे तरस आता है आपके ऊपर। यह राजाजी बैठे है, ला मिनिस्टर साहब' उनके दिल में है सीलिंग न हो लेकिन हिम्मत नहीं है .....

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

सीलिंग की बात जो आपने कही यह समय की पुकार है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, यह तो हो कर ही रहेगी ।

श्री रामबिलास पांडेय--

लाबी में कुछ और बातें होती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। भावनाओं में देश को बहा कर, समाजवाद और पंचायत राज की स्वस्थ्य बात कर के देश के लोगों को केवल मुगालते में डालना है। आप सही माने में पंचायत राज का निर्माण नहीं करना चाहते। पिछली सरकार ने कुछ ब्लाक्स् तोड़ दिये थे। उसने यह महसूस किया था कि इतने छोटे-छोटे ब्लाक्स् नहीं होने चाहिये। गरीब मुल्क का गरीब बजट है, उसके लिहाज से इस देश का निर्माण करना है। पिछली सरकार ने कुछ ब्लाक्स् को तोड़ कर के मिला दिया था ताकि पैसा बच सके, लेकिन इस सरकार ने शायद कोई डेसीजन लिया है कि वह ब्लाक्स् फिर पुनर्जीवित किये जायेंगे। हम से जो नाराज हो कर गये हैं सब पार्लियामेंन्ट और असेम्बली के मेम्बर तो नहीं हो पायेंगे, बहुत तो मिनिस्टर नहीं हो पायें, उनको ब्लाक प्रमुख बना कर एक टुकड़ा देना चाहते हैं। इससे देश और समाज बनने वाला नहीं है। अपने लम्बे गिरोह को गांव समाज से ले कर दिल्ली की पार्लियामेंट तक टुकड़ा टुकड़ा बांट कर आप इस देश की जनता को कब तक गुमराह करना चाहते है। इसलिये इसे प्रवर समिति में भेज दीजिये। और यह संशोधन ही क्यों, मेरा तो यह सुझाव है कि पूरा पंचायतराज ऐक्ट प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री राजमंगल पांडेय--

टुकड़ा फेंकने वाली बात कही। तो जिस वक्त ये ब्लाक्स् तोड़े गये हाई कोर्ट में इस बात की रिट पड़ी कि वे ब्लाक्स् जिनमें कमलापति त्रिपाठी जी के ग्रुप के प्रमुख हैं वे तोड़े गये। माननीय सदस्य को यह मालूम है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह तो विषय बड़ा वैसा छेड़ दिया। 131 अपीलें थीं वे सब खारिज हो गयीं। और आपने जो कमलापति ग्रुप या किसी ग्रुप की बात कही, तो यह सब आप मुझसे बाहर मिल लीजियेगा तो बता दूंगा। कोर्ट ने इसको बिल्कुल अलफाउन्डेड डिक्लेयर किया है। और आज के मुख्य मंत्री उस समय कैबिनेट में थे। आप राजमंगलजी नहीं थे।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट की धारा 12 बी0बी0 में जो मंत्रीजी संशोधन ला रहे हैं उसको विपक्ष ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कहीं है। उसका समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान और मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो धारा 12 बी0 बी0 में आप संशोधन करने जा रहे हैं इसे तो हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। आप इसे देख तो लें। यह केस है मगौली वर्सेस बलबन्तसिह ए0एजे0 पृ0 634 पर। एक दूसरा कैस है शुक्रदेव वर्सेज निदेशक वाला इसको भी आप देख लें। मान्यवर, शायद मंत्री जी का ध्यान इस तरफ न गया हो जब डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो उसमें यह कहा था तीन बार हाई कोर्ट से एक धारा के बारें में फैसला हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन बार इसको अवैध घोषित कर दिया है। इसलिये आप इस धारा 12--बी0बी0 को देख तो लें। जब यह लोकप्रिय सरकार नहीं थी उस समय गवर्नर महोदय ने यह किया था। उसकी पूरी धारा को ही बदल कर उन्होंने एक दूसरी धारा बना दी थी कि जिलाधीश व अधिकारियों को जो पावर्स दे रखी थी उस सब को देखते हुए उसे खत्म कर दिया गया था और उसको फिर आप देने जा रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया तो उसमें आप संशोधन कैसे ला सकते हैं। . .

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात श्रीमन्, यह ठीक कह रहे हैं। 3--4 दिन पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव कमेटी के चैयरमैन ने भी इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया था।

श्री जगन्नाथ राव—

मान्यवर, 12 वर्षों के बाद तो चुनाव हुये और जितनी अनियमिततायें हो सकती थीं उससे अधिक हुई। अगर आपको यह संशोधन लाना था तो एक बार उस कमेटी में विचार के लिये आपको इसे भेजना चाहिये था जो आपने बना रखी है। वहां उस पर विचार होता तब आप लाते। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में आप भेज दें जहां इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके और एक अच्छा सा विधेयक यहां पेश हो सके। इस ओर अभी तक न तो आपके विशेषज्ञों ने कोई ध्यान दिया और न आपने ही और आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। बहुमत के आधार पर आप इसे पास करा सकते हैं, लेकिन जब यह डेलीगेट लेजिस्लेशन कमेटी में जायेगा और वहां आपके विशेषेज्ञों को बुलाया जायेगा तो वे कमेटी के सामने यही कहेंगे कि हमारा ध्यान तो अब इस ओर गया है। इसलिये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि आप यह गलती न करें। इसे कमेटी में जाने दें। जो डेलीगेटेड कमेटी सदन ने कायम की है उसकी तहद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बीसियों संशोधन सन् 62 से लेकर 72 तक सरकार ने किये, लेकिन हर बार वे अधूरे और कमजोर बिल लाते रहे हैं। इस चुनाव में ऐसी स्थिति कायम हुई है।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र जौनपुर विकास खंड रामनगर के राजापुर गांव का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर जो प्रीसाइडिंग अफसर गये, उन्होंने पुराने प्रधान के यहां खाना खाया और वहीं रहे भी। वह उनके प्रभाव में आ गये और फलस्वरूप जब लोग वहां सबेरे वोट देने आए तो उन्होंने वहां पर एजेन्ट को खड़े होने दिया और मनमाने तरीके से 12 बजे तक वोट डलवाए। जो उम्मीदवार था, उसको भी नहीं खड़े होने दिया। इस पर जब मैंने जिलाधीश से कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पिटीशन में जाइये। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अधिकार है, आप चुने हुए प्रधान को हटा सकते हैं, यहां तक अधिकार है। तो उन्होंने यह बताया कि हाईकोर्ट ने इसको पूरे का पूरा इन्वेलिड कर दिया है। यह लागू ही नहीं है। 134 का हवाला देते हुए उन्होंने यह बताया कि 12-बी बी को हटाकर उसकी जगह पैरा 134 अब सब्स्टीच्यूट कर दिया गया है। बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। पोलिंग अफसर को जिन लोगों ने हजारों रूपये देने की बात कही और यहां तक कि खुलेआम खुद उन्होंने कहा कि जो इतने हजार रुपया दे देंगे, उन्हें हम प्रधान बना देंगे। इसके लिए कार गुजारी यह की गई कि रात ही में उन्होंने लोगों को बैलेट पेपर्स दे दिये थे। सबेरे वोटिंग के समय एक-एक आदमी 12–12 और 15–15 बैलेट पेपर्स लेकर आता था और छोड़ जाता था।

ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरीज को आपने असीम पावर देदी है। उसने भी अपने अधिकारों का घोर दुरूपयोग किया है। उसने प्रधान बनाने की जिम्मेदारी ले ली। उसने जिसका चाहा पर्चा खारिज करा दिया, जिसको चाहा हरा दिया और जिसको चाहा जिता दिया। उसके हाथ में इतने अधिकार थे कि वह सब करने में सक्षम था, जनता चाहे जिसे वोट दिया करे। पर्चा खारिज करने के लिए उसने तरह-तरह के बहाने किये। पर्चे दाखिल करने के दिन उसने कह दिया कि आपके ऊपर टैक्स बाकी है। जिसके ऊपर 5 रु० का लगान है, उसके ऊपर यह बताया कि तुम्हारे ऊपर पंचायतीराज का 150 रुपया बाकी है। स्पष्ट है कि वह नहीं ला सकता था, तो उसका पर्चा खारिज कर दिया। जिनके बारे में बी 0 डी 0 ओ 0 ने सोचा कि इन्हें प्रधान बनाना है तो उसके विरोधी के नाम दिखा दिया कि उसके पास नाम किसी न्याय पंचायत में 25 रुपये जुर्माना हुए थे। इस तरह से उनका पर्चा खारिज कर दिया। इन गड़बड़ियों को कैसे रोका जाएगा। रियासत हुसैन साहब ने गड़बड़ी बताई, हमारे माननीय सदस्यों ने भी गड़ बड़ियां बताई, उनकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित है कि किस तरह से गुण्डागर्दी पुलिस की उप-स्थित में हुई है। मैं चाहता हूं कि आप एक संशोधन विधेयक ला रहे हैं तो ऐसा लाएं जिससे सारी असंगतियों को दूर किया जा सके। आज हजारों हजारों पिटीसंस पड़ी हुई है। जिनकी सुनवाई के लिये एस 0 ओ 0 सी 0 वहां का परगनाधीश है। उसके यहां अपील होगी। वह गांव के मुकदमें निबटाएं या पिटीसंस निबटाए। उसके ऊपर काम का बहुत बोझ बढ़ गया है। वह चकबन्दी के मुकदमें देख रहा है, उसके जिम्मे एलेक्शन पिटीसंस है, वे छोटी छोटी बातों के लिये

[श्री जगन्नाथ राव--]

आ गई। इन सब बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। इनको दूर करने के लिये आप कोई संशोधन नहीं लाए।

अभी क्षेत्र समितियों का गठन नहीं हुआ है और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव नहीं हुए है। फिर भी पुराने ब्लाक प्रमुख बैठकें बुला रहे हैं और अनुदान स्वीकृत करा रहे हैं। वे प्रधानों को ओव्लाईज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया कि न्याय पंचायत में जो सदस्य चले जायेंगे दो या तीन गांव सभाओं के, उनके स्थान पर दो या तीन सदस्य चुनने चाहिये था। 72 हजार गांव सभाओं के चुनाव में झगड़े हुए, गोलियां चली, लाठियां चलीं, कत्ल हुए, लाखों रुपया प्रदेशीय जनता का खर्च हुआ। आपके दिमाग में अब भी आ जाता कि यह संकट कैसे दूर हो सकता है, उसके लिए कोई तरीका निकालना चाहिये, उसके साथ-साथ पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करवा लेते। न्याय पंचायतों में जो सदस्य चले जांय उनके स्थान की पूर्ति के लिये फिर चुनाव करवाइये। फिर लात चलवाइये। खेत में खड़े गन्ने की फसल काटी जा रही है। रास्तों में कांटे लगाये जा रहे हैं। जिन प्रधानों को गरीबों ने वोट नहीं, दिया उनके रास्ते बन्द किये जा रहे हैं। जो गांव समाज की भूमि है वहां प्रधान और उनको जिताने वाले ने मिलकर सब कब्जा कर लिया। एक भी चकरोड गांव में जाने के लिए नहीं रही। जिन लोगों ने प्रधान को मतदान में सहयोग नहीं किया उन गरीब लोगों का गांव में जाना मुश्किल है।

तहसीलदार से कहिए तो वह कहता है कि धारा 52 क प्रकाशन नहीं हुआ। सी0 ओ0 से कहते हैं तो वह कहता है कि पहले मैं एलेक्शन पेटीशन और मुकदमें देख लूं, फिर मौका देखने के लिये जाऊंगा। चक रोडों को प्रधान ने जुतवा लिया और जिसने उसको वोट नहीं दिया, उस गरीब के बैल नहीं जाने पाये। खेत परती है। इन सारी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। इस विधेयक को आप फौरन वापस ले लें और इसको प्रवर समिति को दे दें, और उसको परिधि बढ़ाने का भी अवसर दें। एक महीने में कोई आसमान नहीं फट जायगा। विधि परामर्शी से भी राय ले लें कि 12-बीबी की क्या हालत है। एक दो महीने के लिये प्रवर समिति में भेज देते, उसके द्वारा एक निर्णय आ जाता, समिति के सदस्यों के सुझाव आते, माननीय सदस्यों के सुझाव नोट कर लेते, और सम्पूर्ण रूप से विधेयक सदन में पेश करते। आप वायड कानून में को संशोधन करवा कर सारे प्रदेश की जनता के सामने, इस विधान सभा की हैसियत को गिरा रहे हैं, क्योंकि आपके विधि परामर्शी ने आपको गलत राय दी। आप फिर से राय ले लीजिये और इसको प्रवरसमिति को सुपुर्द कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने का प्रबल समर्थन करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे माननीय मंत्री जी को समझायें कि प्रवर समिति के सुपुर्द करवा कर फिर से संशोधित विधेयक लायें।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने संशोधन रखा आमतौर से उसका समर्थन हुआ जो लोग सरकारी पक्ष की ओर से बोले। मैंने तीन बातें रखी थीं। पहली बात यह कि धारा 12–बीबी जिसमें माडिफिकेशन का अधिकार था एस० डी० एम० को उसको हटा दिया गया। प्रतिनिहित विधायन समिति ने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जिस रुलिंग का हवाला दिया है जगन्नाथ राव जी ने वह केवल इस प्वाइंट पर है, भगौले वर्सेज बलवन्त नें सुखदेव की रूलिंग को ओवररूल कर दिया है, वह इस प्वाइंट पर है कि निर्वाचन अधीक्षक का काम काउंटिंग के दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन से समस्या का समाधान हो सकता है। यह डायरेक्टरी कांफ्लिक्ट मैं नहीं आता। मैं नहीं जानता अगर किसी हाई कोर्ट ने दूसरा जजमेंट दिया हो, उसका आदर मैं करूंगा। यह जो प्रणाली है जो पहले थी जिसमें माडिफिकेशन का अधिकार था एस 0 डी 0 एम 0 को है। उसको बनाये रखने में यह लाभ होगा जो ये असंख्य पिटीशंस है वे समाप्त हो जायेंगी और नीचे के लेविल पर गलतियां दु रूस्त हो जायेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे मैंने यह कहा कि जिन स्कूलों को ऐड दी जाती है, उनके अध्यापकों से जबरदस्ती करना चाहते हैं कि उनसे इलेक्शन का काम लिया जायगा। वे सरकारी नौकर नहीं हैं,इसलिये उन पर जबरदस्ती न की जाय । आनरेरियम उनका तय कर दिया जाय जिससे स्वेच्छा से ले आ सके। 500 रुपये का जो दंड रखा गया है उसको विदड्रा कर लिया जाय और जो कर्मचारी काम पर नहीं आता है उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाय। सभी माननीय सदस्यों ने इन सुझावों का स्वागत किया है और यह अपील की है कि किसी पर दबाव न डाला जाय जिससे प्रजातंत्र का हनन हो। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी को थोड़ी बहुत निष्ठा प्रजातंत्र में है और आत्मा की आवाज न सुनाई देकर जनता की आवाज उनको सुनाई देती है तो उसे जनता में परिचालित कर दिया जाय और अगर अपनी आत्मा की आवाज उनकी सुनाई देती है तो बहुमत उनके साथ है वह जो चाहें कर सकते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को पन्ना लाल जी को छोड़ कर सभी ने समर्थन किया है और पन्ना लाल जी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसका मैं उच्चारण नहीं कर सकता और उसकी तहत में देखा जाय तो पन्ना लाल जी ने कोई गलती नहीं की है अगर उन्होंने समर्थन नहीं किया है तो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो भाव व्यक्त किये हैं उन सभी में यह बतलाया गया है कि 47 से अब तक इसमें इतनी खामियां पैदा हो गयी है कि व्यवहारिक दृष्टि से उनका दूर होना अति आवश्यक है। पन्नालाल जी ने कहा कि 500 रुपये की जुर्माने की बात बड़ी मासूम है, ऐसी बात नहीं है। मैंने संशोधन में परिधि बढ़ाने की बात इसीलिये रखी है कि इस बिल में इतनी खामिया है कि उनको दूर करना चाहिये। रियासत हुसैन साहब ने पर्चे खारिज होने के सम्बन्ध में बतलाया कि कैसी कैसी योजनायें बनाई जाती है। यह बात भी सही है कि योजना एक दिन में नहीं बनती, बहुत दिनों में बनी। यहां तक हुआ कि कुछ मदस्यों को प्रधान बनाना चाहिए था उन पर दूसरी गांव सभाओं में जुर्माने कराये गये और वे मारेल टरपिटयूड में आ गये। अब इन सारी समस्याओं का निदान भी एक ही रह गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वहां पर सब बातों पर विचार हो जायगा और विचार होने क बाद पंचायतीराज ऐक्ट, 47 में थोड़ी तरमीम होगी, समाज के लिये वह लाभ-दायक होगा क्योंकि यह ऐक्ट समाज के लिये है न कि समाज ऐक्ट के लिये है। लिहाजा इसमें तरमीम होना जरूरी है जैसे कानपुर ब्लाक के बी 0 डी 0 ओ 0 ने तमाम गलतियां और साजिशें की हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको सस्पेंड करेंगे ताकि अन्य बी 0 डी 0 ओज 0 को भी नसीहत हो जाय और आगे वह ऐसा काम नहीं करेंगे। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने के उपरान्त इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, श्री नित्यानन्द स्वामी जी ने और श्री हिम्मत सिंह जी ने जो प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। मैं आदरणीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। किन्तु मैं उनसे एक अनुरोध यह करना चाहता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत है, उसकी परिधि सीमित है। जो भाषण यहां पर दिये गये हैं उनमें पूरे पंचायत राज ऐक्ट के ऊपर विचार प्रकट किये गये। यह मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पंचायत के चुनावों में जो लोग चुनाव का कर्तव्य पालन करने से इन्कार करें, उनको बाध्य करने के लिये हमारे पास 1947 के पंचायत राज ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं है। इसलिये हम उनको बाध्य कर सकें, यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। चूंकि सरकार ग्रान्ट-इन-एड देती है, स्कूलों को विद्यालयों को, संस्थाओं को और जिला परिषद् के स्कूलों को, इसलिये हम उनसे पंचायत के चुनाव के कर्तव्य पालन में काम ले सकें। इसके लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

[श्री बलदेव सिंह आर्य---]

हमारे मित्र माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने कुछ बातें चुनाव में हुई अनियमितताओं के बारे में कहीं हैं। मान्यवर, हमारा प्रदेश इतना बड़ा है और उसमें पंचायतों के चुनाव हुये हैं। आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग लिया है। कहीं पर शत-प्रतिशत, कहीं पर 99 प्रतिशत और कहीं-कहीं पर 95 प्रतिशत तक वोट पड़े। तो इतने बड़े प्रदेश में हो सकता है कि उसमें कुछ अनियमिततायें हुई हों। इसके विरुद्ध जो व्यक्ति प्रभावित हुआ हो उसे इलेक्शन पिटीशन दायर करने का अधिकार भी दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस बार हमने चुनाव निर्वाचन निदेशक द्वारा कराये हैं। पहले पंचायत राज निदेशक अपनी एजेन्सी के द्वारा इन चुनावों को कराते थे किन्तु इस बार इस बात पर विचार किया गया और निश्चय किया गया कि एक निष्पक्ष एजेन्सी के द्वारा चुनाव कराये जायं ताकि किसी को यह कहने का मौका न हो कि पंचायत राज मंत्री या सरकार ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया है। निर्वाचन निदेशक जो हैं वे चुनाव आयोग के मातहत काम करते हैं इसलिये उनके द्वारा चुनाव कराये गये।

दूसरी बात यह है कि हमने लोक सभा और विधान सभा की मतदाता सूची से ये चुनाव इस बार कराये हैं। इस समय न तो ग्राम सभा के प्रधान को यह अधिकार दिया गया कि वह भाग 2 रजिस्टर में नामों को बढ़ाये और उसके फलस्वरूप अपने पक्ष में चुनाव कराये। तो जिन माननीय सदस्यों ने चुनाव में हुई अनियमितताओं के बारें में कहा है, मैं समझता हूँ कि उनका हमारे ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं-कहीं कुछ घटनाओं अवश्य घटी है। उनके प्रति हमें भी दुःख है और उनको नहीं होना चाहिये था। हम चाहते थे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो किन्तु आप जानते ही है कि इतने बड़े प्रदेश में गांवों में एक दूसरे के प्रति लोगों की पुरानी रंजिश रहती है जो कि चुनाव के समय में सामने आती है जिसके फलस्वरूप घटनायें घट चाती है। और लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती है। हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है।

यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। चुनाव में 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं था। अगर सब यह कहते कि हम उस काम को नहीं करते तो 12 साल के बाद तो चुनाव हुए हैं,वह कार्य सम्पन्न न हो पाता। इसलिये अध्यादेश के जरिये ऐसा प्राविधान करना पड़ा तो कि आंज विधेयक की शक्ल में सदन के सामने प्रस्तुत है। माननीय पांडेय जी आजमगढ़ से आये हैं उन्होंने सीधा-सीधा आरोप इस सम्बन्ध में लगाया है,मैं कह सकता हूं हमारे माननीय बलबीर सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनको मालूम है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में कितनी-कितनी अनियमिततायें हुई है। हरिजन वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोका गया। मैं कह सकता हूं कि यह चुनाव ज्यादा निष्पक्ष हुआ। उस चुनाव में लगभग 25 से 30 प्रतिशत हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग प्रधान के पद पर चुने गये। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है, यह समाजवाद और लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहीं नहीं मैं यह भी कहने का दावा कर सकता हू कि करीब-करीब 30 से 35 प्रतिशत नौजवान लोग सभापति बन कर आये हैं जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये ग्राम सभायें जो लोक तंत्र की प्रारम्भिक इकाई है,उनको मजबूत करने में अपना योगदान देंगे और वे विकास और निर्माण के काम जो हमारे देहातों में चल रहे हैं उन कामों में हमें उनका सहयोग प्राप्त होगा। इसलिये यह चुनाव बड़ी शान्ति से और सफलता के साथ सम्पन्न हुआ है।

कुछ सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया गया। सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली लिखी होती है, उनमें जुर्माना करने का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन जो गैरसरकारी लोग है और स्थानीय सस्थाओं में काम करते है, ऐसी इंस्टीट्यूशन्स में काम करते हैं जिन्हें सरकार

मदद करती है और ग्रांट एन ऐड देती है उन स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह प्राविधानलागू होता है। मान्यवर, जो चन्द बात माननीय सदस्योंने प्रस्तुत की थीं वैसे तो सारे विधेयक पर बोलने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता है, लेकिन इस आदरणीय सदन से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जो दो संशोधन प्रवर समिति के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उनको नामंजूर करे और मैंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करें। मैं पुनः स्वामी जो से और जिन साथियों ने सुझाव दिये है, एक बात कह कर बैठ जाता हूं कि हमने एक पंचायत समिति का गठन किया है। जो कुछ सुझाव आपको देने हों, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस पंचायत समिनि के समक्ष अपना सुझाव प्रस्तुत करें। एक कम्प्रीहेंसिव बिल यह सरकार लाना चाहती है। जो कमियां इस अधिनियम में आप पातें हैं, उन कमियों को दूर करने कें लिये ही हमने एक समिति का गठन किया है। वह समिति उन सभी कमियों पर विचार करेगी और वह सरकार जो अपनी संस्तुति देगी। फिर सरकार कम्प्रीहेंसिब बिल सदन के सामने लावेगी, उस समय आपको मौका होगा कि उस पर विस्तार से विचार करें और अपनी राय दें। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार करें।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया, इसलिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एलेक्शन में कितना रुपया खर्च हुआ और दोबारा जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं उसमें कितना खर्च होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ होगा और आगे के लिये अभी से कुछ कहना जरा मुश्किल है कि कितना खर्च होगा। लेकिन जो खर्च हुआ है वह मैं इस आदरणीय सदन को बतला देना चाहता हूं।

श्री बलबीर सिंह--

कहने में क्या मुश्किल है ? फिर तो उतना ही चुनाव कराना चाहते हैं जितना कराया था ? 72 हजार ग्राम सभाओं का फिर उतना ही चुनाव कराना होगा। अगर उसी तरह से कराना होगा तो या माननीय मंत्री जी का ऐसा विचार है कि 1 करोड़ के खर्च में कुछ कमी हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उतना बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ ग्राम सभाओं में प्रधान छांट कर भेंजेंगे, उन नामों की जगह खाली होगी। तो उपचुनाव तो होते रहते हैं, समय-समय पर बराबर कमी कोई जगह खाली हुई तो चुनाव तो होगा ही।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने के लिये तीन माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1972 प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दें और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू0पी0ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 12-बी बी का संशोधन ।

2-- यू0पी0 पंचायत राज्य ऐक्ट, 1947 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 बी0 बी0 में शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों" के स्थान पर शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप-प्रधानों" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस विधेयक के पास होने तक सदन का समय बढाये देता हूं ।

खंड 3, 4,खण्ड, 1--प्रस्तावना एवं शीर्षक

यू0पी0 ऐक्ट संख्या 26,1947 में नयी धारा 12-बी0सी0 और 12-बी0 डी0 का बढाया जाना ।

3--धारा 12 बी0बी0 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जाय, अर्थात:-

12 बी0बी0सी0 निर्वाचन कराने से संबंधित अन्य उपबन्ध

"(1) निर्वाचन निदेशक (पंचायत) के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप प्रधानों के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मैजस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो ।

(3) इसी प्रकार निर्वाचन निदेशक (पंचायत) राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे ।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

(1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने प्रपदीय कर्त्तव्य भंग करने में युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो उसे अर्थ-दंड दिया जा सकेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है । 12 बी डी निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के संबंध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी ।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने, या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय, और इस धारा के प्रोजनार्थ, पद "पदीय कर्त्तव्य' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्त्तव्यरोपण से अन्यथा आरोपित कर्त्तव्य नहीं है ।"

4—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972

यू0पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 12 बी0 डी0 की उपधारा के अंतिम वाक्य में "जो" के बाद शब्द "पांच सौ रुपये तक हो सकता है" हटा कर 'शब्द' कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये हो सकता है" रख दिये जायं" ।

जो मूल अधिनियम है उसमें यह है कि अर्थदंड 500 रुपये तक हो सकता है जो आदमी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेगा उसको अधिक से अधिक दंड दिया जाय । लेकिन यह हो सकता है कि न्यायालय एक रुपया या दो रुपया ही अर्थ दंड दें । इसलिये मैंने यह रखा है कि कम से 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये अर्थदंड दिया जाय ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इतना बड़ा चुनाव है इसकी गम्भीरता को देखते हुए 100 रुपये करना ठीक नहीं होगा कोई मजिस्ट्रेट 25 रुपये कर सकता है, कोई 50 रुपये भी कर सकता है। प्यूपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट की जो धारा 134 है उसमें भी 500 रुपये ही रखा गया है। इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 12 बी0डी0की उपधारा के अंतिम वाक्य में "जो" के बाद शब्द "पांच सौ रुपये तक हो सकता है" हटा कर शब्द "कम से कम 100रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये हो सकता है" रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड 3 के द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 12 बी0 डी0 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) जोड़ दी जाय

(5) "उपधारा (4) में उल्लिखित कोई व्यक्ति यदि अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा करे और वैध नाम निर्देशन पत्र को लेने से इंकार कर दे या अवैध नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार ले और ऐसे मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दे दे जो मतदान करने के लिये सक्षम नहीं है तो उन्हें ऐसा दंड दिया जा सकेगा जो 500 रुपये तक हो सकता है।"

मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें क्योंकि चुनाव में ड्यूटी से इंकार करने के लिये 500 रुपये के आर्थिक दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। और उनके कर्मकारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं, स्वेच्छाचारिता करते हैं और मनमानी करते है। जैसा कि पिछले चुनाव में अनुभव में आया है कि अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों को फेंक दिया गया और जिस को चाहा दो दो तीन तीन दिन के बाद पर्चा लेकर उम्मीदवार बना दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा संशोधन किया जाय और अधिकारियों की ऐसी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जाय और इस निरंकुशताको रोका जाय। मैं जानता हूं कि आप आसानी से कह देंगे कि इसके लिये कोई भी चुनाव पेटीशन में जा सकता है लेकिन सारी परेशानी को बचाने के लिये आप नियमों में ही ऐसा प्राविधान करा दें ताकि सभी अधिकारी उसका पालन करें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों में होने वाली अनियमितता के संबंध में माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है और कहा है कि अधिकारियों को दंड दिया जाय। इस तरह की अनियमितताओं के मामले सब ऐलेक्शन पेटीशन तय करता है और अगर ऐसी अनियमितता कहीं होगी तो आदरणीय जज उसका निर्णय देंगे। इसलिये मैं इस को स्वीकार नहीं कर सकता, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 12बी0 डी0 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्न लिखित नई उपधारा (5) जोड़ दी जाय:

(5) "उपधारा (4) में उल्लिखित कोई व्यक्ति यदि अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा करे और वैध नाम निर्देशन-पत्र को लेने से इंकार कर दे या अवैध नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकार कर ले और ऐसे मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दे दे जो मतदान करने के लिये सक्षम नहीं है तो उन्होंने ऐसा दंड दिया जा सकेगा जो 500 रुपये तक हो सकता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3,खंड 4, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कतिपय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम कीसूचना

श्री उपाध्यक्ष—

यह एक सूचना इस सचिवालय कीहै कि इस सचिवालय के पत्र संख्या 5640,166 (सं0)–72 दिनांक 10 जुलाई, 1972 के क्रम में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये "लोक लेखा समिति " के लिये 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति" के लिये 25 सदस्य, 25"स्थायी समितियों " में प्रत्येक में 16-16 सदस्यों और और उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय समिति के लिये 4 व्यक्तियों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नामांकन-पत्र ठीक पाये गये हैं ।

इन समस्त समितियों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं । नामों की वापसी के लिये 28 जुलाई, 1972 के अपरान्ह 2 बजे तक का समय नियतहै अतः यदि उक्त समय के भीतर उल्लिखित समस्त समितियों में से अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्न प्रकार से होगा:—

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समितितथा उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय समिति के लिये 31 जुलाई, 1972 का और

(ख) 25 स्थायी समितियों के लिये 1 अगस्त, 1972 को प्रत्येक दिन 12 बजे दिन से अपरान्ह 5 बजे तक तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ, में होगा ।

प्राप्त नामांकनों (उम्मीदवारों) कीसूची विधान सभा के नोटिस आफिस में देखी जा सकती है।"

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जो सब अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक मैंने और माननीय हरिनाथ तिवारी जी ने दी है । उसका संबंध आपसे अर्थात् माननीय अध्यक्ष महोदय से है। वह सदन के परिसर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसलिये तो स्वीकार नहीं हुयी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, कल कुछ व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते थे, उनको ऐसा आदेश नहीं था कि डंडे से पीटा जाय । माननीय अध्यक्ष जी के भी ऐसे आदेश नहीं थे कि उनको पीटा जाय या उन्हें जूते की ठोकर लगायी जाय । उनकी नाक से खून भी गिरन लगा था । बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के लाठी से पीटना या बल प्रयोग नहींकिया जा सकता है । इसीलिये मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन के परिसर की घटना है । माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का विषय है । इसलिये यह नियम 51 का विषय नहीं हो सकता है । हां, अध्यक्ष से इस बात पर आप कह सकते हैं कि वे अपनी व्यवस्था करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा । इसकी सूचना मैं अभी दिये देता हूं । हमारे अध्यक्ष की आज्ञा के बिना ऐसा कैसे किया गया?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, परिसर की बात तो आपने कह दी लेकिन जो मौलिक बात है वह यह है कि वे तो मुख्य मंत्री से बात करना चाहते थे तो पुलिस के सिपाहियों.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं । अभी तो प्रश्न यह है कि क्या यह घटना माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिसर से सम्बद्ध है । हम उतना मानकर चलते हैं बाद में देखा जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसलिये जिलाधीश और एस0 पी0 आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन चूंकि यह अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की बात है तो विशेषाधिकार के संबंध में वे स्वयं निर्णय कर लेंगे।

मुझे कई नोटिस मिले हैं और कई प्रश्न भी आये हैं । ज्यादातर सदस्य भी कहते हैं कि अकाल की स्थिति है । मैं सोचता हूं कि यह जो दुष्काल की स्थिति है, इस पर एक दिन का आपको अवसर दे दूं कि इस पर चर्चा हो जाय, लेकिन आज नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, सचमुच यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है । अखबारों में भी निकल चुका है । जिले के कलेक्टरों और कमिश्नरों से मालूम होता है कि सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं आयी है और उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है तो सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिये । क्या उनको अधिकारिक सूत्रों से इस सूखे की स्थिति के बारे में अनेक जिलों के संबंध में सूचना नहीं मिली है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न तो अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का है, लेकिन जहां तक दुष्काल का प्रश्न है, उसके बारे में सोच रहा हूं कि इसके बारे में किसी दिन चर्चा का मौका दूंगा ।

श्री त्रिलोकचन्द (जिला लन्दशहर)---

मान्यवर मेरे पास एक पर्चा है जिसमें जयतपुर टिकरी, जिला फैजाबाद, में हरिजनों के साथ अन्याय हुआ बताया गया है और हमारे एक विधायक भी बाहर उनके साथ हैं। उन्होंने जो पर्चा छपवाया है वह यह है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह विधायक के बारे में पर्चे पर आधारित है। मैं इस आधार को पर्याप्त नहीं समझता हूं।

श्री त्रिलोकचन्द---

इन्होंने तो रिपोर्ट भी की है इनके खिलाफ ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजिये । पर्चे की सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि जैस कि कहा गया कि विधायक का हाथ है यह सब विरोधी पार्टी के लोगों के इशारे पर छापा गया है। जिन्होंने छपवाया है मैं उनके खिलाफ बिशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखता हूं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि जिलाधिकारी गोरखपुर के कोर्ट से 200 फाइलें चोरी चली गई और डिप्टी डायरेक्टर (कान्सोलिडेशन) के कार्यालय से 140 फाइलें चोरी चली गईं और गोरखपुर शहर से सौ फाईलें चली गईं। प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित जितनी फाईलें थीं ये रेवेन्यू विभाग से संबंधित थीं। यह मामला बहुत गम्भीर है और लोगों में यह भावना पैदा होती जा रही है कि यह कार्य बड़े सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है कुछ मामलों को रफा-दफा करने के लिये।

श्री उपयध्यक्ष---

यह सूचना कब प्राप्त हुई इसमें यह स्पष्ट नहीं है । यह सूचना समाचार पत्रों पर आधारित है । आप प्रश्न पूछकर पहले इसका निवारण करें ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

यह निश्चित खबर है । हमारे पास लोगों ने भी बताया है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दफ्तर की कार्यवाही से संबंधित है । हो सकता है कि आपकी जानकारी सही हो।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, यह चोरी का मामला है और कोर्ट से ।

श्री उपाध्यक्ष---

चोरी की जो कार्यवाही नियमतः होती है वह होगी न स्थानीय घटना है, समाचार पत्रों पर आधारित है । तथ्य सामने आ जाय तभी कार्य कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

हमने तो नहीं लिखा है कि यह समाचार पत्रों पर आधारित है। आपने कैसे जान लिया । आप मुख्य मंत्री के पास भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समाचार, समाचार पत्रों से ही जान जाते हैं ।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन् मैंने जो सूचना दी थी कि वहां ऐसी खराब हालत हो गई है बिजली के अभाव में कि खरीफ की फसल बिलकूल ही नष्ट हो गई है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । इस पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर भी यह लिख दिया है कि जैसे और जगहों से दुष्काल की स्थिति के बारे में समाचार आ रहे हैं वैसे बिजली के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों के सवाल आते हैं। तो यह कई जगहों की समस्या है । एक जगह की नहीं । अगर यह आ जायेगा कि इसमें भी चर्चा हो सकेगी तो हम चर्चा देंगे पर बाद में ।

श्री जगबीर सिंह—

श्रीमन्, कार्यवाही के लिये ही भेज दें और मंत्री जी से मालूम कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे कार्यवाही के लिये विद्युत मंत्री को भेजा देता हूं ।

डाक्टर मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल (मेडिकल कालेज), कानपुर में श्री नाथूराम की मृत्यु के विषय में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, यह एक बड़ी दुखद घटना है और हमारे प्रदेश में इस किस्म की दुर्घटना दिन प्रति-दिन बहुत बढ़ती जा रही है । श्रीमन्, जिस दिन मैंने यह प्रश्न विधान सभा में उठाया था उस दिन मैंने निवेदन किया था कि चाहे डाक्टर हों, वैद्य हों, उनका बरताव अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ फरिस्तों जैसा होना चाहिये । मान्यवर, जो व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है वह यह आशा लेकर पहुंचता है कि वहां के चिकित्सक, जो डाक्टर है या वैद्य है उसके रोग का उपचार करेंगे और जो तकलीफ है, बीमारी है उसको दूर करेंगे और उसको राहत मिलेगी । इस आशा के विपरीत यदि मरीज चिकित्सक के पास जाये और उसकी मृत्यु हो जाय, उसका उपचार न होवे, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है ।

मान्यवर, नाथूराम को मार दिया गया, मैं "मारने" शब्द का प्रयोग इसलिये कह रहा हूं कि जब इलाज नहीं होता, जो साधन उपलब्ध हैं अस्पतालों में, जैसे एक्सरे वगैरह आदि, और उस सुविधा को वह प्राप्त नहीं कर पाता तो और क्या कहा जा सकता है। मान्यवर, उनका व्यवहार राक्षसों से भी ज्यादा है, मनुष्यों जैसा नहीं है । जब नाथूराम अस्पताल में पहुंचा, तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसका नम्बर पांचवा था । लेकिन डाक्टर साहब ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको वहां से भगा दिया । उसकी उन्होंने कोई भी चिकित्सा नहीं की । फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । जब यह प्रश्न विधान सभा में आया तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जांच होने पर डाक्टर दोषी पाया गया । जब वह डाक्टर दोषी पाया गया और इसको स्वीकार किया गया तो पाये गये दोषी डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है यह नहीं मालूम हुआ । मैं स्वयं मत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब ऐसी घटना प्रदेश में हो जाती है या होती रहती है तो सारे डाक्टरों, चिकित्सकों, के वर्ग पर एक कलंक लग जाता है तो ऐसे डाक्टरों जिनकी लापरवाही की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाय और यह बात सिद्ध हो जाय और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, तो इस विषय पर मैं स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वास्थ्य राज्य मत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबंध में उस दिन काफी प्रश्नोत्तर यहां पर हुये थे और उसके संबंध में यहां पर मैंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि इसमें दो डाक्टरों की कुछ लापरवाही पायी गई । जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है कि यह मैंने स्वीकार किया था कि डाक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी बात नहीं है क्योंकि वह मरीज टुबरकुलुसिस (क्षय) का मरीज था और क्षय रोग के मरीज वर्षों चलते हैं । वह कोई हाट का मरीज तो नहीं था कि तुरन्त उपचार न मिलने से उसकी मृत्यु हो जाय । ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहना उनके साथ अन्याय होगा । मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि जैसा ही वह मरीज आया था उसको मेडिसिन विभाग में कुछ प्राथमिक उपचार देना चाहिये था और उसके बाद टी0बी0 हास्पीटल को रेफर करना चाहिये था। उन्होंने उसका प्राथमिक उपचार नहीं किया । मैंने उनका उत्तर मांगा । उसका जो उत्तर दिया गया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने सब मालूम कर लिया तो क्षय चिकित्सालय को रिफर कर दिया ।

इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि जब तक इसकी पूरी जांच न हो जाय, तब तक कोई उपचार किया जाय । क्षय चिकित्सालय में जाने के बाद, वहां डाक्टर ने देखा कि उसकी खून और बलगम की जांच हो । इसी दौरान में किसी कारण उसकी मृत्यु हो गयी । इसलिये यह कहना कि डाक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुयी है, उचित नहीं होगा । लेकिन फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि वहां पर उनको प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिये थी और इस केस में ज्यादा सतर्कता बर्तनी चाहिये थी । डाक्टरों का कहना यह है कि खून और बलगम की जांच के बाद उसको प्रविष्ट करके इलाज किया जाता है । लेकिन इस मरीज की परीक्षा के दौरान ही मृत्यु हो गयी । हो सकता है कि वह मरणासन्न स्थिति में लाया गया हो । इसमें यह देखेंगे कि अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा । वैसे भी जो रिपोर्ट डाइरेक्टर की आई है, वह 15-7-72 को हमारे पास आई है । उसमें सचिवालय स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं । उसके बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । अब मैं समझता हूं हमारे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन उसकी परीक्षा हुई और जिस दिन वह लाया गया था, उसके बीच में कितना अन्तर रहा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

23-4-72 को मेडीसन विभाग में आउट डोर में आया था । उन्होंने उसको चेस्ट हास्पिटल को रेफर किया लेकिन दूसरे दिन चेस्ट हास्पिटल में उसकी मृत्यु हो गयी ।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि मरीज एमरजेंसी की हालत में था?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह तो उसके घर वालों को मालूम होगा । अगर ऐसा था तुरन्त ले जाते ।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

इसका मतलब हुआ कि मरीज एमरजेंसी का नहीं था ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माम्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल स्पष्टीकरण कर लें । मंत्री जी ने सब कुछ साफ-साफ बता दिया है

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरारी लाल चेस्ट हास्पिटल में उन्हीं मरीजों की भर्ती और देखभाल की जाती है जो डाक्टर साहब के बंगले पर जाते हैं । और फीस देते हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

नहीं मान्यवर, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस दिन कितने मरीज रजिस्टर हुए थे और क्या इस मरीज का नम्बर चौथा था ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सम्भवत: इसका नम्बर पांचवां था।

श्री रामबिलास पांडेय—

हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया मान्यवर । मैंने पूछा उस दिन कितने मरीज रजिस्टर हुये थे । मान्यवर, उस दिन 40 मरीज रजिस्टर हुये थे और इसका नं0 पांचवा था । यह गम्भीर हालत में था, मान्यवर । लकिन इसकी प्राथमिक चिकित्सा तो हुयी ही नहीं, मरने के बाद इसका फोटो ले लिया और कहा गया कि वह क्षय रोग से मर गया । मंत्री जी ने कबूल किया कि उसकी प्राथमिक चिकित्सा नहीं हुई । इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की लापरवाही आज प्रदेश भर के अस्पतालों में होती है । आपके सेक्रेटरियेट में फाइल चक्कर काट रही है कहीं ऐसा न हो कि वह फाइल चक्कर की काटती रहे । मान्यवर, वह मरीज गरीब था । और वह डाक्टर साहब को पैसा नहीं दे सका, बंगले पर हाजिरी नहीं दे सका, तो क्या मंत्री जी उस डाक्टर के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने यह निवेदन किया था कि मेडिकल विभाग के आउटडोर में प्राथमिक चिकित्सा नहीं हुयीं । जब चैस्ट अस्पताल में लाया गया तो उसको देखा गया है जो सिस्टम्स पाये गये वह डाक्टर ने दर्ज किये । खून और बलगम का टेस्ट कराना था वह लिख दिया गया । यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि दोषी पाए गए तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

यह लखनऊ की ही बात नहीं, सारे प्रदेश के अस्पतालों का स्तर गिर रहा है । अभी-अभी हमारे जिले में कुछ लाशें ऐसी थीं जो अपनी मौत से मरे हुए लोगों की थीं लेकिन बीस-बीस हजार रुपये लेकर फैक्चर वगैरह दिखाकर मुलजिम दिखाया गया । हर गांव में पार्टीबन्दी है । इस तरह से लाशें दिखाकर तमाम लोगों को जेल भेजा जायेगा। इस पर सरकार कोई कड़ी कार्यवाही करेगी और मैं सूचना दूंगा तो क्या सरकार जांच कराने के लिये तैयार है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्य यदि कोई सूचना देंगे तो अवश्य जांच करायी जाएगी ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मंत्री जी हिन्दुस्तान में तो रहते नहीं है । या अगर रहते हैं तो इन्हें नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के पूरे अस्पतालों की हालत यह है कि जो मरीज डाक्टर साहब के बंगले पर पहुंचता है, डाक्टर साहब को फीस देता है, वही भरती होता है, बाकी के लिये कह देते हैं कि जगह नहीं है । मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है । अब माननीय शर्मा जी को फिर से डाइरेक्टर बना लिया है । बिल्ली अपने बच्चे को बड़ा मुलायम पकड़ती है । अगर मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें कुछ नहीं मालूम, वह मंत्री के लायक नहीं है अगर इस तरह की बात कहते हैं । मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सब अस्पतालों में यही होता है कि जो बंगले पर जाता है, फीस देता है, उसको दवा भी अस्पताल से मिलती है, भरती भी किया जाता है और बाकी लोग चाहे जितने गम्भीर हालत में हों उनको भरती नहीं किया जाता । अगर मैं इस बात को सिद्ध कर दूं तो क्या मंत्री जी स्तीफा दे देंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी स्वीकार करते है कि दुनिया में सब आदमी एक से नहीं होते । माननीय सदस्य का एक स्वीपिंग रिमार्क कर देना कि अस्पताल में जब तक डाक्टर को प्राइवेट पैसा न दिया जाय तब तक भरती नहीं करता, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता । अगर यह सेंट परसेंट इसको साबित न कर पायें तो क्या माननीय सदस्य इस्तीफा दे देंगे?

श्री मोतीलाल देहलवी—

अस्पताल के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह बात सही है । मैं सदन में घोषणा करता हूं कि अगर सही न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । उस अस्पताल में यही होता है । अगर यह सिद्ध हुआ तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस्तीफा दे दें।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या माननीय सदस्य कभी अस्पताल में स्वयं भरती हुये हैं और क्या स्वयं उन्होंने रुपया दिया है?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह बात उस दिन भी स्वीकार कर चुके है वैद्यजी भी और शर्मा जी भी की डाक्टरों की लापरवाही थी । जब निर्विवाद रूप से डाक्टरों की लापरवाही साबित हो गयी तो अब क्या मंत्री जी कहते हैं कि अगर दोषी पाये जायेंगे । जब यह स्वीकार कर लिया कि डाक्टर की लापरवाही हुई, उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिये तब चैस्ट अस्पताल भेजना चाहिये था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह तो स्वीकार कर लिया गया है कि उनकी लापरवाही पाई गई है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह डाक्टर वहां कब से सेवारत है और क्या उनके सेवाकाल की अवधि में कभी पहले भी इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

समझ में नहीं आया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जिन डाक्टर साहब की लापरवाही सिद्ध की गई है जिन्होंने प्रारम्भिक चिकित्सा नहीं की उनकी सेवा अवधि में इससे पहले भी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुयी है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल सवेरे 11 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
25 जुलाई, 1972 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1334 पर)

प्रदेश में वर्ष 1971–72 में स्वीकृत एलोपैथिक पुरुष एवं महिला तथा होम्योपैथिक अस्पताल का बिवरण।

जिले का नाम	पुरुष एलोपैथिक अस्पताल	महिला एलोपैथिक अस्पताल	होम्योपैथिक अस्पताल
1—मुजफ्फरनगर ..	..	बाबुरी ..	मण्डोर
2—वाराणसी ..	विरावकोट ..	..	..
	2—अमड़ा	..	..
3—रायबरेली ..	1—पाही ..	1—तिलोई ..	
	2—इन्होना ..	2—रेहुआ ..	
4—उन्नाव ..	मकूर ..	..	..
5—गौड़ी-गढ़वाल ..	सुमेर सेन ..	..	..
6—अलीगढ़ ..	..	चन्दापा ..	पटौनी ..
7—बलिया ..	शहतबार ..	..	..
8—एटा ..	लालगडी ..	..	फतेहपुर
9—इलाहाबाद ..	चिरवा ..	1—फूलपुर ..	1—माखनपुरी छेल
		2—सिस्सा	2—समसाबाद सिराथू
10—फैजाबाद ..	..	अकबरपुर ..	..
11—सुल्तानपुर ..	..	गोसाईगंज ..	..
12—सीतापुर ..	..	मिसरिख ..	..
13—नैनीताल ..	..	बाजपुर ..	..
14—कानपुर ..	रेवना ..	..	..
15—देवरिया ..	..	..	1—फतेहपुर
			2—पिपरा बाजार
16—आजमगढ़ ..	..	..	वछबल
17—बांदा ..	..	..	जमालपुर
18—हमीरपुर ..	..	..	जिगनी
19—बहराइच ..	..	..	गुढ़वापुर
20—देहरादून ..	..	..	हरावाला
21—सहारनपुर ..	..	..	अलीपुर झगूवाला
22—फतेहपुर ..	..	..	असनी
23—पीलीभीत ..	..	..	खनका उचसिया

वर्ष 1971-72 में निम्नलिखित 11 डिवीजनों के मुख्यालय में से प्रत्येक पर एक सचल चिकित्सालय की स्वीकृत दी गई है:

1—आगरा
2—इलाहाबाद
3—फैजाबाद
4—पौड़ी-गढ़वाल
5—गोरखपुर
6—झांसी
7—नैनीताल
8—लखनऊ
9—मेरठ
10—बरेली
11—बाराणसी।

वित्तीय वर्ष 1971-72 में खोले गये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की सूची

क्रम-संख्या	स्थान का नाम	जिला	आयुर्वेदिक यूनानी
1	2	3	4
1	फूलपुर	.. उन्नाव ..	आयुर्वेदिक
2	शुकी कुण्डियाल गांव ..	.. टिहरी गढ़वाल ..	,,
3	यादवपुर ..	.. कानपुर ..	,,
4	माधपुर	.. मुरादाबाद ..	,,
5	ताखा	.. बलिया ..	,,
6	रामपुर चकरिया ..	.. मिर्जापुर ..	,,
7	आमधार ..	.. अल्मोड़ा ..	,,
8	देवलगढ़	.. गढ़वाल ..	,,
9	लवेदी	.. इटावा ..	,,
10	पिपरी इंडिया ..	.. इलाहाबाद ..	,,
11	रोकड़ी करछना ..	.. इलाहाबाद ..	,,
12	मितई	.. अलीगढ़ ..	,,
13	भेदू	.. अलीगढ़ ..	,,
14	इरौनी	.. लखनऊ ..	,,
15	पतारा	.. जौनपुर ..	,,
16	मदू	.. इटावा ..	,,
17	दुवारी	.. आजमगढ़ ..	,,
18	भांकड़ी	.. बुलन्दशहर ..	,,
19	अहरोली रानीमऊ ..	.. फैजाबाद ..	,,
20	बारिकी खुर्द ..	.. गाजीपुर ..	,,
21	जमनिया कलां ..	.. झांसी ..	,,
22	पेनगांव	.. मथुरा ..	,,
23	दोमनपुर	.. मिर्जापुर ..	,,
24	केशवपुर ..	.. वाराणसी ..	,,
25	देवगांव	.. फैजाबाद ..	यूनानी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1337 पर)

निगमों द्वारा किये गये व्यापार एवं कारोबार की सूची

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम ने अभी तक विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाने सम्बन्धी योजना बनाई है तथा रेत एवं पत्थर बनाने का कारोबार किया है लगभग 3,000 रु0 का रेत बेचा जा चुका है एवं विभिन्न विभागों में 3 लाख रुपये मूल्य का सामान सप्लाई करने के आर्डर प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से 4 लाख रु० का टेंडर शीघ्र ही स्वीकृत होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम ने अब तक 7 ईंट के भट्ठे चलाये हैं। जिनमें ईंट पकाकर बेचीं जाती हैं। निगम ने पांच जिलों में खांडसारी चीनी कारखाना लगाने का प्रबन्ध किया है और उसके लिये मशीन आदि खरीदने की प्रारम्भिक कार्यवाहियां की जा रही हैं। निगम ने निम्नलिखित अन्य परियोजनायें चलाने का निर्णय किया है जिनके लिए पोजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।

1—खाड़ी ऊन का सामान बनाने का कारखाना।
2—सन्तुलित उर्वरक बनाने का कारखाना।
3—साइकिल टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना।
4—चीनी मिट्टी के प्याले आदि बनाने का सेन्टर।
5—चमड़े का सामान बनाने का सेन्टर।
6—बिजली के बल्ब बनाने का कारखाना।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1338 पर)

अवशेष निरीक्षणों की सूची विकास खंड सिद्धपुरा (जिला एटा) वर्ष 1971-72 के

1—मनकई
2—रामनगर बल्हारपुर
3—पिथनपुर
4—किलोटी
5—खैहाजनक पविसडेरा
6—करमपुर
7—सिकहरा
8—खरगातीपुर
9—ध्वाई
10—बद्दूपुर
11—वीनपुर सेवका
12—वाइली रानामऊ
13—बिकोरा
14—अल्लीपुर
15—सोगपुर भोकपुर
16—खरिध्यपुर
17—नाथपुर
18—मन्हापुर
19—खुन्डरा
20—मगसारा
21—अभयपुर
22—वीरपुर
23—वासी
24—ठाठी लखनपुर
25—गिलौली
26—राजपुर
27—गगरिया
28—उचागांव
29—मधूपुरा
30—कायमपुर
31—धारिकपुर
32—घनीहइपुर
33—सीगपुर
34—भटेना
35—सरसौल
36—नगला पटवारियान
37—न्योरी
38—डिलौरी

अवशेष आडिट की सूची विकास खंड सिद्धपुरा (जिला एटा) वर्ष 1971-72 के

1—पियारी समौंठी
2—करमपुर
3—कायमपुर
4—मधूपुरा
5—सिनोट
6—मण्डनपुर
7—गोपालपुर आलमपुर
8—नगला पटवारियान
9—उतराना
10—जासमई
11—न्योरी
12—खिरिया
13—डलौरी
14—सुजानपुर।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1345 पर)

परिशिष्ट 'क'

क्रम-सं०	नाम सड़क	सड़क की ली गई लम्बाई	सड़क पर मिट्टी के कार्य के पूर्ण होने की लम्बाई	मिट्टी के कार्य पर किया गया व्यय	घनफुट मिट्टी सड़क पर जो डाली गई	मानव दिवस जितने दिन कार्य हुआ
1	2	3	4	5	6	7
1—पट्टी कोहडौर	.. ..	20 कि०मी०	20 कि०मी०	251742.00	8391400	83914
2—मांधाता लक्ष्मीगंज	.. ..	7–5 ,,	7–5 ,,	55267.00	1924345	18422
3—संडवा चन्द्रिका खैरागौरवारी	..	3–0 ,,	3–0 ,,	7665.00	270600	2255
4—परियांवां–कोरांवडीह	.. ..	6–0 ,,	6–0 ,,	34752.00	1332160	11584
5—धारुपुर–रामपुर	.. ..	4–0 ,,	4–0 ,,	23838.00	794600	7946
6—मिटारा–चकवड़	.. ..	9–0 ,,	9–0 ,,	71793.00	2632410	23931
7—रानीगज–देल्हूपुर	.. ..	14–0 ,,	14–0 ,,	97454.00	3735733	32485
8—किलहनापुर–हैथिगवां	.. ..	6–5 ,,	6–5 ,,	33823.00	1296510	11274
	योग ..	70–0 ,,	70–0 ,,	575434.00	20387758	191811

परिशिष्ट 'ख'

क्रम-सं०	नाम सड़क	कंकड़ की मात्रा कि०मी० में	ईंटा बिछाने का कार्य	पुल एवं पुलिया की संख्या	अन्य
1	2	3	4	5	6
1	पट्टी–कोहडौर	18 कि०मी०	1 कि०मी०	2	
2	मान्धाता–लक्ष्मीगंज	12 ,,	3 ,,	13	
3	खंडवा चन्दिका–खैरागौरवारी	..	..	..	
4	परियावां—कोरांवडीह	1 ,,	2 ,,	..	
5	बारुपुर–रामापुर	1 ,,	1 ,,	..	
6	मिटारा—चकवड़	5 ,,	..	..	
7	रानीगंज–देल्हूपुर	3 ,,	..	2	
8	किलहनापुर–हथिगवां	6 ,,	5 ,,	4	
	योग ..	36 कि०मी०	12 कि०मी०	21	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ 1353पर)

सचिव

1—सर्वश्री शंकर प्रसाद नैथानी
2—राम बिहारी लाल तिवारी
3—रिसाल सिंह बालयान
4—राधा कान्त गर्ग
5—राजेन्द्र सिंह
6—वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
7—कृष्ण मुरारी शर्मा
8—श्रुति धर
9—भयपात बहादुर सिंह
10—गंगा चरण गुप्त
11—काली सुन्दर शुक्ल
12—कैलाश चन्द्र सारस्वत
13—गिरिराज शरण अरोरा
14—प्रेम कुमार शुक्ल
15—रमेशचन्द्र कटियार
16—सुभाष चन्द्र भाटा
17—दिनेशचन्द्र जौहरी
18—राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
19—महेन्द्र पाल बंसल
20—चन्द्र बहादुर जौहरी
21—बसन्त सिंह
22—जय किशन
23—दिनेश कुमार अग्रवाल

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1358 पर)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1971–72 की योजनाओं की स्थिति

क्रम-सं0	योजना का नाम	संख्या या यूनिट	विकास क्षेत्र का नाम	योजना की लागत	मार्च, 1972 तक किया गया व्यय	मिट्टी के कार्य की प्रगति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1—पिण्डरहा तालाब	..	1	कनैली	23000.00	17790.00	केवल मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है	अब एक पुलिया निर्माण होना है। इस पर कार्यवाही की जा रही है।
(वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक पूरी होने वाली योजना)							
2—बनीकरण एवं चरागाह (बसनेहठा)।	..	1 (10 हेक्टर)	प्रतापपुर	56000.00	40000.00	,,	बीज तथा पौध लगाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष धन इसी मद पर एवं योजना की देख रेख में व्यय किया जायेगा।
3—घनीकरण एवं चरागाह (कसनेइठा)	..	1 (10 हेक्टर)	फूलपुर	48000.00	48000.00	,,	..
4—बनीकरण एवं चरागाह (सिरकाण्डिया)	..	2 (20 हेक्टर)	फूलपुर	82000.00	40000.00	,,	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट "ब"

क्रम सं0	योजना का नाम (परिवर्तन के पूर्व की योजना)	योजना की लागत (लाख रु0 में)	लम्बाई या संख्या (लाख रु0 में)	योजना का नाम (परिवर्तन करने के बाद की योजना)	योजना की लागत (लाख रु0 में)	लम्बाई या संख्या	15 जुलाई, 72 तक का व्यय (लाख रु0 में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	—बरना से जंघई मार्ग	8.80	20 कि0मी0	1—बरना से जंघई मार्ग	8.00	20 कि0मी0	2.46	बंधियों का पुनर्निर्माण बेलर नहर विभाग ने स्वयं करा लिया है।
				2—उग्रसेनपुर से प्रताप-पुर मार्ग।	2.40	6 ,,	0.48	
2	—करारी पश्चिम मरीरा शाहपुर मार्ग	9.60	26 ,,	3—करारीशाहपुर मार्ग	10-40	26 ,,	3.06	..
				4—टेवा पश्चिम सरीरा मार्ग	4.40	8 ,,	0.56	
3	—बहेरिया करनाथपुर मार्ग।	5.20	15 ,,	5—वहरिया करनाथपुर मार्ग।	6.00	15 ,,	2.20	..
4	—बांधियों का जीर्णो-द्धार।	1.62	24 सख्या	6—वनीकरण एवं चारा-गाह।	1.855	40 हेक्टर	1.28	..
5	—मत्स्य पालन हेतु तालाबों का पुन-र्निर्माण।	1.53	25 ,,	7—हरिजन परिवारों को फिर से वसाना।	0.618	1 तालाब	0.45	मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पुर्ननिर्माण योजना में से केवल एक पिडरहा तालाब की योजना को लिया गया।

सत्यमेव जयते

6—रनवई ताल का पुनर्निर्माण।	1.31	20 कि0मी0	8—रनवई ताल का पुनर्निर्माण।	1.20	20कि0मी0	0.83	..
7—वनीकरण एवं घास के मैदानों का विस्तार	2.43	40हेक्टर 4 यूनिट	9—तालाबों को गहरा करना।	0.87	5 संख्या	0.20	..
8—ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना।	1.07	40 हेक्टर	10—कोल परिवारों को फिर से बसाना।	1-61	81 हेक्टर	..	..
9—हरिजन परिवारों को फिर से बसाना।	2.89	60 ,,	11—पिंडरहा तालाब	0.23	1 सख्या	10.17	तत्कालीन आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद ने माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया था एव उसमें लिए गये निर्णय के आधार पर योजनायें परिवर्तन करके मार्ग की योजना ली गई।
10—भूमि संरक्षण कार्य	1.20	5 संख्या	..	..	..	..	
11—कोल परिवारों को कृषि योग्य भूमि करके बसाना।	1.93	81 हेक्टर	..	..	..	..	
	37.58	..		37.583	11.59	..	

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1368)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्संबन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाए

2—जब तक कि प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमश: बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अंतरिम जिला परिषद्, नगरपालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है ।

परिषद् का संगठन

3—(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी ।

(2) परिषद् शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से , यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रसीडेन्टों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

(छ) दो शिक्षाविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य-सचिव होगा ।

(4) उपधारा (3) के खन्ड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उप सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी की बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पदधारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है ।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बनें रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं, मानों कोई रिक्ति न हुई हो ।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई काय अथवा कार्यवाही विधि अमान्य न समझी जायगी ।

परिषद् के कृत्य

4--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिये अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर सबद्ध करना, होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां होंगी:--

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिये संशिक्षण क्रम तथा पुस्तकें विहित करना;

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ग) शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलंबित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना;

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना;

(च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिये किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना;

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो ।

परिषद् का कार्य संचालन

5—(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये ।

(2) विशेषतया, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(ब) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ड०) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध ।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाये गये विनियम परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है ।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

6—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रोयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों को भर्ती और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगी ।

(3) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के नियमों में, ऐसी चयन समिति संघटित की जाने की व्यवस्था होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबद्ध स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि और निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल अन्य सदस्य होंगे और निदेशक के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था होगी ।

परिषद् की निधि

7—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए परिषद् को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिये ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी ।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

8—(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी ।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय-विवरण पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9—(1) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्म

धारी वर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि परिवर्तन न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार सम्पादन करेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिये अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उस की सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगा—

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हों, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि ।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उस की सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिसमें वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्ही अन्य निबंधनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा ।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिये किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के

भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिये न्याय के रूप में रखेगी ।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवा को परिषद् में स्थानान्तरित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समितियां

10—(1) प्रत्येक जिले के लिये एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिस में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के, यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों, नोटिफाइड एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से; अर्थात् :—

(1) लड़कों के इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपलों में से;

(2) लड़कियों के इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपलों में से;

(3) लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के, प्रधानाध्यापकों में से; और

(4) लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की, प्रधानाध्यापिकाओं में से, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(च) विद्यालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यगण ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) परिषद् समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और उससे किसी अन्य विषय पर भी परामर्श कर सकती है।

गांव शिक्षा समितियां

11—(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा,

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य सचिव होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति—

(क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए यथास्थिति, जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को सुझाव देगी, और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उसकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

12—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो) और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक—

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय निकाय भी हैं) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(ख) किसी स्थानीय निकाय को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, निर्देश दे सकता है।

(3) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्—

(क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में स्थानीय जो निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, परिषद् को उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है ।

(4) किसी बेसिक स्कूल में सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।

(5) यदि किसी बेसिक स्कूल के संबंध में उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के

कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद् आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करके, स्कूल का प्रबन्ध, जिस के अन्तर्गत स्कूल की भूमि, भवन, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में लेने का निदेश दे सकती है और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो परिषद् द्वारा आरोपित किये जायं, स्कूल के प्रबन्ध के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) यदि स्थानीय निकाय उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिषद् को उपधारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन कोई सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक शिक्षा के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अथवा निरन्तर चूक की है अथवा बेसिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावर्तित किया है, तो परिषद् मामला राज्य सरकार को उपधारा (8) के अधीन कार्यवाही के लिए अभिदिष्ट कर सकती है।

(8) राज्य सरकार उपधारा (7) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, परिषद् को अन्तरित हो जायगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन किसी अधिसूचना में, उसके प्रवर्तन की अवधि में, ऐसी विधि के जिससे स्थानीय निकाय संघटित हो, अनुकूलन के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकते हैं जो उपधारा (8) में अभिदिष्ट निदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध भी हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

13—(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम क अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों क प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के संबंध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किये जाने के संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा, यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे।

प्रत्यायोजन की शक्ति

14--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

15--राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

16--इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों का संशोधन

18--(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, धारा 43 में, उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में--

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता,

विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा। ";

(ख) धारा 73 निकाल दी जाय ;

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, और विशेषतया, किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन

20—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला परिषदों तथा नगर क्षेत्रों में नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं पर रहा है। इस स्तर की शिक्षा का संचालन स्थानीय निकायों द्वारा सतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा था और दिनोंदिन शिक्षा प्रणाली ह्रासोन्मुख होती जा रही थी। जनमत की यह आकांक्षा थी कि शासन इस स्तर की शिक्षा सुधारने की दिशा में तुरन्त कदम उठायें अतः प्राथमिक शिक्षा के सुधार, विकास एवं व्यापक प्रसार हेतु यह आवश्यक हो गया कि शासन इसका नियंत्रण अपने हाथ में लें।

2—प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय निकायों के प्रबन्ध से हटा कर शासकीय नियंत्रण में लाने हेतु सदनों में भी बराबर मांग सभी ओर से की जा रही थी। इस जन आकांक्षा को प्रतिध्वनित करते हुए 20 मार्च, 1972 को राज्यपाल महोदय ने भी राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को

संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा था कि प्राथमिक शिक्षा तथा जूनियर हाई स्कूलों को अधिक उपयोगी और सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार उनके संचालन और नियंत्रण का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर लेने जा रही है।

3—संविधान के अनुच्छेद 45 के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रभावकारी पग उठाने, राज्यपाल के अभिभाषण में दिए गए आश्वासनों को पूर्ति करने तथा लोकप्रिय मांग का समादर करने के हेतु यह आवश्यक था कि प्राथमिक शिक्षा का संचालन एवं नियंत्रण किसी ऐसी सजीव संस्था के सुपुर्द किया जाय जो इसमें नवजीवन का संचार कर इसे प्रगतिशील बना सके। इसलिये शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय निकायों के हटाकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सत्र 1972–73 से सौंपने का निर्णय लिया गया।

4—चूकि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो गया था और अभी विधान परिषद् का सत्र चालू नहीं था और यदि तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ न की जाती तो यह मामला आगामी शैक्षिक सत्र (1973–74) तक टल जाता और अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न हो पाती। अतः शासन ने उक्त निर्णय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया।

5—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1369 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में प्रांविशियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट, 1887, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में किराये की, अथवा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त वादों के संबंध में, इस उपधारा में दो हजार रुपये के अभिदेश को पांच हजार रुपये के अभिदेश के अर्थ में समझा जायगा।

स्पष्टीकरण

इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद "भवन" का वही अर्थ है जैसा द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।"

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 25 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि लघुवाद न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करके किसी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत किसी मामले में, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी।"

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, अनुच्छेद (4) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(4) स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अथवा ऐसी संपत्ति में हित को पुनर्प्राप्ति के लिये कोई वाद, किन्तु जिसके अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली

के लिये, तथा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उस भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिए उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त, वाद नहीं है।

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पद "भवन" का तात्पर्य किसी आवासिक या अनावासिक छादित संरचना से है, और इसके अन्तर्गत ऐसे भवन से सम्बद्ध कोई भूमि (जिसमें कोई बगीचा भी सम्मिलित है), गैराज और उप भवन भी है, और ऐसे भवन में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये उपस्कर तथा फिक्सचर भी सम्मिलित है।"

ऐक्ट संख्या 12, 1887 की धारा 25 का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की सख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय, और—

(1) इस प्रकार पुनः सख्यांकित उपधारा (1) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट प्रकार के वादों के संबध में, इस उपधारा में एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के अभिदेश का अर्थ क्रमशः पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये लगाया जायगा।";

(2) यथा पुनः सख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में किराये की, अथवा पट्टे की ऐसी समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त सभी वादों के (चाहे उनका वाद मूल्य कुछ भी हो) परीक्षण के लिये किसी जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश को प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र प्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद 'भवन' का वही अर्थ है जैसा उक्त ऐक्ट की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है।"

ऐक्ट संख्या 5, 1908 की धारा 115 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908, जिसे एतद्पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है, की धारा 115 में—

(1) शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय", जहां वे पहली बार आये हों, के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूल वादों से उद्भूत मामलों में उच्च न्यायालय और अन्य मामलों

में जिला न्यायालय "रख दिये जायें और शब्द" उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय" जहां वे दूसरी बार आये हों, के पूर्व शब्द तथा कामा "यथा-स्थिति", रख दिये जायें;

(2) उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की अनुसूची 1 के आदेश 15 में नये नियम का बढ़ाया जाना

7—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 15 में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"5(1)—पट्टेदार की पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी स्थावर सम्पत्ति से उसकी बेदखली के लिये, या पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में उससे किराये की, या उसके प्रयोग या अध्यासन के निमित्त प्रतिकर की, वसूली के लिये पट्टाकर्ता द्वारा किसी वाद में, चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया हो, प्रतिवादी वाद की प्रथम सुनवाई के समय अथवा उसके पूर्व (या उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद की दशा में, इस प्रकार के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम सुनवाई पर) किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की सम्पूर्ण धनराशि जिसका देय होना उसे स्वीकृत हो जमा करेगा, और तत्पश्चात् वाद जारी रहने के दौरान अपने द्वारा स्वीकृत दर पर देय मासिक किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की धनराशि नियमित रूप से जमा करता रहेगा, और इस संबंध में किसी चूक की दशा में, न्यायालय, जब तक कि उसके द्वारा तदर्थ दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उतनी ही धनराशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय की अनुज्ञा न दे दे, यथास्थिति, कोई प्रतिवाद ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है, या उसके प्रतिवाद को अपास्त कर सकता है।

स्वीकृत किराया आदि न जमा करने की दशा में प्रतिवाद का अपास्त किया जाना।

(2) इस नियम के उपबन्ध आदेश 39 के नियम 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के अतिरिक्त हैं, न कि उसके अल्पीकरण में।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में,—

(1) धारा 3 में, खंड (क) में, शब्द "उसके वारिसों में है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(1) किसी आवासिक भवन की दशा में, उसके कवल ऐसे वारिसों से है जो उसकी मृत्यु के समय भवन में उसके साथ सामान्यतया रहते थे,

(2) किसी अनावासिक भवन की दशा में, उसके वारिसों से है";

(2) धारा 20 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द, अक्षर, कोष्ठक तथा अंक "या धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (द) में" निकाल दिये जायें;

(ख) उपधारा (3) और (6) निकाल दी जाय,

(3) धारा 34 में, उपधारा (8) में, शब्द "ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसी प्रक्रिया, सबूत के सिद्धान्त, परिसीमा के नियम तथा पथ-प्रदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे जो नियत किये जायं" रख दिये जायं तथा सदैव से रखे गये समझे जायं;

(4) धारा 39 में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय और सदैव से निकाला गया समझा जाय,

(5) धारा 43 में, उपधारा (2) में,—

(क) खंड (घ) में, अन्त में, शब्द "और तद्धीन रहते हुए, ऐसी कार्यवाहियां जारी रखी और समापित की जायेंगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो," बढ़ा दिये जायं, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं;

(ख) खण्ड (ण) में, अन्त में, शब्द "और उसका निर्णय अंतिम होगा" बढ़ा दिया जाए और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं;

(ग) खण्ड (त) में, शब्द "जिला जज को अन्तरित हो जायेगा; और उसका निर्णय अन्तिम होगा" के स्थान पर शब्द "का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(घ) खंड (द) में, शब्द "और इसी प्रकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् खंड (झ), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) में अभिदिष्ट अनुज्ञा से बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया जा सकता है" निकाल दिये जायं;

(ङ) खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(दद) यदि पुराने अधिनियम की धारा (3) में अभि दिष्ट कोई अनुज्ञा चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार धारा 21 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में उल्लिखित किसी कारण से, प्राप्त कर ली गई हो और वह अन्तिम हो गयी हो, और किरायेदार की बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित न किया गया हो, तो मकानदार धारा 21 के अधीन उसकी बेदखली के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और तदुपरान्त नियत प्राधिकारी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से किरायेदार को बेदखल करने का आदेश देगा, और नियत प्राधिकारी को उक्त कारणों के विद्यमान होने के संबंध में अपना पुनः समाधान करना आवश्यक न होगा और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा उसके विरुद्ध धारा 22 के अधीन अपील न हो सकेगी;"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

9—बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड तथा उपधारा (2) में (चाहे वाद का

मूल्य दो हजार रुपये, या जैसी भी दशा हो, एक हजार रुपये से अधिक हो या नहीं), या प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट प्रकार का कोई वाद जो लघुवाद न्यायालय अथवा लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किया गया हो, और उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व उस न्यायालय में विचाराधीन हो, किन्तु वह ऐसा वाद न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व किसी पक्ष की ओर से दिये जाने वाले मौखिक साक्ष्य का अभिलेखन प्रारम्भ किया गया हो अथवा समाप्त हो गया हो, उक्त उपबन्ध के अधीन, सिविल न्यायाधीश, मुंसिफ, जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश अथवा लघुवाद न्यायालय पर अधिकारिता अथवा वर्धित धनीय अधिकारिता प्रदत्त किये जाने पर ऐसे न्यायालय को अन्तरित हो जायगा और उस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जायगा।

उद्देश्य तथा कारण

प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 में वादों के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, ऐसे न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती हैं, और केवल एक निगरानी की व्यवस्था है। किन्तु उक्त न्यायालय स्थावर संपत्ति के कब्जे के वादों का निर्णय नहीं कर सकते। हाल के एक संशोधन द्वारा, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972) की धारा 20 (6) में दिया है, किरायेदार की किरायेदारी के समाप्ति के बाद उसकी बेदखली के लिये किये जाने वाले वाद इस अपवाद की परिधि से निकाल लिये गये हैं और लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय कर दिये गये हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रकार के वादों में,साधारणतया, विवाद के विन्दु सरल होते हैं। इन वादों में जहां अधिकार (टाइटिल) का प्रश्न विवादास्पद हो तो लघुवाद न्यायालय को यह शक्ति है कि वह वाद-पत्र को नियमित न्यायालय में प्रस्तुत के लिये वापस कर दे। अब यह प्रस्ताव है कि उपर्युक्त संशोधन को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 में से निकाल दिया जाय और उसके बजाय, सीधे प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 में अधिक विस्तृत संशोधन समाविष्ट कर दिया जाय जिससे न केवल वह भवन जो उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 13, 1972 द्वारा शासित होते हैं बल्कि सभी भवन उसकी परिधि में आ जायें। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे वादों के संबंध में साधारण लघुवाद न्यायालयों को 5,000 रु0 के मूल्य के वादों का फैसला करने की अधिकारिता (बजाय कुछ जिलों में 2,000 रु0 तथा अधिकतर जिलों में 1,000 रु0 के जैसी कि वर्तमान व्यवस्था है), प्रदत्त दर दी जाय और उससे अधिक मूल्य के वादों का फैसला जिला जजों द्वारा लघुवाद जजों के रूप में दिया जाय, और जिला जजों के इस प्रकार के निर्णयों के विरुद्ध निगरानी उच्च न्यायालय में हो जब कि अन्य लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध निगरानी जिला जज के यहां ही की जाती रहे।

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में एक उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला जजों को भी निगरानी की शक्ति प्रदान की गई थी। अब यह प्रस्ताव है कि 20,000 रु0 के मूल्य से कम के वादों में यह शक्ति केवल जिला जजों द्वारा प्रयुक्त हो और अधिक मूल्य के वादों में यह शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त हो। वादों के निस्तारण में विलम्ब के कारणों में से एक, इस प्रकार समाप्त हो जायेगा।

3—उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 13, 1972 की धारा 20 (3) में यह व्यवस्था की गई है कि बेदखली के वादों में किरायेदार प्रथम सुनवाई पर उसके द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण किराये की धनराशि जमा कर दे और उसके बाद जब तक वाद लम्बित रहे न्यायालय में हर महीने किराये की स्वीकृत धनराशि जमा

करता रहे। अब यह प्रस्ताव है कि उस अधिनियम में से यह प्राविधान निकाल दिया जाय और उसके बजाय ऐसा ही प्राविधान सिविल प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची के आदेश 15 में समाविष्ट कर दिया जाय जिससे उसकी परिधि में न केवल वह भवन जो उत्तर प्रदेश अधिनियम स0 13, 1972 द्वारा शासित होते हैं बल्कि सभी भवन आ जायं।

4—इस अवसर का लाभ उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 13, 1972 में कुछ अन्य औपचारिक तथा प्रक्रिया संबंधी संशोधन करने के लिए भी लिया जा रहा है।

5—तद्नुसार उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पुरः स्थापित किया जाता है।

बलराम सिंह यादव,
न्याय मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी0 एस 0यू0 पी0—ए 0 पी0 130 एल0 ए0—1973—835 (रो0)।